खण्ड-190, अंक-4
मंगलवार, 3 पौष, शक संवत् 1879
(24 दिसम्बर, 1957 ई0)

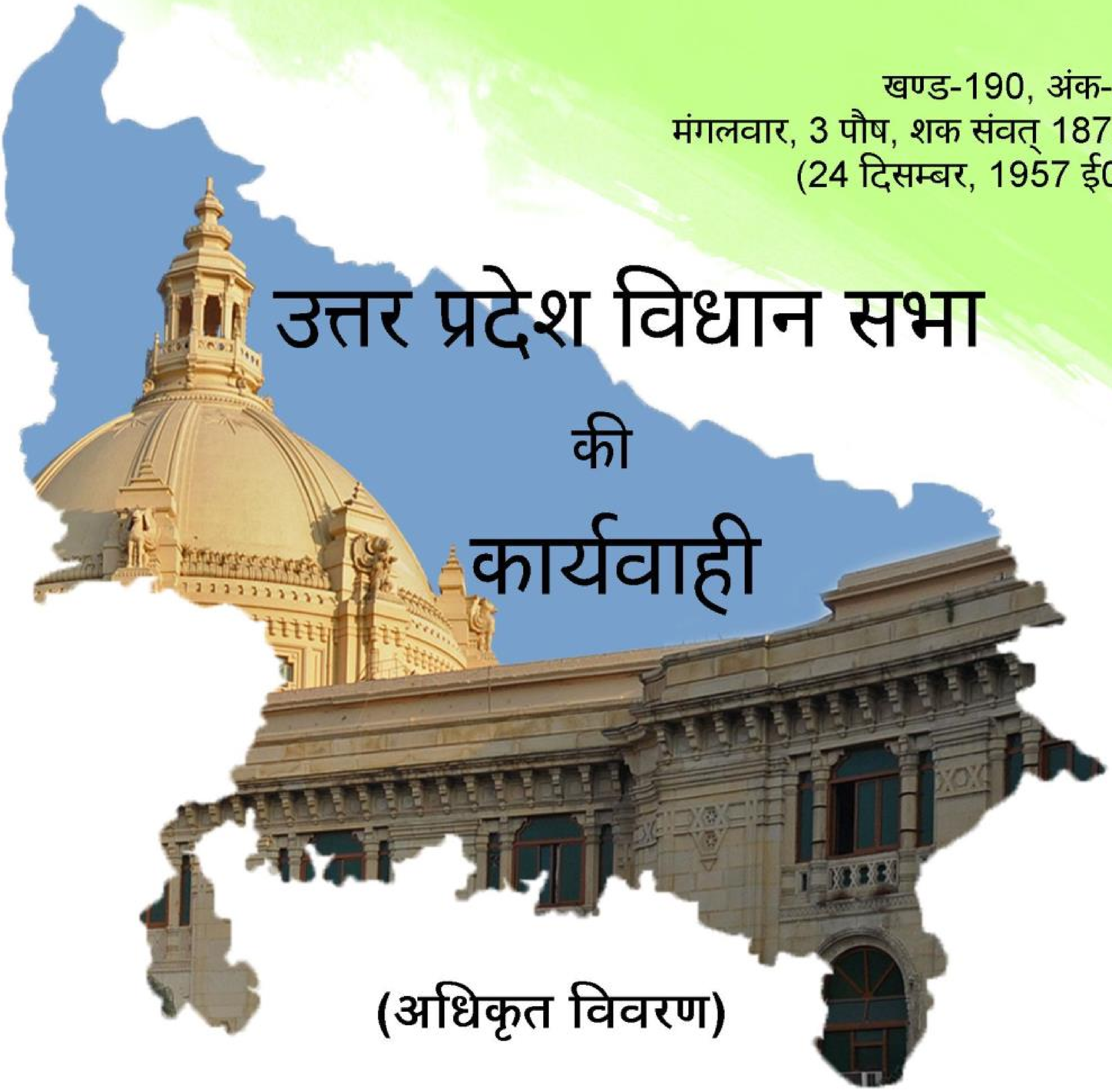

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 190 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २४ दिसम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३९२)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीजइमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुलरऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशफाक अली खां, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्द्रभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरू
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
कृपा शंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री

गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेव सिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवतीसूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बूजबासीलाल, श्री
बूजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपालवैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री

रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रामेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदीन, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रायप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री

शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र सिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २४ दिसम्बर, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना तथा श्री मदन पांडेय को बरेली जेल में अनशनकारियों से मिलने की आज्ञा का न मिलना

**१—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या यह सही है कि गत ३ नवम्बर को प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना, एम० पी० और मदन पाण्डेय, एम० एल० ए०, उत्तर प्रदेश ने बरेली जेल में श्री हरसहाय सिंह तथा अन्य अनशनकारी साथियों को अनशन तोड़ने के लिये राजी करने की मंशा से मुलाकात करने के लिये उक्त जेल के अधिकारियों के पास स्वयं मिलकर आवेदन पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस आवेदन पत्र पर मिलने की इजाजत न दिये जाने का कारण क्या समाज सुरक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--सरकार के मौजूदा आदेशानुसार अनशनकारी बन्दियों से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई।

**२--श्री मदन पांडेय--क्या यह सही है कि श्री हरसहाय सिंह के ३२ दिन अनशन के बाद गत २६ नवम्बर को मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत की दरख्वास्त मंजूर हुई परन्तु तब भी उनको नहीं छोड़ा गया ?

श्री मुजफ्फर हसन--जमानत पर रिहाई के आदेश ३० नवम्बर, १९५७ को जेल में प्राप्त हुए थे परन्तु आदेश में बन्दियों के जेल में दाखिले की तिथि ठीक न होने के कारण उसको ठीक करने के लिये अदालत वापस किया गया और दूसरे दिन ठीक हो जाने पर बन्दियों को मुक्त कर दिया गया।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस समय मिलने का आवेदन-पत्र दिया गया था, उक्त बंदी अनशन कर रहे थे ?

श्री मुजफ्फर हसन--जी हां।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी अनशनकारियों की मांगों के संबंध में कोई विवरण सदन के सम्मुख रखेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन--मेरे पास तो एक नाम श्री हर सहाय सिंह का है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस अधिकारी के कारण वह गलत इन्दराज हो गया और कैदी को आवश्यकता से अधिक जेल में रहना पड़ा, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री मुजफ्फर हसन--जिस वक्त यह गलती महसूस हुई जेल में मैजिस्ट्रेट मौजूद था। उनके नोटिस में यह गलती लायी गयी, उन्होंने कहा कि अदालत भेज दीजिये, वहां से ठीक होकर आ जायगी।

श्री अध्यक्ष--क्या यह गलती अदालत में हो गयी थी ?

श्री मुजफ्फर हसन--अदालत वहां हो रही थी। उसी अदालत ने यह जमानत मंजूर की थी। उसके नोटिस में जब यह गलती लायी गयी कि जो जमानत मंजूर हुई है उसमें दाखिले की तारीख का गलत इंदराज हुआ है तो उन्होंने कहा कि इसको वापस भेज दीजिये, ठीक कर दिया जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि इस गलती के कौन लोग जिम्मेदार हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह मालूम कर लिया जायगा कि यह गलती कैसे हुई।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--प्रश्न नंबर एक के संबंध में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आदेश भेजे गये हैं; तो क्या उन आदेशों को मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन--वह यही है कि अगर कोई आदमी जेल में अनशन करता है तो उसके करीबी अजीजों को छोड़कर किसी और को उससे मिलने की इजाजत नहीं देनी चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह नियम केवल बरेली जेल के लिये बनाया गया है या सारी उत्तर प्रदेश की जेलों के लिये बनाया गया है ? यदि सब जेलों के लिये बनाया गया है तो कब बनाया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह सारी जेलों के लिये सन् १९४१ में बनाया गया था। सन १९५० में फिर से उसकी तस्दीक की गयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सन् १९४१ में जो नियम बनाये गये थे उनमें सन् १९५० में क्या तब्दीली की गयी ?

श्री मुजफ्फर हुसन--मैंने तब्दीली का जिक्र नहीं किया। नियम में बता चुका हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या माननीय समाज सुरक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि करीबी अजीजों की जो शर्त लगायी गयी है, उसमें करीबी अजीजों की कोई सूची बनायी गयी है या उनकी कोई परिभाषा की गयी है ? यदि की गयी है तो वह क्या है और इसको कौन तय करता है कि ये करीबी अजीज हैं या नहीं हैं ?

श्री मुजफ्फर हुसन--इसकी कोई सूची तो नहीं है। यह तो उनके फैसले पर छोड़ दिया गया है जिनको कि इजाजत देना है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या इन करीबी अजीजों की परिभाषा में जो करीब के खास दोस्त हैं, वे भी आ जाते हैं ?

श्री मुजफ्फर हुसन--अजीज अजीज होते हैं, दोस्त दोस्त होते हैं।

लखनऊ जिले के लिये लकड़ी व कोयले का कोटा

**३--श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)--क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिले में साफ्ट कोक का कितना कोटा है और गत ६ महीने में कितने वैगन कोक लखनऊ में आ सका ?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--

वार्षिक कोटा	..	..	१३९२ वैगन
जून से नवम्बर, १९५७ तक प्राप्ति		..	३९१ ,,

**४--श्री त्रिलोकी सिंह--क्या न्याय मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिले के लिये कितने वेगन लकड़ी गत ४ महीने में आनी थी और उसमें से कितनी आई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--कोई कोटा निर्धारित नहीं है। पिछले चार महीनों में (अगस्त से नवम्बर, १९५७) २७२ वैगन नियंत्रित ईंधन की लकड़ी प्राप्त हुई।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पूरे वर्ष का कोटा १३९२ वैगन है जिसमें से ६ महीने में ३९१ वैगन ही आया है, तो क्या बाकी ६ महीने में तीन-चौथाई कोटा आ जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--वेगन्स मूवमेंट के सम्बन्ध में एक बहुत बड़ी कठिनाई है और मुगलसराय के ऊपर उसके आने पर और भी कठिनाई पड़ती है और उसकी वजह से यह पूरे कोटे का आना सम्भव होता नहीं है। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से और रेलवे विभाग से लिखा-पढ़ी हो रही है और हमारे जो लियाजा आफिसर हैं, वे भी इसके लिये प्रयास करते हैं।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार को यह ज्ञान है कि साल के जिस भाग में उन्होंने ३९१ वैगन मंगाया है, उसके अलावा साल का दूसरा ६ महीने गन्ना वगैरह की वजह से काफी व्यस्त समय है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि कितना कोटा और आ सकता है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--इसके लिये कोई खासतौर पर बात नहीं बतलायी जा सकती कि यकीनन ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। हम तो बराबर इस बात की कोशिश में रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मंगावें और कम से कम जो कोटा एलाट हुआ है वह पहुंच जाय लेकिन वह मुख्तलिफ वजूहात से नहीं पहुंचता है। बहरहाल, हमारे हाथ में उसका मूवमेंट नहीं है।

पचास या कम रुपयों के मासिक किरायों के मकानों पर से रेंट कंट्रोल की पाबन्दी हटाने की जानकारी

**५—श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पचास या उससे कम रुपयों के मासिक किरायों के मकानों के ऊपर से रेन्ट कन्ट्रोल की पाबन्दी शीघ्र हटाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसा कोई प्रश्न राज्य-सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

जिला बोर्डों के अध्यक्षों से निर्वाचन काल में बोर्ड की जीपें वापस लेने का सुझाव

**६—श्री रघुवीर सिंह (जिला एटा)—क्या सरकार बताने कि कृपा करेगी कि क्या वह जिला बोर्डों के निर्वाचन काल में जिला बोर्डों के अध्यक्षों से बोर्ड की जीप गाड़ियां ले लेने का विचार कर रही है ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—यह विषय अभी विचाराधीन है ।

**७—श्री रघुवीर सिंह—क्या सरकार जिला बोर्डों के निर्वाचन-काल में बोर्डों के अध्यक्षों को ऐसे आदेश देने की कृपा करेगी कि वह निर्वाचन काल में बोर्ड के कर्मचारियों का स्थानान्तरण इत्यादि न करें ?

श्री रामस्वरूप यादव—सब सरकारी दफ्तरों और स्थानीय निकायों से कहा गया है कि वह केवल आवश्यक स्थितियों में ही कर्मचारियों के स्थानान्तरण निर्वाचन-काल में करें जिससे कि निर्वाचन के प्रबन्ध में अड़चन न हो ।

श्री रघुवीर सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह प्रश्न कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—चुनाव होने से पहले ही तय हो जायगा ।

श्री रघुवीर सिंह—क्या सरकार अपने उस निश्चय को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—वह निर्णय हो जायगा तो उसका प्रचार तो हो ही जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में स्थानीय निकायों को जो आदेश भेजा है वह कब भेजा है और क्या मंत्री जी उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने या यहां सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—स्थानीय निकायों को हर चुनाव से पहले आदेश भेज दिये जाते हैं कि वह चुनाव के दिनों में ट्रान्सफर न किया करें क्योंकि उनसे अड़चन पड़ती है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी कृपा करके बोर्डों के अध्यक्षों के पास आदेश भेजेंगे कि वह अगले जिला बोर्डों के चुनावों में प्रचार के लिये इन गाड़ियों का इस्तेमाल न करें ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह तो नियम है कि बोर्ड के काम के अलावा निजी काम में इस्तेमाल न करें, वह भी अपने मौलिक अधिकारों से परिचित हैं ।

स्थानीय निकायों को महंगाई भत्ते के संबंध में आदेश

**८—श्री राजेंद्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या स्थानीय निकायों के एसे कर्मचारियों को जिनका वेतन ९५ से कम है ५ रु० की वृद्धि नहीं दी गई ह ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—१ अगस्त, १९५७ से स्थानीय निकायों के ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों के, जिनकी कुल उपलब्धियां ९५ रु० मासिक से अधिक नहीं है, महंगाई भत्ते में ५ रु० मासिक वृद्धि के लिये तथा ऐसे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जिनकी कुल उपलब्धियां ९५ रु० मासिक से अधिक किन्तु १०० रु० मासिक से कम हो कुल उपलब्धियों के १०० रु० मासिक होने में जितनी धनराशि कम पड़ती हो, उतनी सीमान्त समायोजन (marginal adjustment) के रूप में वृद्धि के लिये आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

पर्वतीय जिलों में सिविल फारेस्ट को रिजर्व फारेस्ट में परिणत करने के सम्बन्ध में जानकारी

**९—श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में जो भी सिविल फारेस्ट हैं उनको १ दिसम्बर, १९५७ से सरकार ने Reserve Forest (रिजर्व फारेस्ट) में परिणत कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं ।

श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि पर्वतीय जिलों में जो वहां के नागरिकों को टिम्बर, फारेस्ट वुड, घास और पत्तियों आदि को इस्तेमाल करने का अधिकार मिला हुआ था उससे उनको अब वंचित रखा गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, सरकार का आदेश है कि उनके जो पुराने हुकूक हैं वह बदस्तूर कायम रहेंगे और वह इन चीजों को इस्तेमाल कर सकेंगे ।

श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट की ओर से सिफारिश आई है कि कुमायूं के प्राइवेट फारेस्ट्स को रिजर्व फारेस्ट्स बना दिया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसी तो कोई सूचना नहीं है लेकिन यह जरूर है कि चीफ कन्जरवेटर आफ फारेस्ट्स चाहते हैं कि जो जंगल रह गये हैं वह इतने कम हैं कि उनको प्रिजर्व किया जाय और जाया न होने दिया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह स्कीम रखी है कि जितने सिविल फारेस्ट्स हैं उनको रिजर्व फारेस्ट का रूप दे दिया जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—क्लास फर्स्ट फारेस्ट्स को क्लास टू में परिवर्तित करने का प्रश्न द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है और अभी वह सरकार के विचाराधीन है, उपयुक्त समय आयेगा तो उस पर निर्णय लिया जायगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि यह योजना जो माननीय पं० गोविन्द वल्लभ पन्त के नेतृत्व में फारेस्ट ग्रीवान्सेज कमेटी बनी थी उसकी सिफारिश के बिलकुल विरुद्ध है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसी बात तो मुझे नहीं मालूम होती ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फारेस्ट एरिया में जो उफतादा जमीनें हैं कि जिनमें जंगल नहीं हैं क्या उनको काश्त के लिये छोड़ने की कृपा की जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो हाईपाथेटिकल क्वेश्चन है, कहीं खास बात होगी तो सारे हालात को देखकर फैसला किया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार सन २३ की कमायूं फारेस्ट ग्रीवान्सेज कमेटी की रिपोर्ट को देखकर जो इन्डिपेंडेंस मूवमेंट में सत्याग्रह हुआ था उसकी रिपोर्ट पर विचार करेगी और इन सिविल फारेस्ट्स को रिजर्व फारेस्ट्स नहीं बनायेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—१९२३ के कुमायूं फारेस्ट ग्रीवांसेज कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक ही जो कुछ फारेस्ट्स थे उनको क्लास वन में रखा गया ।

श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि कुमायूं के जितने रहने वाले हैं उनको प्रदेश भर के लोगों से स्पेशल फारेस्ट राइट्स हैं और उस फारेस्ट का सरप्लस कुमायूं के चार जिलों के बोर्डों में खर्च किया जाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस किस्म की सूचना तो इस समय है नहीं।

उत्तर प्रदेश सचिवालय पुनस्संगठन योजना संबंधित अन्य राज्यों से पत्र-व्यवहार

**१०—श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन राज्य सरकारों ने उत्तर प्रदेश सरकार से उसके सचिवालय पुनःसंगठन योजना के सम्बन्ध में कुछ पूछ-ताछ की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सचिवालय पुनर्संगठन योजना के सम्बन्ध में पंजाब, पश्चिमी बंगाल, केरल, आंध्र, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य सरकारों ने पूछताछ की है ।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या बम्बई सरकार से भी कोई जवाब आया था ?

श्री अध्यक्ष—आपने तो पूछा है कि किन राज्य सरकारों ने पूछ-ताछ की है ।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—तो क्या बम्बई सरकार ने भी कोई पूछ-ताछ की है और उस सम्बन्ध में बम्बई सरकार से कोई लिखा पढ़ी हुई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझा नहीं हमने किसी से सवाल किया नहीं । जिन लोगों ने सवाल किया उनके नाम मैंने दे दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष—वह पूछते हैं कि बम्बई ने कोई सवाल किया या नहीं ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सवाल किया होता तो उसका नाम मैं जरूर दे देता ।

श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसी सरकार ने यह भी लिखा है कि यह रिआर्गेनाइजेशन स्कीम काम में नहीं लायी जा सकती है, फेल हो जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी गुस्ताखी किसी सरकार ने नहीं की कि एक सरकार दूसरी सरकार को ऐसी राय देती ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जब इन प्रान्तीय सरकारों ने हमारी राज्य सरकार से पूछ-ताछ की तो क्या उत्तर में इस सरकार ने उनसे भी पूछा कि आपके यहां किस प्रकार पुनस्संगठन हो रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, हमने इसकी जरूरत नहीं समझी। उन्होंने हमारे सम्बन्ध में जानने की कोशिश की और दो राज्यों एक केरल और दूसरे राजस्थान ने अपने आफिसर्स को हमारी स्कीम समझने के लिए भेजा। अभी हाल में केरल सरकार अपने यहां कुछ पुनः संगठन करने जा रही है। उन्होंने अपने वहां एक वयेश्चनर निकाला। खासतौर से वहां के मुख्य मंत्री, श्री नम्बूदरीपद, ने मेरे पास उसको भेजा कि इस सम्बन्ध में आपकी क्या राय है। जो कुछ हमारी समझ में आया हमने अपनी राय भी भेज दी।

बिक्रीकर ऐडवाइजरी कमेटी की नियुक्ति

**११—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्होंने सेल्स-टैक्स इवेजन रोकने के उपाय बनाने के लिये और सेल्स-टैक्स ऐक्ट में आवश्यक संशोधन करने के लिये, जैसा गत बजट के समय घोषित किया गया था, कोई उप-समिति बनाई या अन्य कोई कदम उठाया ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—१९५७-५८ की मेरी बजट स्पीच में दिये गये आश्वासन के अनुसार सरकारी स्तर पर एक बिक्री-कर ऐडवाइजरी कमेटी नियुक्त की गई है और जैसे ही उसकी बैठक होगी वह एक कर से बच निकलने की रोक करने की एक उप-समिति (Anti-Evasion Sub-committee) बनायेगी। और इस उद्देश्य से कि उन खामियों को दूर किया जाय जिनकी वजह से कर लगने से बचा जा सकता है उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम १९५७ ई० पारित किया गया है जिसमें और बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए भी व्यवस्था है—

१—विघटित फर्म (Dissolved firm) पर भी बिक्री-कर देने का दायित्व बना रहेगा।

२—कर निर्धारक अधिकारी ऐसे व्यापारियों से, जिनका सद्भाव (Bona fides) सन्देहजनक हो, रजिस्ट्री का सर्टिफ़िकेट देने से पहले प्रतिभूति (Security) मांग सकता है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या सरकार के पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि अब भी सेल्स-टैक्स का इवेजन बड़े पैमाने पर हो रहा है जिससे ओनेस्ट डीलर्स को बड़ा अनफेयर कम्पिटीशन फ्रेस करना पड़ता है ?

श्री रऊफ जाफरी—हां, जरूर सेल्स-टैक्स का इवेजन हो रहा है और इसी वजह से यह कमेटी मुकर्रर हुई है। उसकी बैठक होने जा रही है उसमें सोचा जायगा और जो अधि-नियम अभी पास हुआ है उसके जरिये से कुछ रोकथाम भी हो रही है।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—मंत्री जी बतायेंगे कि सेल्स-टैक्स ऐडवाइजरी कमेटी की नियुक्ति कब हुई थी और इसकी बैठक कब होने जा रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—उसकी नियुक्ति तो कुछ दिन हुए हो गई और बैठक जनवरी के महीने में होने जा रही है।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस तरह से सेल्स-टैक्स के इवेजन के कारण १९५६-५७ के अन्त तक कितना धन फंसा हुआ है ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या मंत्री जी ऐडवाइजरी कमेटी के सदस्यों की सूची इस सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी—फ़ाइनेंस मिनिस्टर उसके चेयरमैन हैं। श्री ए० एन० सपरू, मेम्बर, बोर्ड आफ़ रेवेन्यू, वाइस चेयरमैन हैं। कमिश्नर सेल्स-टैक्स, या जब वह न रहें तो ऐडीनल कमिश्नर या डिप्टी सेल्स-टक्स कमिश्नर और श्री पी० एस० गुप्ता, लखनऊ मर्चेन्ट्स चम्बर की तरफ़ से, श्री शीतल प्रसाद, उत्तर प्रदेश मर्चेन्ट्स चेम्बर की तरफ़ से, श्री जयगोपाल, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश चेम्बर आफ़ कामर्स की तरफ़ से, श्री द्वारका प्रसाद, कानपुर कपड़ा कमेटी की तरफ़ से, श्री निरंजन लाल पोद्दार, नेशनल चेम्बर आफ़ इंडस्ट्रीज, आगरा की तरफ़ से, श्री सतेन्द्र कुमार गुप्ता, काशी व्यापार मंडल की तरफ़ से, श्री चिरंजी लाल नेवतिया, रिप्रेजेन्टेटिव, कानपुरशुगर मर्चेन्ट्स ऐसोसियेशन की तरफ़ से और श्री बी० बी० टंडन, डिप्टी सेक्रेटरी, फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश, सेक्रेटरी की हैसियत से इस कमेटी के सदस्य हैं।

इनके अलावा तीन लेजिस्लेचर के सदस्य हैं जिनके नाम हैं—

१—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा २—श्री छत्रपति अम्बेश, और ३—श्रीमती सज्जन देवी महनोत।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—इस ऐडवाइजरी कमेटी में उपभोक्ताओं की तरफ़ से भी कुछ लोग रखे गये हैं, अगर वे हैं तो कौन ?

श्री रऊफ जाफरी—जो इस कमेटी के मेम्बर हैं उनके नाम पढ़ दिये गये हैं, आप देख लें।

श्री भगवती सिंह विशारद—जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया, इस कमेटी की नियुक्ति अभी कुछ दिन हुए हुई है। मेरी जानकारी है कि इस कमेटी की नियुक्ति ३ महीने पूर्व हुई थी। तो क्या कारण है कि अभी तक इसकी मीटिंग नहीं बुलायी गई ?

श्री रऊफ जाफरी—बहुत से कारण हो सकते हैं। यहां इस वक्त उसको बतलाना मुमकिन नहीं है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय पुनस्संगठन योजना

**१२—श्री त्रिलोकी सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह सचिवालय पुनस्संगठन योजना को स्थगित या समाप्त करने जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह पुनर्संगठन योजना कब तक सम्पूर्ण हो जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तो काफी समय लगेगा। कहना मुश्किल है कि कितने दिन में इसका काम खत्म होगा।

रिहण्ड बांध की कार्य प्रगति

**१३—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या वित्त मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि रिहण्ड बांध के सम्बन्ध में अब क्या निर्णय हुआ है ?

श्री रऊफ जाफरी—रिहण्ड बांध पर काम चालू है। सरकार का निर्णय है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ही रिहण्ड बांध पर काम समाप्त कर दिया जाय।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस योजना में अब तक कितना धन व्यय हो चुका है और कितना होना बाकी है ?

श्री रऊफ जाफरी—इस वक्त तक ६ करोड़, ३२ लाख ७४ हजार रुपया लोन वाला खर्च हुआ और २ करोड़, ६४ लाख ८५ हजार रुपया जो वहां से डालर वाला मिला है वह खर्च हुआ है। कुल आप जानते ही हैं कि ४५ करोड़ का है। इस वक्त तक उसमें नम्बर २—ए ब्लाक बनकर बिलकुल तैयार हो चुका है और ब्लाक नम्बर ४, १६, १९ और २१ जो है वह करीब-करीब तैयारी पर है। इनके अलावा जो ट्यूब्स हैं जिनसे कि रिजर्वायर से पानी टर्बाइन में ले जाया जायगा वह मैन्युफैक्चर हो रहा है। ट्रांसमीशन लाइन्स बहुत-सी बन चुकी हैं यानी २,६४६ रूट माइल बन चुकी हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस रकम में से कितना रुपया केन्द्रीय सरकार से आ चुका है और कितना मिलने की आशा है ?

श्री रऊफ जाफरी—यह कुल रुपया कर्ज की शकल में केन्द्रीय सरकार से मिला है और इसमें से जितना इस वित्तीय वर्ष में खर्च होगा वह मिल जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को सूचना है कि केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री श्री एस० के० पाटिल ने लोक सभा में यह सूचना दी कि रिहैंड डैम योजना सेकेंड फाइव ईयर प्लान के हार्टकोर में नहीं है ? तो क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने अन्तिम सूचना क्या दी है ? सेकेंड फाइव ईयर प्लान में यह इन्क्लूडेड है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह चाहे हार्ट में हो चाहे लंग्स में हो कहीं भी हो लेकिन रिहैंड डैम योजना के अन्दर है इतना मुझे विश्वास है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि विनिमय सम्बन्धी जो कठिनाइयां थीं इस योजना में वह हल हो चुकी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे विश्वास है कि हल हो जायेंगी।

श्री गेंदा सिंह—क्या भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को विवश किया है कि कुछ और योजनाओं को रोक के तब रिहैंड डैम के लिये वह रुपया देगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि और योजनाओं को रोक कर के इसको किया जाय। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी का यह अपना विश्वास है या केन्द्रीय सरकार ने कोई सूचना प्रान्तीय सरकार के पास भेजी है कि यह सेकेंड फाइव-ईयर प्लान में इन्क्लूडेड है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब मैं विश्वास की बात कहता हूं तो किसी आधार पर ही कहता हूं।

सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज (सेवा-निवृत्ति वय)

**१४—श्री रामगोपाल गुप्त—क्या यह सही है कि सरकार सरकारी नौकरियों में अवकाश प्राप्त होने की आयु जो हाल ही में ५८ वर्ष कर दी गई थी उसको कम करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कितनी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री रामगोपाल गुप्त—क्या यह सत्य है कि अवकाश प्राप्त करने की आयु बढ़ जाने से जिन सरकारी कर्मचारियों की परमानेंसी और प्रोमोशन पर असर पड़ा है उनमें बड़ा असन्तोष है ? यदि हां, तो उस असन्तोष को दूर करने क लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे किसी ऐसे असंतोष का पता नहीं, इसलिये दूर करने का सवाल मेरे लिये पैदा नहीं होता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या प्रान्तीय सरकार से इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई लिखा-पढ़ी हुई ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या राय है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आज तक मेरे पास केन्द्रीय सरकार से इस विषय में एक भी पत्र नहीं आया।

सूखा-पीड़ित क्षेत्रों में सहायता

**१५—श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह प्रदेश के सूखा-पीड़ित क्षेत्र की जनता को राहत देने के बारे में क्या करने को सोच रही है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—

१—वाराणसी
२—जौनपुर
३—मिर्जापुर
४—गाजीपुर
५—बलिया
६—गोरखपुर
७—बस्ती
८—आजमगढ़
९—देवरिया
१०—फजाबाद
११—बहराइच
१२—गोंडा
१३—सुल्तानपुर
१४—प्रतापगढ़
१५—इलाहाबाद

प्रदेश के पार्श्वलिखित सूखा ग्रस्त जिलों में सहायतार्थ सरकार द्वारा किये गये तथा किये जाने वाले कार्यों का विवरण संक्षेप में निम्न प्रकार है :

१—प्रभावित जनता को सहायतार्थ निर्मूल्य सहायता वितरण किये जाने के हेतु १३,०९,०७२ रु० की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है जिसका जिलेवार विवरण सूची १ में दिखा दिया गया है।

२—निर्धन विद्यार्थियों से जिनके पिता या संरक्षक को शिक्षा शुल्क देने में कठिनाई है शुल्क महीने के लिये बिल्कुल नहीं लिया जायेगा या केवल आधा लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये आदेशों की प्रति संलग्न कर दी गई है। इस प्रकार शुल्क मुक्त से शिक्षा संस्थाओं को जो हानि होगी उसकी प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा सहायक अनुदान (Grant-in-aid) के रूप में की जायेगी। इस हेतु २३,२५,००० रु० की अग्रिम धनराशि जिलाधीशों के अधिकार में रख दी गई है। जिलेवार विवरण सूची १ में उपलब्ध है।

३—जीविका उपार्जन हेतु स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिये जिलाधीशों को आदेश दिये गये हैं तथा यह कहा गया है कि जहां पर आवश्यकता हो वहां पर सहायता कार्य खोले जायं। इन आदेशों की ओर अभी हाल में फिर ध्यान आकृष्ट करा दिया गया है। इस सम्बन्ध में दिये गये आदेशों की प्रतियां संलग्न कर दी गई हैं।

४—जहां-जहां से प्रस्ताव आये हैं और आवश्यकता समझी गई है वहां पर सहायता कार्यों के खोलने के लिये धन स्वीकृत किया गया है। इस हेतु अब तक ७,७५,००० रु० की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। जिलेवार विवरण संलग्न सूची १ में दिखा दिया गया है। इन आदेशों के अतिरिक्त यह आदेश दे दिये गये हैं कि प्रयोग कार्यों के द्वारा जहां तक सम्भव हो सके तालाबों को गहरा करने तथा जल-कुम्भियों को दूर करने के कार्य टेक्निकल राय लेने के पश्चात् किये जायं। सम्बन्धित आदेशों की प्रति संलग्न कर दी गई है।

४--अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में मोटे अनाज का निर्मूल्य वितरण किये जाने क आदश जारी कर दिये गय हैं। निर्धन, निःसहाय तथा वृद्ध विपत्ति-ग्रस्त जनता को ८ छंटाक प्रति वयस्क तथा ४ छंटाक प्रति बच्चे की दर से निर्मूल्य दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों की एक प्रति संलग्न कर दी गई है।

५--घटी हुई दरों पर मोटे अनाज की बिक्री की जाने का प्रबन्ध किया गया है। इस प्रकार सस्ते दामों पर अनाज की बिक्री से हुई हानि को सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में वहन किये गये धन का विवरण संलग्न तालिका २ में दिखा दिया गया है। सस्ते दर पर विकृत अनाजों की दरों में स्थिति को देख कर परिवर्तन कर दिया गया है। १ जनवरी, सन् १९५८ से दर इस प्रकार कर दी गई है :—

चना .. ३ सेर ८ छंटाक प्रति रुपया।
जौ .. ३ सर १० छंटाक प्रति रुपया।
बेझड़ .. ३ सेर ८ छंटाक प्रति रुपया।

इसके अतिरिक्त बाजरा व मक्का का भी सस्ते दामों पर बिक्री का प्रबन्ध किया जा रहा है।

७--विपत्तिकालीन तकावी तथा ऋण के वितरण के लिये जिलाधीश के अधिकार में कुल ५८,००,५०० रु० की धनराशि रख दी गई है। जिलेवार विवरण संलग्न सूची १ में दिखा दिया गया है।

कठकुइयों (देशी प्रकार का कुआं) के लिये ५० रुपया प्रति कुएं की दर से स्वीकृत किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। कुएं तैयार होने के पश्चात् स्वीकृत धन की १५ प्रतिशत राज्य-सहायता के रूप में मुक्त कर दिया जायेगा। संबंधित आदेशों की †प्रति संलग्न कर दी गई है।

श्री गौरीशंकर राय--पिछले महीनों से अगले महीनों में स्थिति अधिक संकटमय और गम्भीर होने वाली है, ऐसी स्थिति में मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फीस की जो रियायत पिछले ३ महीनों में की गयी ह उसको अगले महीनों के लिए खत्म क्यों कर दिया ?

श्री चरण सिंह--फीस की माफ़ी अगर बारीक दृष्टि से देखा जाय तो वह सहायता कार्य में आ नहीं सकती है, क्योंकि हमने दो साल पहले भी ऐसा किया था। इस साल भी ३ महीने किया, इसलिये एक दम उसको बन्द करना मुनासिब नहीं समझा और दूसरा कारण यह है कि अपनी आर्थिक मजबूरियां।

श्री गौरीशंकर राय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्थिति अधिक गम्भीर होने के बाद अपनी आर्थिक मजबूरियों को आपने केवल इस फीस के आइटम पर ही क्यों लगाया ?

श्री अध्यक्ष--इसका तो जवाब दिया जा चुका है; यह बहस है।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब वे पूर्वी जिलों के दौरे पर गये थे तो उन्होंने जिलाधीशों को आदेश दिया था कि वह देख कर के जांच करके तुरन्त टेस्ट वर्क्स चालू कर दें ?

श्री चरण सिंह--मुझे ठीक याद नहीं है। किसी जिलाधीश से जिक्र आया होगा तो मैंने जरूर कहा होगा, क्योंकि स्टैंडिंग आर्डर्स इस तरह के हैं और जो आर्डर्स जिले में जारी हो चुके हैं उनकी प्रतियां मैंने संलग्न कर दीं।

---

† छापी नहीं गई।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो ५८,००,५०० रुपया तकावी के लिये जिलाधीशों के अधिकार में दिया गया है उसमें से १५ दिसम्बर तक कितना बांटा गया है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, यह इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय मंत्री जी ने जो यह मोटे अनाज के निःशुल्क वितरण करने का आदेश संलग्न किया है, उसमें दूसरे आदेशों का भी जिक्र है, तो मैं जानना चाहूंगा कि इस शासन आज्ञा में किन-किन व्यक्तियों को निर्धारित किया गया है कि उन्हें निःशुल्क मिलेगा ?

श्री चरण सिंह—उनका जिक्र मोटेरूप से मैंने जवाब में कर दिया है, जो मैंने दिया है।

श्री राजनारायण—क्या पूर्वी जिलों की दयनीय आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार अब भी आगे विद्यार्थियों की फीस माफ करने की बात सोच सकती है ?

श्री चरण सिंह—जो आदेश जारी हो चुके हैं उनमें मैं परिवर्तन का विचार नहीं रखता।

तारांकित प्रश्न

बहराइच जिले में नानपारा-रुपईडीहा सड़क का निर्माण-कार्य

*१—श्री बुद्धिलाल (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या बहराइच जिले में नानपारा कस्बे से रुपईडीहा शिवपुर बाजार, मिहीनपुरवा एवं कतरनियाघाट तक पक्की रोड बनाने की कोई योजना उसके विचाराधीन है या वह स्वीकार कर चुकी हैं ? यदि हां, तो उक्त सड़कें कितने समय में तैयार हो जायेंगी ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—द्वितीय योजना के अन्तर्गत नानपारा-रूपईडीहा सड़क पर काम चालू है और आशा की जाती है कि यह सड़क १९६० तक बन कर तैयार हो जायगी। शिवपुर बाजार, मिहीनपुरवा एवं कतरनिया घाट तक पक्की सड़क के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कानपुर जिले में बनने वाली पक्की सड़कें

*२—श्री व्रजविहारीलाल मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई पक्की सड़क बनने वाली है ? यदि हां, तो उसमें कब से काम शुरू हो जायगा और कितने मील पक्की सड़कें बनेंगी ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग— जी हां।

द्वितीय भाग—यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२४ पर)

*३—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार कानपुर जिले की उन पक्की सड़कों को अपने हाथ में लेगी जिनका निर्माण ग्राम वासियों ने "राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र" द्वारा दिये गये अनुदानों की सहायता से किया है ?

श्री गिरधारीलाल—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*४—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ऐसी कितनी और कौन-कौन सड़कें हैं और उनकी लम्बाई क्या है ?

श्री गिरधारी लाल—सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दरा-मंगलपुर सड़क पर क्या काम हो रहा है ?

श्री गिरधारी लाल---यह सड़क पहली पंचवर्षीय योजना में अधूरी रह गयी थी, सो उसको पूरा किया जा रहा है इसके अन्दर।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गंगा नहर की सीमेंट की पटरी कहां से कहां तक बनायी जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल---मेरा खयाल है कि मेरे से ज्यादा प्रश्नकर्ता को इसकी वाक-फियत होगी; मैं तो जैसा प्रश्न के उत्तर में लिखा है उतना ही बता सकूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी संलग्न सूची पढ़कर सुना देंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह सूची काफी बड़ी है, मैं समझता हूं कि बाद में आप मंत्री जी से ले लें। इसमें समय जायगा।

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बिल्हौर-रसूलाबाद सड़क के बनाने की कोई योजना इस वक्त है ?

श्री गिरधारीलाल---इसके लिये सूचना की जरूरत है।

सहकारी विभाग के एडीशनल रजिस्ट्रारों की योग्यतायें तथा कार्य

*५---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहकारी विभाग में जो अधिकारी, एडीशनल रजिस्ट्रार के पदों पर काम करते हैं उनमें से किसके जिम्मे क्या काम है तथा उन कामों के करने के लिये उनकी क्या विशेष योग्यताएं तथा अनुभव हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---सहकारी विभाग में इस समय तीन अधिकारी सर्व श्री नरेन्द्र शंकर माथुर, मणिशंकर मिश्र और शशिभूषण सरन एडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर कार्य कर रहे हैं। इनके जिम्मे कार्य की सूची संलग्न है। सर्व श्री माथुर और शशिभूषण सरन, पी० सी० एस० होने के अतिरिक्त वर्तमान पद पर नियुक्त होने से पूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्य कर चुके हैं। इन दोनों अधिकारियों को सामान्य प्रशासन का भी अनुभव है। श्री माथुर को उपर्युक्त पद पर नियुक्ति के पूर्व जिला नियोजन अधिकारी के रूप में २ १/२ वर्ष का सहकारिता का अनुभव रहा है वह आई० एल० ओ० की एक सहकारिता सेमीनार में भी भाग ले चुके हैं। तीसरे अधिकारी, श्री मणीशंकर मिश्र, बी० काम० हैं तथा एडवांस बंकिंग में विशेष योग्यता रखते हैं। वे विभाग में ३० वर्ष से कार्य कर रहे हैं और ९ वर्ष से उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के जनरल मैनेजर भी हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२५ पर)

विदेशों में प्रशिक्षित सहकारी विभाग के अधिकारी

*६---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहकारी विभाग में विदेशों में अध्ययन के लिये सरकार की तरफ से भेजे गये अधिकारी जिन विषयों की ट्रेनिंग लेकर आये हैं उन्हीं विषयों से सम्बन्धित पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी उन कर्मचारियों की सूची पेश करेंगे जिसमें जिनको विदेश में शिक्षा के लिये भेजा गया उनके वर्तमान काम का विवरण है ?

श्री मोहनलाल गौतम---श्री पी० एल० बिसरिया कोआपरेटिव मार्केटिंग तथा ऐग्रीकल्चरल क्रेडिट की ट्रेनिंग पाये हैं और उप-रजिस्ट्रार सहकारी समिति के इस समय हैं। श्री जे० पी० शुक्ला ऐग्रीकल्चरल कोआपरेशन की शिक्षा पाये हैं और रिजर्व बैंक आफ इंडिया में काम कर रहे हैं। श्री आर० पी० माथुर ऐग्रीकल्चरल कोआपरेशन में शिक्षा पाये थे और कोआपरेटिव फार्मिंग के सहकारी रजिस्ट्रार हैं। श्री एन० के० भार्गव डेरी टैक्नोलोजी में शिक्षा पाये थे और डेरी डेवलपमेंट आफिसर हैं और श्री डी० एस० सारस्वत ऐग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स में शिक्षा पाये थे और मेरठ में कोआपरेटिव डेरी के मैनेजर हैं।

आजमगढ़ जिले में कथित हाउसिंग कमेटी

*७---श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कोई हाउसिंग कमेटी बनी है, यदि हां, तो कब से ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सरकार की सूचना के अनुसार ऐसी कोई कमेटी नहीं बनी है।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि समिति न बनने का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, हाउसिंग कमेटी के नाम की कोई चीज बनती नहीं है; या तो हाउसिंग एलाटमेंट कमेटी होती है या फिर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी होती है। इसलिये इसके सिवाय और कुछ कहना संभव नहीं था कि एसी कोई कमटी नहीं बनी है।

श्री मुक्तिनाथ राय---मैं सूचना के लिये बतलाना चाहता हूं कि मेरे जिले में एक कमेटी बनी थी दो साल पहले जिसके एक गैरसरकारी अध्यक्ष थे श्री शिवराम राय।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, यह सूचना आप भेज दीजिये।

श्री मुक्तिनाथ राय---उसका मतलब, श्रीमन्, यह था कि वह शहर में मकान बनाने के लिये सहकारी अनुदान दिया जायगा और इमारतें बनेंगी। अब उसका नाम हाउसिंग कमेटी है या क्या, इसकी जानकारी मुझको नहीं है।

श्री अध्यक्ष---तो वह सूचना आप बाद में दे दीजियेगा और जानकारी ले लीजियेगा।

*८---श्री राघवेंद्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)---[७ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

गोंडा जिले में सहकारी विभाग के अन्तर्गत गबन के मामले

*९---श्री राघवेंद्रप्रताप सिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गोंडा में सहकारी विभाग के कहां-कहां, कितने-कितने और किस-किस प्रकार के गबन के मामले पिछले तीन वर्षों में पकड़े गये और उन पर क्या कार्यवाही हुई या हो रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--गबनों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३२६-३२७ पर)

श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो ब्योरा इस सूची में दिया गया है इसके अलावा कोई ऐसे भी केसेज हैं जो डिपार्टमेंटली तय किये गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसकी मुझे तो कोई इत्तला नहीं है। अगर माननीय सदस्य कोई इत्तला देंगे तो मैं उसकी जांच कर सकता हूं।

गोंडा जिले में सहकारी बीज गोदामों में रबी का बीज

*१०--श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गोंडा में इस समय किन-किन सहकारी बीज गोदामों में कितना रबी का बीज बन्द है और उसमें ए, बी तथा सी श्रेणी का क्या-क्या अनुपात है ?

श्री मोहनलाल गौतम--विवरण संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३२८-३२९ पर)

श्री राघवेंद्रप्रताप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी बीज गोदामों में जो गल्ला रहता है इसका श्रेणी विभाजन किस अधिकारी द्वारा किया जाता है ?

श्री मोहनलाल गौतम--सीड स्टोर के सुपरवाइजर वहां आमतौर से रहते हैं वे ही करते हैं और जिसके अन्डर वह वर्क होता है वह उसका सुपरविजन देखता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि कोआपरेटिव सीड स्टोर के सुपरवाइजर ऐग्रीकल्चर के स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं तो वे किस आधार पर गल्ले का ए, बी, सी ग्रेड में विभाजन करते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--इन सीड स्टोर्स की देख-रेख के लिये ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से एक बहुत बड़ा अफसर है और उसका एक सहायक भी है। उन्हीं के हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है।

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह--ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जब एक पोस्ट एकोनामिक बोटैनिस्ट की इसीलिये खासतौर से है तो उसके द्वारा यह काम क्यों नहीं कराया जाता है ?

श्री मोहनलाल गौतम--हमने ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से एक अफसर लिया है और जो उन्होंने भेजा है उसी के मार्फत यह काम होता है। अगर ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कोई दूसरा अफसर दे दे तो हमें कोई एतराज नहीं होगा।

ललितपुर सब-डिवीजन में म्युनिसिपल बोर्ड के चुनावों के विरुद्ध पेटीशन्स के फैसले

*११--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार म्युनिसिपल बोर्ड के गत आम चुनाव के समय ललितपुर सब-डिवीजन में किये गये चुनाव पिटीशन के संबंध में दिनांक ३० जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के क्रम में यह बताने की कृपा करेगी कि ललितपुर सब-डिवीजन (झांसी) में म्युनिसिपल बोर्ड के गत चुनाव के विरुद्ध जो पांच पिटीशन २४ नवम्बर, १९५३, १५ मार्च, १९५४ तथा १ अप्रैल, १९५४ को दायर हुये थे उनके निर्णय हुये या नहीं ? यदि हां, तो कब ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां।

इन पांचों याचिकाओं के विवरणों की एक प्रति माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३३० पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर नगरपालिका से संबंधित पेटीशन का फैसला होने में सवा तीन साल का लम्बा अर्सा क्यों लगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसका कारण यह था कि पहले ट्रिब्युनल का तबादला हो गया होगा। उसके बाद जो नये सज्जन आये थे उन्होंने देरी अवश्य की, लेकिन जहां तक सरकार का संबंध है उसने कई पत्र हाईकोर्ट को लिखे कि इसका जल्दी फैसला कर दिया जाय लेकिन फिर भी उसमें देरी तो हुई ही।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कितनी अवधि तक वह पेटीशन इस ट्रिब्युनल के समक्ष रही ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने तीन साल शायद बताया तो है।

*१२-१३--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--[७ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

मौदहा, जिला हमीरपुर में प्राविंशियल कोआपरेटिव फेडरेशन के डिपो इंचार्ज द्वारा गबन

*१४--**श्री रामगोपाल गुप्त**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मौदहा, जिला हमीरपुर में प्राविंशियल कोआपरेटिव फेडरेशन के डिपो इंचार्ज द्वारा वहां के हिसाब में गड़बड़ी करने तथा अन्य अनियमितताओं को करने के कारण उसे बरखास्त किया गया है ? यदि हां, तो कितने रुपये की गड़बड़ी की गयी और अन्य आरोप क्या हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--इंचार्ज को बरखास्त नहीं किया गया बल्कि उसकी सेवायें समाप्त की गयी हैं। उसने ४,५३४ रु० ८३ न० पै० की गड़बड़ी की और संक्षेप में उसके विरुद्ध निम्नलिखित आरोप हैं--

१--उसकी लापरवाही से कपड़े की एक गांठ गायब हो गई।
२--स्टाफ की जांच करने पर ३,२९५ रु० २ अ० ९ पा० की कमी पायी गयी।
३--हिसाब में गड़बड़ी करके अन्य रुपये और वस्तुओं का ग़बन किया।

*१५--**श्री रामगोपाल गुप्त**--क्या उक्त धनराशि को सरकार बरखास्तशुदा कर्मचारी की चल तथा अचल सम्पत्ति से वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

श्री मोहनलाल गौतम--उक्त धनराशि का अधिक भाग वसूल किया जा चुका है और शेष के लिये प्रयत्न जारी है।

*१६--**श्री रामगोपाल गुप्त**--क्या यह सत्य है कि उक्त बर्खास्तशुदा कर्मचारी सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक महोबा का मौदहा क्षेत्र में आनरेरी ट्रेजरर है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां।

श्री रामगोपाल गुप्त--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गबन का पता लगने पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--जब गबन का पता चला तो विभागीय जांच की गयी और उसके बाद २०-१२-५५ को उसे मुअत्तल कर दिया गया। उसके बाद उसकी अपील

प्राविंशियल मार्केटिंग फेडरेशन में गयी और उन्होंने उसकी अपील सुन कर बरखास्तगी के बजाय सेवायें खत्म करने का आदेश दे दिया। इसलिये मुकदमा चलाने की बात हमारे सामने नहीं रही।

श्री रामगोपाल गुप्त--क्या सरकार यह बतायेगी कि ऐसे व्यक्ति को सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक का ट्रेजरर बनाना खतरे से खाली नहीं है? और अगर खतरा है तो उसे ट्रेजरर क्यों बनाया गया है?

श्री मोहनलाल गौतम--मुहकमे को यह चीज नापसन्द है और उन्होंने २१-९-५७ को और २८-९-५७ को सेंट्रल बैंक को यह आदेश दिया है कि इसको हटा दिया जाय और आशा है कि वह हटा दिये जायंगे।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसी कर्मचारी की सेवायें खत्म करने या उसको बरखास्त करने में क्या अन्तर है?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप को स्वयं समझ लेना चाहिये।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस व्यक्ति से जो गबन का रुपया था वह वसूल हो गया या नहीं?

श्री मोहनलाल गौतम--४,५३४ रु० ८३ न० पै० थे और उसमें से ४,१६५ रुपये वसूल हो गये हैं और ३६९ रुपये बकाया है।

श्री बलदेव सिंह--यह जो बकाया है उसे वसूल करने के लिये सरकार ने क्या तरीका अख्तियार किया है?

श्री मोहनलाल गौतम--कोशिश की जा रही है और आशा है कि शीघ्र ही वसूल हो जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब गबन का पता चला तो यह केस किसी कोर्ट के अधीन क्यों नहीं किया गया?

श्री अध्यक्ष--उत्तर दिया जा चुका है?

आजमगढ़ तथा वाराणसी जिलों में नवीन रेलवे लाइनें निकालने की प्रार्थना

*१७--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार कृपा करके केंद्रीय सरकार का ध्यान इस ओर दिलायेगी कि १९०४ ई० में जो रेलवे लाइन आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत आजमगढ़, कन्धरापुर, कप्तानगंज, कोड़िया, अतरौलिया होते हुये अकबरपुर तक बनन वाली थी किन्तु बाद में स्थगित कर दी गयी थी उसको पुनः बनाने का कार्य आरम्भ किया जाय?

श्री गिरधारीलाल--राज्य सरकार ने आजमगढ़-टांडा रेलवे लाइन के द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्माण के लिये एक प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को फरवरी, १९५५ में भेजा था।

*१८--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार केंद्रीय सरकार को यह सुझाव देने की कृपा करेगी कि एक रेलवे लाइन बनारस से चनवक घाट होते हुये लालगंज, मोहम्मदपुर, आजमगढ़, मुबारकपुर, अजमतगढ़, दोहरीघाट, होते हुये गोरखपुर तक बनायी जाय?

श्री गिरधारी लाल--राज्य सरकार ने रानी की सराय-वाराणसी और आजमगढ़-दोहरीघाट नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये भी केंद्रीय सरकार को फरवरी, १९५५ में प्रस्ताव भेज रखे हैं।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें कोई सूचना केंद्रीय सरकार के द्वारा मिली है कि इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गिरधारीलाल--इस बात की कोई सूचना नहीं मिली।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार इस पिछड़े जिले की विशेष परिस्थिति को देखते हुये केंद्रीय सरकार से अनुरोध करेगी कि दो साल हो जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ, इसलिये काम शुरू किया जाय ?

श्री गिरधारी लाल--केंद्रीय सरकार से इस बात की उम्मीद नहीं है क्योंकि जहांतक रेलवे लाइनों का संबंध है, वे जहां कोल या लोहे के विकास के लिये उनकी जरूरत है उनको वहीं बिछा रहे हैं, इसके अलावा जहां आपरेशनल परपजेज के लिये जरूरत है वहां ले जाते हैं। यह जिला इस कैटेगेरी में नहीं आता इसलिये हमें उम्मीद नहीं है और इसीलिये उन्हें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं महसूस होती।

*१९-२१--श्री भगवती सिंह विशारद--[७ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

बांदा जिले में बनने वाली सड़क

*२२--श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में चालू वित्तीय वर्ष में जो बीस मील सड़क निर्माण की जायगी वह किन-किन स्थानों से होकर गुजरेगी ?

श्री गिरधारीलाल--चालू वित्तीय वर्ष में बांदा जिले में १५ मील १ फर्लांग ५७ फीट सड़क निर्माण की योजना है। इसका विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३३१ पर)

श्री जगपतिसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना प्रश्न वन विभाग से किया था पी०डब्ल्यू०डी० से नहीं किया था। वन विभाग से ही अनुदान उस सड़क के लिये दिया गया था।

श्री अध्यक्ष--आप दूसरा सवाल भेज दीजियेगा।

बांदा जिले में सलेंदर तथा सरकारी जंगल के भीतर अन्य तालाबों को गहरा करने की आवश्यकता

*२३--श्री जगपतिसिंह--क्या सरकार बांदा जिले के सलेंदर तथा सरकारी जंगल के अन्दरवाले अन्य तालाबों को इसी वर्ष गहरा कराने का विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी नहीं।

*२४--श्री जगपति सिंह--[७ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*२५-२६--श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह--[७ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*२७-२८--श्री बलदेव सिंह--[२६ दिसम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ७७-७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में अस्थायी कर्मचारी

*२९--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू०डी० के चीफ इंजीनियर के आफिस में ऐसे कर्मचारी कितने हैं जो दस वर्ष या इससे भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं, फिर भी कन्फर्म (स्थायी) नहीं हुये हैं ?

श्री गिरधारीलाल--मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में १६ कर्मचारी १० या अधिक वर्षों से काम कर रहे हैं और अभी स्थायी नहीं किये जा सके।

*३०--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--७ वर्षों या इससे ज्यादा समय से काम करने वाले ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो अभी स्थायी नहीं हुये ?

श्री गिरधारीलाल--उपरोक्त कार्यालय में ४७ ऐसे लोग हैं जो ७ वर्षों या इससे अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और अभी स्थायी नहीं किये जा सके।

*३१--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या यह सही है कि उपर्युक्त विभाग में ही कुछ चपरासी ऐसे हैं जो लगभग १५ वर्षों से काम कर रहे हैं लेकिन अभी स्थायी नहीं हुये हैं ? उनकी संख्या क्या है ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं, मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में ऐसा कोई चपरासी नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय निर्माण मंत्री ने जो अभी बतलाया कि १६ कर्मचारी १० वर्षों से स्थायी नहीं किये गये हैं और ४७ जो इधर ७ वर्षों से काम कर रहे हैं, वे स्थायी नहीं किये गये हैं, तो क्या वे बतलायेंगे कि उनके स्थायी न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल--उसके कई कारण हैं। पहला तो यह है कि उनका जो अभी तक का काम है वह संतोषजनक नहीं है और दूसरे अभी कैडर के अन्दर जगह खाली नहीं है जहां पर उनको ऐबजार्ब किया जा सके।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका काम असंतोषजनक पाया गया और उनको सस्पेंड किया गया ?

श्री गिरधारीलाल--सस्पेंड किसी कर्मचारी को नहीं किया गया है।

खीरी जिले में अदालती पंचों की नामजदगी के संबंध में शिकायतें

*३२--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले वर्ष खीरी जिले में अदालती पंचों की नामजदगी के संबंध में सरकार को जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं व क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--शासन को यह शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि योग्य व्यक्तियों को न्याय पंचायत का पंच नहीं मनोनीत किया गया, अपितु दलबन्दी के आधार पर अयोग्य व अशिक्षित व्यक्तियों को मनोनीत किया गया। साथ ही यह भी शिकायत की गयी कि एक परगनाधीश द्वारा जिलाधीश को भेजी जाने वाली सूची में अयोग्य व्यक्ति सम्मिलित थे।

*३३--श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव--इन शिकायतों की जांच की गयी किन्तु जांच के उपरान्त किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार बतायेगी कि तहसील लखीमपुर में कितने प्रतिशत अशिक्षित पंच नामजद किये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव--माननीय सदस्य स्वयं भी इस कमेटी के सदस्य थे। सरकार के इल्म में ऐसी चीज नहीं है। माननीय सदस्य ने एक शिकायत की थी। उस वक्त यह लिखा गया था कि स्पेसिफिक नाम बताने का कष्ट करिये।

श्री जगन्नाथ प्रसाद---मैं लखीमपुर तहसील का सदस्य नहीं था बल्कि मैं निघासन तहसील का था। तो मैं लखीमपुर का जानना चाहता हूं कि वहां पर कितने अशिक्षित पंच नामजद किये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार के इल्म में ऐसा कोई नाम नहीं है। मैंने अभी निवदन किया कि आपकी शिकायत पर यह लिखा गया था कि स्पेसिफिक नाम आना चाहिये।

खीरी जिले की टाउन एरियाओं को सहायता न मिलना

*३४---श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में खीरी जिले के टाउन एरियाओं को कितनी सहायता दी गयी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में खीरी जिले के टाउन एरियाओं को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी।

*३५---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---[७ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में थाना मधुबन के अन्तर्गत ग्राम नहरपुर में दफा १०७/११७ के कथित मुकदमे

*३६---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ के गांव नरहरपुर में कितने व्यक्तियों पर इस समय दफा १०७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कब से मुकदमा चल रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर---इस समय थाना मधुबन, जिला आजमगढ़, ग्राम नरहरपुर के किसी व्यक्ति पर दफा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कोई मुकदमा नहीं चल रहा है।

*३७-३९---श्री प्रतापसिंह---[७ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

मैनपुरी जिले में धिरोर-कुरावली-अलूपुरा घाट सड़क की आवश्यकता

*४०---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह मनपुरी जिल में धिरोर से कुरावली तक और कुरावली से अलूपुरा घाट तक पुख्ता सड़क बनाने का विचार रखती है ?

श्री गिरधारीलाल---द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस सड़क को बनाने का कोई विचार नहीं है।

*४१---श्री गनेशचन्द्र काछी---यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल---प्रश्न नहीं उठता।

सप्लाई अफसरों पर कथित मुकदमे

*४२---श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ऐसे सप्लाई आफिसर कितने हैं जिनपर इस वक्त सरकार की तरफ से अदालतों में मुकदमें चल रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---कोई नहीं।

*४३-४४---श्री जगदीशशरण अग्रवाल---[३० दिसम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ८४---८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या ३३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*४५—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[७ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४६—श्री मोतीलाल अवस्थी—[७ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

कानपुर की दुग्ध परिषद् के हिसाब का प्रबन्ध

*४७—श्री मोतीलाल अवस्थी—कानपुर की दुग्ध परिषद् पर सरकार का नियंत्रण क्या है तथा उसके हिसाब की जांच का निरीक्षण सरकार किस प्रकार करती है ?

श्री मोहनलाल गौतम—सरकार अपने विभागीय अधिकारियों द्वारा उसके कार्य का निरीक्षण और हिसाब की जांच कराती है । यह आवश्यकता होने पर परिषद् के संचालक मंडल को भंग करा सकती है तथा परिषद् को ही विघटित करा सकती है । परिषद् के हिसाब की जांच चीफ़ आडिट आफ़िसर, कोआपरेटिव सोसाइटीज़ एवं पंचायतराज के द्वारा होती है ।

कानपुर जिले के रूरा ग्राम में टाउन एरिया का स्थापित न होना

*४८—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या स्वाशासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या सरकार ग्राम रूरा (कानपुर) में टाउन एरिया स्थापित करने पर विचार कर रही ह ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—रूरा में टाउन एरिया स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा चुका है और यह निर्णय हुआ कि रूरा में टाउन एरिया न बनायी जाय ।

इटावा जिले में यमुना पर शेरगढ़ घाट के पुल की आवश्यकता

*४९—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला इटावा तहसील औरैया में यमुना नदी पर शेरगढ़ घाट पर पुल बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं ।

बस्ती जिले में बांसी घाट पुल पर से गुजरने वालों से टोल टैक्स की वसूली

*५०—श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि क्या बांसी घाट (बस्ती) पर किसी सवारी पर जैसे साइकिल आदि पर चढ़कर आने वाले व्यक्तियों से पुल की मल्लाही (टोल टैक्स) वसूल किया जाता है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां ।

जालौन जिले के ईंटों और अमखेड़ा के न्याय पंचायत मंत्रियों के संबंध में पूछताछ

*५१—राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार द्वारा पंचायत मंत्रियों को उनके निवास स्थानों की अदालतों में कार्य करने के आदेश हैं ? क्या सरकार को मालूम है कि जिला जालौन के ईंटों और अमखेड़ा क्षेत्र में पंचायत मंत्री उसी क्षेत्र में नियुक्त हैं जिनमें उनका निवासस्थान पड़ता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं, जिला जालौन के ईंटों और अमखेड़ा न्याय पंचायत के क्षेत्रों में जो पंचायत मंत्री इस समय कार्य कर रहे हैं, वे इन्हीं क्षेत्रों के निवासी नहीं हैं ।

*५२-५३—श्री हरकेश बहादुर (जिला प्रतापगढ़)—[७ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किय गये ।]

जालौन जिले के लिये कोयले का बन्टन

*५४—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में जलाये जानेवाला कोयला (soft coke) कुल कितना वार्षिक अलाट (allot) किया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर—४८ वैगन प्रतिवर्ष ।

उन्नाव जिले के सैलाबी क्षेत्र में सस्ते अनाज की दूकानें न खुलना

*५५—चौधरी खजानसिंह (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह जिला उन्नाव के सैलाबी क्षेत्र में सस्ते गल्ले की दूकान खोलने का कब से विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—जिला उन्नाव में सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा परन्तु आमतौर पर गल्ले के भाव गिरने के कारण वहां पर दूकान खोलने का इस समय कोई विचार नहीं है ।

*५६—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—[२३ दिसम्बर, १९५७ को प्रश्न संख्या ९१ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

जौनपुर जिले में गोमती पर पिलकिछा के निकट पुल की आवश्यकता

*५७—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जौनपुर जिले में गोमती नदी पर शाहगंज तहसील के पिलकिछा ग्राम में कोई पुल बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं ।

*५८—श्री रामसुन्दर पांडेय—[७ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५९—श्री रामसुन्दर पांडेय—[७ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड तथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा बनवाये गये क्वार्टरों का बन्टन

*६०—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड तथा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने अपने कम-वेतन भोगी (लो पेड) कर्मचारियों के लिये कितने नये क्वार्टर इस वर्ष बनवाये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वर्तमान वर्ष में अभी तक इस प्रकार के क्वार्टर नहीं बनवाये गये ।

*६१—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी—क्या स्वशासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्वार्टर किस आधार पर दिये गये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—पिछले वर्ष में बनवाये गये क्वार्टर हायर परचेज सिस्टम (Hire purchase system) पर दिये गये थे ।

*६२—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनमें से कितने क्वार्टर्स ऐसे हैं जो इसी नगर के रहनेवाले कर्मचारियों को दिये गये हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—पिछले वर्ष बनवाये गये क्वार्टरों का आबंटन (allotment) जब किया गया था तो यह देखा गया था कि कर्मचारी का निजी मकान लखनऊ में है या नहीं । वे कर्मचारी लखनऊ के स्थायी निवासी हैं या नहीं, यह जांच करने की आवश्यकता नहीं थी ।

*६३-६४—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)—[७ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६५-६६—राजा यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—[१ जनवरी, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ४०-४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*६७—श्री नन्दकुमारदेव वशिष्ठ—[७ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६८-६९—श्री गौरीशंकर राय—[७ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

बलिया नगरपालिका के ड्रेनेज निर्माण-कार्य के लिये प्रार्थना

*७०—श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार बलिया नगरपालिका के ड्रेनेज निर्माण के कार्य को पूरा करने का विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं, क्योंकि यह योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्मिलित योजनाओं में नहीं आती । आर्थिक संकट के कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित अधूरी पड़ी हुई योजनाओं के लिये ही धन का प्रबन्ध करना बहुत कठिन हो रहा है, अतः इस योजना पर उन योजनाओं के पूरा होने के बाद विचार होगा ।

महंगाई भत्ते के संबंध में स्थानीय निकायों को आदेश

*७१—श्री त्रिलोकी सिंह—क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारियों, जिनका वेतन ७० रु० तक था, को महंगाई में ५ रु० मासिक वृद्धि अब तक न देने का क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—१ अगस्त, १९५७ से स्थानीय निकायों के ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों के जिनकी मासिक उपलब्धियां ९५ रु० प्रतिमास से अधिक नहीं है, ५ रु० प्रति मास अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिये जाने तथा जहां कुल उपलब्धियां ९५ रु० मासिक से अधिक किन्तु १०० रु० से कम हों वहां कुल उपलब्धियों के १०० रु० मासिक होने में जितनी धनराशि कम पड़ती है उतनी सीमान्त समायोजन के रूप में दिये जाने के आदेश १० और ११ नवम्बर को जारी हो चुके हैं ।

*७२-७४—श्री उग्रसेन—[७ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७५-७७—श्री रामस्वरूप वर्मा—[७ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

बुलन्दशहर जिले में हिंडन व जमुना खादर में पेय जल का कष्ट

*७८—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी हिन्डन व जमुना खादर, तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में पेय-जल की योजना सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं ।

मैनपुरी-ज्योति सड़क पर ईसन नदी के पुल बनने में देरी

*७९—श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी-ज्योति सड़क पर परोख के पास ईसन नदी के पुल बनाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे बनाने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

जंगलात में काम करने वाले फारेस्टरों एवं क्लर्कों के कन्फर्मेशन आर्डर्स का रिवीजन

* ८०--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने जंगलात में कार्य करने वाले फारेस्टरों एवं क्लर्कों के कन्फर्मेशन आर्डर्स को रिवाइज और आल्टर किया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां। पूर्वी सर्किल में सन् १९५४, पश्चिमी सर्किल में सन् १९५६ तथा १९५७, अन्य सर्किलों में सन् १९५० में बन विभाग के कर्मचारियों और फारेस्टरों के कन्फर्मेशन आर्डर रिवाइज किये गये। क्योंकि इनके कन्फर्मेशन में कुछ त्रुटियां रह गयीं थीं।

विवाह अधिकारियों की नियुक्ति

* ८१--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने कुछ शादियों के अफसर (marriage officers) नियुक्त किये हैं ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में और उनका क्या कर्त्तव्य होगा ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां।

सभी जिलों के जिलाधीशों को एक्स-आफिशियो विवाह अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा बस्ती और मुरादाबाद जिलों को छोड़कर हर जिलों में दो-दो असरकारी व्यक्तियों को विवाह अधिकारी बना दिया गया है। ये विवाह अधिकारी विशेष विवाह अधिनियम, १९५४ की धारा ३ के अधीन नियुक्त किये गय हैं। इनके कर्तव्य अधिनियम में दिये हुये हैं। ये अधिकारी विशेष विवाह के अनुष्ठान और दूसरे ढंगों में अनुष्ठित विवाहों क रजिस्ट्रीकरण के लिये नियुक्त किये गये हैं।

वाराणसी तहसील की चुनार तथा पंचक्रोशी सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेने की प्रार्थना

* ८२--श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला वाराणसी)--क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री वाराणसी तहसील की चुनार तथा पंचक्रोशी सड़क जो देहात अमानत से होकर गुजरती है उसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अपने विभाग में लेकर बनवाने की व्यवस्था कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल--

प्रथम भाग--जी नहीं।

द्वितीय भाग-- प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण-कार्यों में सीमेंट के अनुपात में कमी की शिकायत

* ८३--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार के पास प्रान्त के विभिन्न जिलों से उन विभागों के सम्बन्ध में जो निर्माण-कार्य से सम्बन्धित हैं ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित बालू और सीमेंट के अनुपात के अनुसार सीमेंट निर्माण-कार्य में नहीं लगाया गया है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हां, ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, परन्तु छानबीन करने पर पता चला है कि ये शिकायतें निराधार हैं।

*८४--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या सरकार प्रदेश भर में शिकायतों की जांच के लिये कोई उच्चस्तरीय दक्ष समिति नियुक्त करन का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल---जी नहीं ।

अतारांकित प्रश्न

१---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---[७ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

२---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---[३ जनवरी, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

इटावा जिले में ग्राम पंचायतों के पिछड़ी तथा परिगणित जातियों के सेक्रेटरी

३---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में ग्राम पंचायतों के कुल कितने सेक्रेटरी हैं तथा उनमें कितने बैकवर्ड तथा परिगणित जातियों के हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इटावा जिले में ग्राम पंचायतों के कुल ११८ सेक्रेटरी हैं । उनमें से १९ पिछड़ी हुई जातियों के और १३ परिगणित जातियों के हैं ।

४---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---[७ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

५---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---[७ जनवरी, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

इटावा जिले के वन विभाग में हरिजन तथा बैकवर्ड कर्मचारी

६---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के फारेस्ट विभाग में कितने फारेस्ट गार्ड व कैटिल गार्ड व क्लर्क व रेंजर हैं ? उनमें कितने-कितने हरिजन व बैकवर्ड हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---इटावा जिले के वन विभाग के दक्षिणी दोआब डिवीजन के फारेस्ट गार्ड, कैटिल गार्ड, क्लर्क व रेंजरों का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३३२ पर)

श्री गजेंद्रसिंह के घर डकैती से संबंधित १७ दिसम्बर, १९५७ के कार्य-स्थगन प्रस्ताव के संबंध में जानकारी

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---अध्यक्ष महोदय, दिनांक १७ को हमने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था । उसमें गृहमंत्री जी ने कहा था कि गजेन्द्रसिंह जी के यहां डकती हुई, उनके बच्चों को पीटा गया था और रिपोर्ट ले रहे हैं तथा रिपोर्ट आने पर सदन को सूचित कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष---मेरे कार्यालय में आप पूछते तो मैं पूछ लेता ।

शिक्षा केन्द्र बरेली के बन्द हो जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री प्रतापसिंह जी ने भेजा है जिसे मैंने अनिश्चित होने से नामंजूर कर दिया है । लेकिन मैं सुनाये देता हूं ।

"आज यह सदन प्रदेश के महत्वपूर्ण शिक्षा केन्द्र, बरेली के बन्द हो जाने के कारण हजारों विद्यालयों की पढ़ाई की हानि होने और सरकार का इस ओर उदासीनता का रुख देखकर हजारों

[श्री अध्यक्ष]

नागरिकों में असंतोष के वातावरण से व्याप्त परिस्थिति पर विचार करने हेतु अपना कार्य--स्थगित करता है ।"

इससे और सरकार से कोई संबंध नहीं है । वह सरकारी संस्था नहीं है । मैं यह विषय अनिश्चित होने के कारण और सरकार से संबंध न होने के कारण इसे अस्वीकार करता हूं ।

पलिया, जिला लखीमपुर, में कालोनाइजेशन के लिये किसानों की जमीनें छीनने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा कामरोको प्रस्ताव यह है कि "२१ दिसम्बर, १९५७ को एक प्रस्ताव दिया गया था, उस पर पुर्नविचार किया जाय । एक तो २१ के बाद कल का रोज भी था, तब इसे आना चाहिये था, मगर नहीं आया । इसलिये माननीय सदस्य ही स्वयं इसकी अर्जेंसी नहीं समझते हैं । दूसरी बात इस प्रस्ताव में यह है कि कि हमारे जिले के अन्तर्गत पलिया परगना में जो नई पलिया कालोनी में पुराने किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं, पुराने गांव उजाड़े जा रहे हैं, पता नहीं किस कानून से और क्यों ऐसा किया जा रहा है । अत : सर्वप्रथम सदन का कार्य रोक कर पहले इस गम्भीर परिस्थिति पर विचार किया जाय ।" यह निश्चित नहीं है और रीसेंट आकरेंस का भी नहीं है । इन कारणों से मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

कुछ शब्दों के प्रयोग के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---कल श्री नेकराम जी ने एक वैधानिक प्रश्न भाषण के बारे में उपस्थित किया था और कहा था कि व व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं वह इस प्रकार था "लन्च के पूर्व कल माननीय राजनारायण जी ने अपने भाषण के सम्बन्ध में यह कहा था कि मुझे सजा हुई, वह गवर्नमेंट के इशारे पर हुई । यह कनटैम्प्ट आफ दि जुडिशरी है ।" उपाध्यक्ष जी ने कहा था कि इस समय कार्यवाही मेरे सामने नहीं है, यह आपका प्वाइंट आफ आर्डर विचाराधीन रखेंगे और कार्यवाही देखने के बाद उस पर निर्णय देंगे । कार्यवाही देखने से यह हुआ था कि 'सजा के बारे में राजनारायण जी टीका नहीं करेंगे ।' राजनारायण जी ने कहा कि 'जज की बात कह रहा हूं ।' उसके उपर उनसे कहा गया कि 'सरकार ने सजा नहीं दी थी ।' राजनारायणजी ने कहा 'सरकार तो केवल इशारा करती है ।' मैंने उसके ऊपर यह कहा कि 'मैं उस बात के कहने की इजाजत नहीं देता हूं ।' तो यह हुआ है कि 'कोर्ट तो कोर्ट ही है चाहे कुछ भी उसका निर्णय हो ।' मैंने उस बात को रोक दिया था । जो फैसला हो गया है उसके ऊपर प्वाइंट आफ आर्डर दोबारा उठाने की बात नहीं है । उसका मतलब यह है कि यह चीजें भविष्य में भी नहीं होने दूंगा । यदि ऐसी चीज आ भी जाती है तो मैं उसे कार्यवाही से कभी--कभी हटा देता हूं । जब मैं रोक देता हूं कि यह चीज नहीं होनी चाहिये या वह डिफेमेटरी है या मुझे तत्काल ऐक्शन लेना चाहिये तो मैंने प्रश्न तय कर दिया और वह बात वहीं रुक जायगी । कहीं यदि अदालत के ऊपर टीका टिप्पणी की गयी हो और वह रोक दी जाती है तब यदि मैं आज्ञा दूं तो कार्यवाही से हटा दी जायगी । इसके सिवाय और कोई कार्यवाही तत्काल करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने भी कोर्ट के सामने जो प्रोडक्शन हुआ उसके जस्टीफीकशन के बारे में बहुत सी बातें कहीं, परन्तु हमको रोक दिया था । तो फिर ऐसे सवालों पर सदन का समय क्यों नष्ट होता है, उनको कह दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---आप शिकायत कर दीजिये ।

श्री राजनारायण---हम कहते है तो हमको कमरे में ही बुलाया जाता है ।

श्री अध्यक्ष---इस सिलसिले में एक बात और भी है । चूंकि भाषण आज बहुत काफी होंगे, कभी-कभी गर्मी भी आ जाती है । मैं समझता हूं कि जितना गम्भीर विषय सदन

के सामने हूं उसकी महत्ता को देखते हुए भाषणों में शब्दों का उपयोग ऐसा होना चाहिये जो आदरणीय सदन के सदस्यों के योग्य हो। कल भाषण में यह वाक्य आया था कि "आपकी नालायकी का इजहार है।" यह बिलकुल प्रत्यक्ष सीधे किसी को कहना है कि तुम नालायक हो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। मुझे यह देखकर बड़ा दुःख हुआ। मैं समझता हूं कि हम लोग अपने को संयमित रख सकते हैं। लखनऊ की तहजीब में खासतौर से यह है कि जरूरत से ज्यादा मुलायम शब्द बोले जाते हैं।

श्री राजनारायण—लखनऊ की तहजीब में रिमान्ड नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष—यह ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कि यहां तहजीब बरती जानी चाहिये। लखनऊ का आदर्श यहां शुरू हो बल्कि उससे ज्यादा हम लोग नम्रतापूर्वक अपील करते हुए भाषण दें बनिस्बत एक दूसरे के लिये कोई अपशब्द कहे जावें।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, क्या इस आदरणीय सदन में किसी को नालायक कहना या किसी की बात को नालायकी कहना पार्लियामेंटरी है?

श्री अध्यक्ष—मैं जब बोल रहा था तो या तो आप सुन नहीं रहे थे या सो रहे थे, क्या बात है?

श्री राजनारायण—यह कर्णकटु हो सकता है मगर वास्तविकता का सही द्योतक है।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या इस सदन में 'बदमाशी' शब्द का प्रयोग किया जा सकता है?

श्री अध्यक्ष—मैं हरएक शर्तिया बात के लिये जवाब नहीं दूंगा। अगर कोई एसे शब्द का उपयोग करे तो मै निर्णय दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या 'नालायक' शब्द के स्थान पर 'अयोग्य' शब्द का प्रयोग हो सकता है?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि 'अयोग्य' भी नहीं कह सकते। यह कहना कि 'आपकी अयोग्यता मालूम होती है', बिलकुल पर्सनल हमला है।

*यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधन

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर बेहिकिल्स रूल्स, १९४०, में परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम-वी-आर-ए-एम४-३४१८(टी०) एम ३०-७८१-टी०-४९, दिनांक २ नवम्बर, १९५७, के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९, की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, अभी हमको यह मिला नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं आपके कमरे में यह सब इकट्ठे पड़े होंगे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जब सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव आया हुआ है तब सरकार के मिनिस्टरों से कोई चीज सदन की मेज पर न रखवाइये।

श्री अध्यक्ष—जबतक कोई फैसला नहीं हुआ तबतक यही समझा जायगा कि सरकार अभी मौजूद है।

---

* छापे नहीं गये।

प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३३३-३३४ पर)

दंड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं दंड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३३५-३३६ पर)

†मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने अर्ज किया था कि यह जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है उसके लिये यही काफी नहीं है कि हम इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें बल्कि हमें यह भी कोशिश करनी चाहिये कि वह आगे न आये, और वह फेल हो जाय।

किन्तु इस पर अपने विचार व्यक्त करने के पहले मैं आदरणीय राजनारायण जी के बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और वक्ता भी अच्छे हैं। हिम्मत करके जिसको ठीक समझते हैं, कहते हैं और जो कहते हैं उस पर चलने की कोशिश भी करते हैं। कैरेक्टर और चरित्र की सबसे बड़ी चीज यही है कि जो ठीक समझे कहे, और जो कहे उसको करे भी। इसीलिये मैं उनकी इज्जत करता हूं और क्यों न हो, आप यह भी फरमाते हैं कि आप आदरणीय मुख्य मंत्री के साथ पढ़े भी हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---साथ नहीं, उनकी खिदमत में बैठ कर पढ़ा हूं।

श्री सीताराम शुक्ल---आपने अंगूठी में नग लगा दिया। आपने उनसे सीखा है, इसमें पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों की तारीफ है। वही आज काम आया है। हमारे मुख्य मंत्री जी सोशलिस्ट पार्टी में रहे हैं, उसके काफी हमदर्द हैं। आपने समाजवाद के ऊपर बड़ी अच्छी किताबें लिखी हैं, वामपक्षियों को उससे बहुत मदद मिलती है और फिर जबानी जमाखर्च ही नहीं, कांग्रेसपार्टी ने अत्यधिक बहुमत, ओवरहवेल्मिंग मेजोरिटी में होते हुए भी, सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य को उपाध्यक्ष के पद पर आसीन करा दिया। जहां तक रवादारी और उदारता का ताल्लुक है वहां तक हम बरतते हैं। इतना ही नहीं, अविश्वास के प्रस्ताव के दिन डाक्टर लोहिया साहब को छोड़ दिया ताकि इसमें वह भी आपकी मदद कर सकें। श्री राजनारायण जी को सात दिन के लिये हटाया (निलम्बित किया गया) था लेकिन उनको भी इस डिबेट में भाग लेने का मौका देने के लिये उसको भी तीन दिन ही कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष---आप किसी व्यक्ति के ऊपर नजर रख कर भाषण न करें।

श्री सीताराम शुक्ल---हुजूरवाला, इधर भी जवाब सुनिये।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, इस पर बहस न कीजिये। जैसा मैंने बता दिया उस पर सीमित रहिये।

---

†२३ दिसम्बर १९५७ की कार्यवाही से।

श्री सीताराम शुक्ल—यह सब हमारी सरकार ने किया लेकिन आपने यह अविश्वास का प्रस्ताव पेश कर दिया। अच्छे विद्यार्थी का अच्छा फल सामने आ गया है।

श्री राजनारायण—द्रोणाचार्य को किसने मारा था ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप अपने विषय पर आ जाइये।

श्री सीताराम शुक्ल—इस बारे में एक संस्कृत का श्लोक है उसको मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि उसमें कटु सत्य है, अतः वह बहुत बड़ा हो जायगा। लेकिन फारसी का एक शेर मैं अर्ज करता हूं—

कसन आमोख्त इल्मे तीर अजमन,
कि मरा आकबत निशाना न कर्द।

किसने मुझसे तीर चलाना नहीं सीखा कि जिसने मुझ ही को अपना निशाना नहीं बना दिया ? जनाबवाला आपके कदमों में बैठ कर सीखने का ही नतीजा है कि यह अविश्वास का प्रस्ताव, श्री राजनारायण जी ने पेश कर दिया। शिकायत की जाती है कि स्वतंत्रता का अपहरण किया जा रहा है, बोलने की आजादी नहीं है, १४४ दफा कई साल से कानपुर में लगी है और जिस बात की मुखालिफत आप और हम अंग्रेजी हुकूमत के जमाने में करते थे, उसी अंग्रेजी हुकूमत की बनायी हुई १४४ दफा को आज हम पर आप लगाते हैं। इसके उत्तर में निवेदन है कि अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई कोई बुरी चीज हो तो उसका बायकाट करना ठीक है, लेकिन अगर कोई अच्छाई है तो वह अच्छाई ही रहेगी। यह भवन भी तो उन्हीं का बनाया हुआ है, इसे क्यों नहीं छोड़ देते ? बन्दूक तब तक बुरी होती है जब तक कि वह दुश्मन के हाथ में हो और अगर बन्दूक हमारे हाथ में हो तो वह अच्छी हो जाती है। अगर नोट या सोना दुश्मन के पास हो तो बड़ा खतरा है और वह अगर हमारे पास हो तो बहुत अच्छा है। तात्पर्य यह है कि विदेशी हुकूमत इसका दुरुपयोग करती थी अतः बुरा था। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक ही पार्क में सब को बोलने की इजाजत एक ही दिन, एक ही समय में दे दी जाय और जनसंघ, कांग्रेस तथा सोशलिस्ट तीनों पार्टियों की सभायें वहां होने लगें और आपस में झगड़ा होने लगे या बलवा होने लगे तो क्या यह उचित होगा ? अगर यह कहा जाता है कि आप अफसर से पहले पूछ लीजिये, इजाजत ले लीजिये और तब बोलिये तो इसमें क्या गलती की गयी है ? बलवा होने और मारपीट होने से यह अच्छा है कि आप जरा पूछ कर मीटिंग करें यहां पर यह फरमाया गया कि सत्याग्रह को कुचला गया, कार्यकर्ताओं को जेल हुई किन्तु जहां तक मुझे याद है किसी को व्याख्यान देने पर जेल नहीं हुई है। हालांकि हर कानून को आप रोज तोड़ते हैं लेकिन ऐक्शन नहीं लिया जाता है। मैं पूछता हूं कि इससे बढ़ कर बोलने की आजादी और कहां मिलती है ? हुजूरवाला, आप जानबूझ कर कानून तोड़ते हैं, पढ़े लिखे हैं, दफायें जानते हैं फिर भी सत्याग्रह करते हैं।

श्री अध्यक्ष—मुझे बचाइयेगा जरा। (हंसी)

श्री सीताराम शुक्ल—श्रीमन्, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि जानबूझ कर कानून तोड़ने पर अगर मैजिस्ट्रेट गिरफ्तार करता है तो कहा जाता है कि साहब बड़ी ज्यादती हो रही है। जानबूझ कर कानून तोड़ने के लिये जलूस निकालें और उसे पुलिस न रोके तो कहा जाता है कि यह गैरकानूनी कार्यवाही हो रही है। बाहर तो काम कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, घूम सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं यानी सब कुछ कर सकते हैं लेकिन जिस वक्त जेल पहुंच गये तो बीमार हो गये और छूट कर आने के बाद ही अच्छे हो गये। कल मैंने देखा कि वे टहलते हुए नजर आ रहे थे और दूकानदारों के साइनबोर्डों को मिटवा रहे थे।

श्री राजनारायण---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। जो व्यक्ति सदन में न हो और अपना स्पष्टीकरण न दे सके उसके लिये क्या ऐसी बात कहना उचित है ? मैं सही माने में उनका रेप्रेजेंटेटिव हूं, मुझे मौका दिया जाय कि मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन दूं या उनको रोका जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं उनको रोकूंगा, जो व्यक्ति यहां मौजूद न हो, उसके बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये।

श्री सीताराम शुक्ल---मैंने हुजूर वाला किसी का नाम नहीं लिया। अगर नाम आदि न लिया जाय तो अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस सीमित रह जाती है। जब उधर से ऐसी स्पीचेंज हुईं जिसमें श्री राममनोहर लोहिया जी का नाम लिया गया तब उसका जवाब अगर हम देते हैं तो क्या गलती करते हैं ? श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है, कि पढ़े लिखे होने के बावजूद वे ऐसी शिकायतें करते हैं और यह भूल जाते हैं कि जो हम शिकायत कर रहे हैं वह शिकायत न होकर सरकार की तारीफ की बात हो जाती है। मसलन् अगर मैजिस्ट्रेट ज्यादती करते हैं और हाईकोर्ट में जज के पास जाकर वह मामला उलट जाता है। रिमार्क्स पास हो तो यह सरकार की शिकायत की बात है कि तारीफ की क्योंकि गवर्नमेंट ही के जज हैं जोकि इंसाफ करते हैं और पिछले फैसले को भी उलट देते हैं। अतः जिसको आप शिकायत समझते हैं, वह तो सरकार की तारीफ की बात है। लिहाजा जो बात काबिले तारीफ है वह यह है कि हमारे यहां के जजेज न्याय करते हैं और किसी की परवाह नहीं करते और दूसरे आप इस पर गौर करें कि कुछ मैजिस्ट्रेट लोग सोशलिस्टों से हमदर्दी करते हैं, क्योंकि कालिजों से सोशलिज्म और कम्युनिज्म आदि सबको खूब पढ़ लिखकर और घोट कर आये हैं।

श्री अध्यक्ष---आप मैजिस्ट्रेटों के फैसलों पर टीका न करें। आप यह कह सकते हैं कि वह न्याय करते हैं लेकिन यह नहीं कह सकते कि वह पक्षपात करते हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---पक्षपात और हमदर्दी में बहुत फर्क है। मैं ऐसी बात नहीं कहता जो कि निराधार हो। हमारे मेजिस्ट्रेट लोग पूरी कोशिश पहले करते हैं कि संघर्ष न हो किन्तु जब मजबूर हो जाते हैं तब कहीं गिरफतारी करते हैं क्योंकि वह डरते हैं कि आज के विरोधी कल हुकूमत में आ सकते हैं और बदला ले सकते हैं। इसलिये वे तभी सख्ती करते हैं जब कि यह सोचते हैं कि लापरवाही में कहीं हम बरखास्त न हो जायं। जब मैजिस्ट्रेट बुलाते हैं तो नहीं आते। तब मैजिस्ट्रेट यदि सख्ती न करें तो क्या करें ? कहा जाता है कि बांध कर कुर्सी पर ले जाया गया। मैं पूछता हूं कि इससे अधिक नर्मी के साथ सख्ती और कौन सी हो सकती है ? अभी उन्होंने फरमाया कि अर्जुन ने द्रोणाचार्य पर बाण चलाया इसके उत्तर में निवेदन है कि द्रोणाचार्य अन्यायी का साथ दे रहे थे ? कृष्ण भगवान ने क्या भीष्म पितामह पर बाण नहीं चलवाया था, वह तो पाण्डवों के दादा थे ? चलवाया था, क्योंकि वे दुष्ट का साथ दे रहे थे। नीतिकारों ने कहा है कि "गुरुंवा बाल वृद्धो वा ब्राह्मणंवा बहुश्रुतम्, आततायिनमायातः हन्यादेवा विचारयन्" अर्थात् गुरु हो, बालक हो अथवा वृद्ध हो या बहुत विद्वान ब्राह्मण हो किन्तु यदि आततायी है तो उसका वध करना चाहिये। न्याय की रक्षा के लिये चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। उनको तो शान्ति की रक्षा के लिये गिरफ्तार किया गया, ए० क्लास उनको जेल में दिया गया, लिखने पढ़ने की सहूलियत दी गयी उसके लिये कहा जाता है कि यह अन्याय है, न्याय की हत्या है।

खैर आप कहें और आप ही सुनें। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से साथी इधर से उधर चले गये थे अर्थात कांग्रेस पार्टी छोड़कर विरोधियों में शरीक हो गये थे। कुछ बातें हुईं, कारण हुये, सीट नहीं मिली या कोई और मामला पड़ गया, दूसरी पार्टी में शरीक हो गये, किन्तु कुछ दिन वहां रहकर उन्होंने देखा कि कांग्रेस तो बुरी है लेकिन यह लोग तो कांग्रेस से भी बुरे हैं और यह देखकर वह लोग इधर वापस आ गये और आज वह हमारे साथ बैठे हैं। अभी ताजी मिसाल है कि आज ही बहराइच के एक सदस्य को कांग्रेस पार्टी में

ऐक्सेप्ट किया गया है। अभी गत १४ दिसम्बर को कौंसिल के चुनाव हुये हैं, हमारे मेम्बर १० से अधिक नहीं जीत सकते थे लेकिन विरोधियों की कृपा से कांग्रेसी सदस्यों को अधिक वोट मिले और १० के स्थान पर हमारे ११ आदमी चुन लिए गये, हमारे यहां विरोधी लोग आ रहे हैं और आप शिकायत भी करते हैं कि सरकार खराब है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य रेलेवेन्ट बोल रहे हैं ?

श्री सीताराम शुक्ल---विषयान्तर बोलने पर माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि वह रोक सकते हैं। उन्हें आप उपदेश देने की कृपा न करें। अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कारण मैंने दिये हैं उनके अनुसार अविश्वास का प्रस्ताव वापस होना चाहिये और इस तरह का प्रस्ताव फिर आये ही नहीं इस पर भी सदन को विचार करना चाहिये। मेरा खयाल है कि यह अविश्वास का प्रस्ताव गतलफहमी की वजह से आया है। किन्तु ज्यादा कहने का टाइम नहीं है, दस पांच मिनट में प्रदर्शन तो हो सकता है तर्जे तकरीर कैसा है दिखलाया जा सकता है परन्तु दूसरों का विचार नहीं बदला जा सकता। उसको बदलने के लिये कम से कम ४५ मिनट बोलने का मौका दीजिये तो व्यूज़ बदल सकते हैं। सिर्फ इन्हें गलतफहमी थी नहीं तो अविश्वास का प्रस्ताव न आता। इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन का समय समाप्त होने पर या तो मेहरबानी कर के विरोधीवृन्द मेरे यहां आयें, मैं उनको चाय पिलाऊं, उसके बाद बातचीत हो, किन्तु चाय का बिल सरकार पे कर दे क्योंकि दो सौ रुपये माहवार मैं पे नहीं कर सकता। विस्तारपूर्वक बातचीत करने का यदि मौका मिले तो बहुतों का विचार अवश्य बदल सकता हूं। इसके अलावा विरोधीवृन्द को दुनिया देखने के लिये अपने खर्चे से भेजिए रूस, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड देखें कि समाजवादी मुल्कों में हालत क्या है, वहां कितनी आजादी है, गरीबों की क्या हालत है ? मेरा विश्वास है कि जब वहां से लौट कर आयेंगे तो वहां नहीं बैठेंगे, हमारे साथ बैठेंगे।

इन शब्दों के साथ सुझाव पेश करता हुआ मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव को समाजवादी दल के माननीय नेता ने कल इस आदरणीय सदन में उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

प्रश्न यह है कि वर्तमान राज्य में इस प्रदेश के अन्दर मौलिक अधिकारों का अपहरण करने का प्रयत्न किया गया या नहीं, विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी ने जो सविनय अवज्ञा का आन्दोलन चलाया था उसको दबाने के लिये कोई ऐसा प्रयत्न किया गया या नहीं ? यह कहा गया है कि अविश्वास का प्रस्ताव साधारण तौर पर नहीं आना चाहिए जब तक कि उसके समर्थकों के पास कोई विशेष दलील न हो। यह भी एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो बातें पहले दोहरायी गयी हैं उनमें कुछ बातें इस प्रस्ताव के सिलसिले में भी दोहरायी गयीं और ऐसा करना उचित नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के लाने के समय, मान्यवर ने मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का कुछ हिस्सा पढ़ा था उसमें एक फिकरा यह भी था "few sessions fail to provide example of such motion" जिसका हिन्दी में तर्जुमा यह है कि ऐसे बहुत कम सत्र होते हैं कि जिसमें सरकार के ऊपर अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार न हो। मैं यह समझ नहीं सका कि जिन माननीय सदस्यों ने ऐसी सलाह इधर के बैठने वालों को दी उन्होंने इस पार्लियामेंटरी पद्धति को क्यों अपने ध्यान से निकाल दिया।

मौलिक अधिकार नागरिक के हैं, सरकार के नहीं हैं, मान्यवर ! मौलिक अधिकारों के द्वारा इस आदरणीय सदन पर यह रुकावट है कि वह उस हद तक किसी नागरिक के अधिकारों को छीन न सके, यह लेजिस्लेचर पर बंधन है। यह प्रस्ताव सरकार के खिलाफ है। यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह मौलिक अधिकार हमने कोई अंग्रेजी राज्य या अंग्रेजों से नहीं लिये हैं। इंग्लैंड में फंडामेंटल राइट्स के नाम की कोई चीज

[श्री त्रिलोकी सिंह]

नहीं है। जो बहुत से गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट्स हुए, चाहे इंडियन कौंसिल ऐक्ट्स, चाहे १९१९ या १९३५ के ऐक्ट, किसी में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र नहीं था। इस संविधान के बनानेवालों ने और इस देश के रहनेवालों ने जब उसे बनाया तो उसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र किया। यह भय था कि इस देश की सरकारें और यहां तक कि इस देश के लेजिस्लेचर्स भी जो नागरिकों के अधिकार होने चाहिए उनमें कुछ काटछांट करने की कुचेष्टा करेंगे, इसलिये फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में एक नागरिक के लिये गारंन्टीड हैं। मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि वह काम करने का एक नागरिक को अधिकार है जिसके लिये कानून में कोई मुमानियत न हो।

सत्याग्रह का प्रश्न उठाया गया कि सत्याग्रह करने की कोई गुंजायश नहीं है। समाजवादी पार्टी ने कुछ कारणवश यह निश्चय किया कि वह सविनय अवज्ञा करेगी, बिना किसी को नुक्सान पहुंचाये हुए, सिविल नाफरमानी, जिसके द्वारा उसके सदस्यों ने स्वयं अपने ऊपर तकलीफ़ उठाने का, उसे बरदाश्त करने का इरादा किया। इस सविनय अवज्ञा के आन्दोलन को मान्यवर, किस प्रकार दबाया गया? फंडामेंडल राइट्स आर्टिकिल १९ में फ्रीडम आफ स्पीच, फ्रीडम आफ़ एक्सप्रेशन, जिस बात को हम मुनासिब समझते हैं उसको हम व्यक्त करेंगे और दूसरों को उस राय का बनायेंगे, यह उस आर्टिकिल में गारण्टीड है।

मैं आप की आज्ञा से कुछ इस देश का नहीं, चूंकि डेमाक्रेसी का बहुत ज्यादा हवाला दिया जाता है, इंगलिस्तान के सर्वप्रमुख पोलिटिकल साइंस के प्रोफ़ेसर और विचारक की राय प्रस्तुत करना चाहता हूं। वह कोई समाजवादी व्यक्ति नहीं हैं, कंजरवेटिव हैं। इंगलिस्तान में जहां कानून का इतना एहतराम है, अर्नेस्ट बारकर की राय है फ्रीडम आफ स्पीच, अपनी बात को व्यक्त करने के लिये, उसका प्रचार करने के लिये यदि आवश्यकता होगी तो हम सविनय अवज्ञा भी कर सकते हैं, डिसओबेडियेंस आफ ला करेंगे।

हमारे देश में जिस समय सविनय अवज्ञा ने, इस आन्दोलन ने, इस विचारधारा ने, एक सामूहिक रूप अख्तियार किया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जब देश में महात्मा के शब्दों में डेमाक्रेसी का नाम नहीं था, प्रह्लाद सर्व प्रथम सत्याग्रही था जिसने अपने पिता, कांस्टीट्यूटेड अथारिटी, जो उस समय इस देश का बादशाह था, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। यह सविनय अवज्ञा वर्तमान युग में जब चारों ओर ऐटम बम, हाइड्रोजन बम और स्पुटनिक का जोर है, नान-वायलेंस और सत्याग्रह के कारण ही आज दूसरे देश के लोग भारतवर्ष की तरफ निहार रहे हैं। तो उसमें यह कहना कि सत्याग्रह के लिये कोई गुंजायश नहीं है चूंकि यहां जम्हूरियत है, प्रजातंत्र है, यह बात मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा, नम्रतापूर्वक कि सही नहीं है। मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में और उसके साथ-साथ जिस समय सविनय अवज्ञा आन्दोलन का जिक्र आता है मैं याद दिलाना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि राष्ट्रपिता ने १९२० में असहयोग आन्दोलन की बात इस देश में चलायी थी। उनका सब से बड़ा कहना यह था कि अगर हम नान-वाइलेंट हैं, अहिंसात्मक हैं तो कानून के अन्तर्गत कोई कार्यवाही हमारे खिलाफ़ नहीं हो सकती। एक भी मिसाल का मुझे नहीं ज्ञान है इस समाजवादी पार्टी के सत्याग्रह के सिलसिले में, जब यह कहा गया हो सरकार की ओर से कि इन्होंने हिंसा की। जब हिंसा नहीं की तो विशेष कानून का प्रयोग कैसा?

क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट का कल जिक्र एक माननीय सदस्य ने किया। इसका इतिहास मैं मुख्तसर में बयान करता हूं। ७० वर्ष भारतवर्ष में राज्य करने के बाद अंग्रेजों को यह जरूरत महसूस हुई कि वे इस देश के दंड विधान को, क्रिमिनल ला को अमेंड करें। तब जरूरत महसूस हुई। चोरी नहीं बढ़ी थी, कत्ल नहीं बढ़े थे, अराजकता नहीं बढ़ी थी, जरायम उरूज पर नहीं थे, बल्कि इसलिये इस कानून को बनाया गया कि देश में स्वदेशी आन्दोलन सन् १९०६-७ में बंगाल में उपजा और उसके सिलसिले में लोगों में स्वदेशी के प्रचार और उसके द्वारा यह अन्देशा पैदा हुआ कि कहीं यह प्रचार सरकार को ही, जो गवर्नमेंट इस्टै-

ब्लिश्ड बाई ला कहलाती थी, ले न डाले। सन् १९०८ में भारतवर्ष में क्रिमिनल ला को अमेंड किया गया। जो क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट १९०८ है उसमें लिखा हुआ है, मान्यवर, साफ साफ कि इस कानून का मकसद है कि जो लोग एसोशिएशन बनाते हैं, संघ बनाते हैं, उन एसोशियेशंस को अनलाफुल करार दिया जाय और ऐसे काम करने वालों का कुछ सरसरी तौर पर स्पीडी ट्रायल हो सके, उनको जल्द सजा दी जा सके। १९०८ का वह कानून मान्यवर, सन् २० का आन्दोलन हुआ, सन् ३० का आन्दोलन हुआ, उस विदेशी सरकार को सिविल डिसओबिडियेंस मूवमेंट को दबाने के लिये कोई नये कानून की शरण नहीं लेनी पड़ी सिवाय इसके कि सन् ३० के अन्त में कुछ आर्डिनेंस थोड़े समय के लिये जारी किये गये। सन् ३२ में भी आर्डिनेंसेज के द्वारा थोड़े समय तक काम चला और १९३२ में क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट में फिर तरमीम की गयी सेंट्रल असेम्बली के द्वारा जिसके अगराज मकासिद, आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स में साफ-साफ यह लिखा हुआ है कि सिविल डिसओबीडियेंस मूवमेंट से जो स्थिति पैदा हुई है, उसको दबाने के लिये यह कानून बनाया गया। सन् १९३५ में जब सिविल डिसओबीडियेंस मूवमेंट करीब करीब समाप्त हो गया और गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट १९३५ का पारित हुआ तब उस क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट की बहुत सी धारायें निकाल दी गईं। चुनांचे धारा ४ जो थी उसमें यह लिखा हुआ था—अब तो उस धारा का वजूद है नहीं निकाल दी गयी।

"Whoever, with intent to harrass any public servant in the discharge of his duties, or to cause him to terminate.....his services or fail in his duty,....."

आर फेल इन हिज ड्यूटी, यदि कोई आदमी किसी सरकारी कर्मचारी के पास जाकर इस बात की तवक्को करता है, उसको प्रोत्साहन देता है, उससे जाकर इल्तिजा करता है, या उसको सलाह देता है कि वह अपने कार्य को न करे तो सन् १९३२ के क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट के सेक्शन ४ के अन्तर्गत उसको सजा दी जा सकती थी। सन् ३५ में यह सेक्शन हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया। आज जो क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट हमारे देश में लागू है उसमें यह धारा नहीं है। एक धारा और है, मान्यवर, ७ जिसका काफी उपयोग इस आन्दोलन के दबाने के सिलसिले में किया गया। इस सातवीं धारा में भी यह लिखा हुआ है कि यदि प्रान्त की सरकार चाहे तो अपने प्रदेश में इसको लागू करे।

मैं, मान्यवर, आपके द्वारा इस माननीय सदन के सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सन् ५० में हमारे यहां कांस्टीट्यूशन बना। कांस्टीट्यूशन में कुछ अधिकार हैं इस देश के नागरिकों को। चाहिए यह था कि उन अधिकारों को सामने रख कर जो पुराने कानून थे उनमें कांटछांट होती क्योंकि संविधान की धारा में साफ-साफ लिखा हुआ है कि कोई कानून जो उन धाराओं का उल्लंघन करता है वह जिस हद तक उल्लंघन करता है उस हद तक वह कानून नाजायज है। कोई प्रयत्न सरकार की ओर से इस ओर नहीं किया गया और यही कारण है, मान्यवर, कि सन् १९४० में दौराने जंग सेक्शन ७ क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट को जो लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में, सन् १९४० में असाधारण स्थिति में उस कानून को लागू कर के सन् ५७ की साधारण स्थिति में स्वराज्य हो जाने के बाद, संविधान के अन्तर्गत इस देश का राज्य हो जाने के बाद, आज भी वह आज्ञा वैसे ही लागू है। यदि इसके बाद यह कहा जाय कि हमारे मौलिक अधिकारों का अपहरण होता है तो मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि यह बात गलत नहीं होगी। इस क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट को सन् ३८ में अमेंड किया गया फौज की भर्ती के सिलसिले में, सन् ५० में फिर अमेंड किया गया ऐसी प्रापर्टी के बन्दोबस्त के लिये जो इस देश के बाहर निकल गई है। इस प्रकार हमेशा असाधारण परिस्थिति में इसे अमेंड किया गया है। एक बड़ा भारी फ्रान्स में विचारक हो गया है मान्टेस्क्यू, जिसका कहना था कि किसी देश की नागरिक स्वतंत्रता का सूचक है उसका क्रिमिनल ला।

आज हमसे कहा जाता है कि तुम ठीक से बिहेव करो, क्यों कानून का उल्लंघन करते हो? कानून का उल्लंघन करोगे तो जरूर सजा होगी। मैं यह निवेदन करना चाहता

[श्री त्रिलोकी सिंह]

हूं कि ऐसे किसी कानून का हम उल्लंघन करने के लिये हमेशा तैयार हैं और उसका उल्लंघन करते रहेंगे जिसे समझते हैं कि जनहित में नहीं है, देश हित में नहीं है। जो हमारे देश की प्रगति में बाधक हो और कांस्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स, जिनका इस आदरणीय सदन में कल हवाला दिया गया था, अमल करने में और कार्यान्वित करने में, बाधक हो। ऐसे कानूनों का उल्लंघन करने में न कभी बाज आये हैं और न कभी बाज आयेंगे। आपकी आज्ञा से डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स के सम्बन्ध में एक धारा पढ़ दूं--

"The provisions contained in this Part shall not be enforceable by any Court, but the principles threin laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws".

मैं क्या यह जान सकता हूं कि क्रिमिनल ला अमेंडमेन्ट ऐक्ट जो मुस्तकिल निफाज के लिये बनाया गया था, सन् ३२ में, जिसका गुमान भी नहीं था, रिपील किया गया और सन् ३५ में यह कहा गया कि जरूरत पड़े तो इसको लागू कर दो। इस प्रदेश में परपिचुअलो इसकी जरूरत है, मामूली ला आफ क्राइम से जो इस देश का दंड विधान है उससे काम नहीं चल सकता।

एक माननीय सदस्य ने कल कहा था कि लखनऊ में वे जल्सा करना चाहते हैं। जल्सा करेंगे म्युनिसिपल बोर्ड की जमीन पर, लेकिन इजाजत चाहिये सिटी मैजिस्ट्रेट की। कौन होता है सिटी मैजिस्ट्रेट म्युनिसिल बोर्ड की जमीन पर इजाजत देने वाला? अगर म्युनिसिपल बोर्ड से कहिये कि बन्दापरवर आपकी जमीन है, आप क्यों अपने हक को छोड़ रहे हैं सिटी मैजिस्ट्रेट पर, तो वे कहते हैं कि तुम्हारी तरह हम सजा खाने को तैयार नहीं हैं। सिटी मैजिस्ट्रेट से लिखा कर लाइये तब आज्ञा दें। यह मौलिक अधिकारों का अपहरण नहीं है तो क्या है?

इसी तरह मजदूरों में कहीं पर झगड़ा है मिल मालिकों से। किसी ने हंगर स्ट्राइक कर दिया। कहां पर हंगर स्ट्राइक किया? मिल के गेट से १०० गज, ८० गज की दूरी पर, मिल गेट पर नहीं। अगर हंगर स्ट्राइक करने वाले की दशा खराब हो तो आप उसे अस्पताल ले जाइये, इलाज कराइये। मोदीनगर का वाकया है। बराबर एक सिलसिला चला जा रहा है। ऐसा न कर के पकड़ कर, गिरफ्तार कर के उसे हवालात, जेल भेज दिया गया। कौन सा कानून है यह? अगर मैं सड़क पर बैठ कर हंगर स्ट्राइक करता हूं विश्वेश्वरनाथ रोड के किनारे, किस कानून से पुलिस मुझे पकड़ कर ले जायगी? फिर, मान्यवर, हंगर स्ट्राइक करने के लिये किसी ने ऐलान ही किया है, हंगर स्ट्राइक किया भी नहीं, ऐलान करने के बाद २ दिन वहां बैठे, कुछ हालत खराब हो, कुछ भीड़ वगैरह बढ़े या किसी ने हंगर स्ट्राइक करने का ऐलान किया और शुरू करने के लिये बैठ गये गांव की सड़क के किनारे माला डाल कर वहां कोई ट्रेफिक का भी सवाल नहीं। और पकड़ के डेढ़ मिनट के अन्दर एक दो-तीन, डिस्ट्रिक्ट जेल में बन्द! यह मौलिक अधिकारों का अपहरण नहीं है? अफसोस की बात है, हंसने की बात नहीं है। लेकिन सन् १९५७ में उत्तर प्रदेश में घटनायें घटती हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री हैं जिनके ऊपर इस प्रदेश के शासन के चलाने की जिम्मेदारी है, उनकी निजी जानकारी में ये घटनायें घट रही हैं, लेकिन कहीं से भी उनकी रुकावट नहीं होती। इस प्रस्ताव को भले ही यह सदन अस्वीकार कर दे, लेकिन विचार करने की बात है कि क्या कारण है? कारण के एहसास होने की बात है।

संविधान में हमारे नागरिक अधिकार सुरक्षित हैं और सदन नागरिक अधिकारों की यह हिस्टरी है। माननीय नेता सदन ने नेहरू कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा होगा, इस देश में सर्वप्रथम नेहरू कमेटी रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है कि हिन्दुस्तान की इंगलिस्तान से तुलना नहीं की जा सकती है। यहां स्वराज्य होने के बाद भी फंडामेंटल

राइट्स जरूरी होंगे। यह दूसरी बात है कि साइमन कमीशन ने उसको ठुकरा दिया। इस बात से किसको इनकार हो सकता है कि करांची में इंडियन नेशनल कांग्रेस के इजलास में फंडामेंटल राइट्स का प्रस्ताव पास किया गया था। उसका एक विशेष महत्व है। उस पर इस तौर पर कुठाराघात करना और यह कहना सविनय अवज्ञा आन्दोलन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, यह देश के हित में नहीं है। मैं, मान्यवर, निवेदन करना चाहूंगा कि यदि संसार के इतिहास पर गौर किया जाय तो संसार की सारी प्रगति सविनय अवज्ञा करने वालों के द्वारा हुई है। बड़े से बड़ा विचारक ले लीजिये, उसने समय के खिलाफ बात उठायी, बात कही, उसे जहर का प्याला पीना पड़ा, सूली के तख्ते पर लटक जाना पड़ा, गोली का शिकार होना पड़ा। दुनिया की प्रगति उसके बाद हुई। समाज आज किसकी बदौलत इस स्थान पर पहुंचा है? कानून का निफाज करने वालों की बदौलत नहीं। जिन्होंने कानून लागू किया है उनकी बदौलत नहीं। पूरे संसार के इतिहास में एक मिसाल वह बतायें जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है उनकी बदौलत और आज हमारे देश की स्वतंत्रता भी, जो कानून का सबसे बड़ा उल्लंघन करने वाला.....

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---आपसे जरा एक बात पूछना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष---(श्री चरण सिंह से) श्री त्रिलोकी सिंह बैठे हुये हैं इसलिये यह न माना जाय कि वह बैठ गये हैं आपकी बात सुनने के लिये।

श्री त्रिलोकी सिंह---नहीं, मान्यवर, मैं चाहूंगा कि माननीय माल मंत्री की बात को सुन सकूं ताकि उनको संतोष दिला सकूं।

श्री चरण सिंह---मैं बहुत कृतज्ञ हूंगा अगर मेरे माननीय मित्र यह बतला दें कि जिन वर्ल्ड टीचर्स का जिक्र किया गया है कि जिन्होंने रिवोल्यूशन किया, उन्होंने कोई पोलिटिकल पार्टी बनायी थी या पोलिटिकल आब्जेक्टिव से सत्याग्रह किया था अपनी सच्चाई पर कायम रह के?

श्री त्रिलोकी सिंह---माननीय मंत्री का मैं कृतज्ञ हूं कि उन्होंने यह बात पूछी। वर्ल्ड टीचर्स के पोलिटिकल पार्टी बनाने के बारे में जिन्होंने रिवोल्यूशन किया, सारी दुनिया में क्यों जाऊं, इस महात्मा को भी इस देश में रेवोल्यूशन, क्रांति, करने के लिये कांग्रेस में शरीक होना पड़ा और वह कांग्रेस जो १९२० तक बावजूद इसके कि ३५ साल पुरानी हो गयी थी, जिसने एक प्रस्ताव किसानों और मजदूरों के संबंध में नहीं स्वीकार किया था और उसको उसने मास रूप देकर सर्वप्रथम किसानों और मजदूरों के संबंध में नागपुर के इजलास में जिसने प्रस्ताव स्वीकार किया, उसी को मास रूप दिया और उस संगठन के द्वारा ही महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्त करायी। मैं यह भी निवेदन करूं कि सभी को ज्ञात है कि राष्ट्र पिता ने बीच बीच में कांग्रेस से अलाहदगी अख्तियार की। १९२५ में अलाहदगी अख्तियार की, १९३४ में की, १९४० में की, १९४१ में की और १९४२ में भी की, लेकिन जब जब आन्दोलन की बात थी तो वह कांग्रेस का नेता बना और इसी कांग्रेस के द्वारा एक आन्दोलन चालू करके इसी देश में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिये जो रिवोल्यूशन यहां हुआ वह आज तक संसार के किसी देश में नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी शायद रिवोल्यूशन और इंसरेक्शन में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। रिवोल्यूशन एक तरतीब होती है, एक ढंग होता है, एक सेंट्रलाइज डायरेक्शन होता है, वह बलवा नहीं होता है, उत्पात नहीं होता है, झगड़ा नहीं होता है, फसाद नहीं होता है और यह सारे काम तभी किये जा सकते हैं जब कोई संगठन हो। संगठन व्यापक हो या छोटा हो यह बात दूसरी है।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमें यह देखना है कि मौलिक अधिकारों का अपहरण इस प्रदेश में हो रहा है या नहीं और दूसरी बात हमें यह भी देखनी है कि जो कांस्टीट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपिल्स हैं और जो फरायज सरकार के हैं, उनकी अंजामदेही किस हद तक होती है। अपने इसी फंडामेंटल डायरेक्शन्स में एक दफा है कि एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी का सेपरेशन होगा। आपको दस साल हो गये हैं, क्यों नहीं आप अभी तक

[श्री त्रिलोकी सिंह]

इसका सेपरेशन कर पाये ? अगर कोई कहता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है विरोधियों को दबाने के लिये तो आप क्यों ऐसा मौका देते हैं ? क्यों नहीं जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग कर देते हैं ? आपके ही पड़ोस में एक छोटा सा प्रदेश था विन्ध्य प्रदेश, वहां अलग है और वहां जितने भी मैजिस्ट्रेट्स हैं वह सब हाई कोर्ट के मातहत हैं। लेकिन इलाहाबाद में ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वह एक तीर्थस्थान है। क्या कारण है ? क्या इलाहाबाद ज्यादा प्रोग्रेसिव है या इलाहाबाद के लोगों को इस बात की जरूरत नहीं है ? मिसाल के तौर पर मैंने एक बात कह दी। कांग्रेस के ५०-५५ वर्ष के इतिहास में यह बात हमेशा रही है कि एक्जीक्यूटिव से जुडीशियरी का सेपरेशन होना चाहिये। लेकिन जब स्वराज्य हो गया तब इसके सेपरेशन का कोई सवाल पैदा नहीं होता है बल्कि उल्टे यह कहते हैं कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स कर दिये हैं। वह किस के मातहत हैं ? क्या हाई कोर्ट के मातहत हैं ? वह आज भी कमिश्नर के मातहत हैं। उनकी नियुक्ति कौन करता है ? यह तमाम बातें हैं।

श्रीमन्, यदि आज एक्जीक्यूटिव से जुडीशियरी का सेपरेशन कर दिया गया होता तो मुझे पूरा-पूरा यकीन है कि जो सत्याग्रह आन्दोलन के कुचलने की शिकायत है उसके लिये ९० फीसदी मौका पैदा नहीं होता। क्यों मौका पैदा होता है ? आज पकड़े गये-- मैं नाम नहीं लूंगा-- लेकिन वह इसी प्रदेश के विधान मंडल के सदस्य हैं और शहर के प्रमुख नागरिक हैं। उनको दफा १०७ में पकड़ लिया गया। असेम्बली के मेम्बर को दफा १०७ में पकड़ा गया और वह भी ऐसे शहर में जिसकी आबादी साढ़े तीन लाख, चार लाख की है और जो सदा अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिये काशी नगरी मशहूर है, वह पकड़ लिये गये। हाई कोर्ट ने छोड़ दिया तो क्या श्रीमन्, जस्टिस हाई कोर्ट से प्राप्त होनी चाहिये, क्या जस्टिस अपीलेट कोर्ट से प्राप्त होनी चाहिये ? व्यवस्था यह होनी चाहिये कि जस्टिस पहली अदालत से ही प्राप्त हो जाय। एक तो फंडामेंटल राइट्स की गारंटी के मातहत किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिये और अगर किसी की गफलत से हो गई, भूल से हो गई तो जस्टिस फर्स्ट कोर्ट से मिलनी चाहिये। लेकिन यहां जस्टिस अपीलेट अथौरिटी से मिलती है। जितने जजमेंट्स पेश किये गये हैं अगर उनको देखा जाय तो यह बात प्रगट हो जायगी। इसलिए जो प्रस्ताव पेश किया गया है और सदन के सामने विचारणीय है मैं उसका समर्थन करता हूं।

गृहमंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--मान्यवर, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं कि हमारे विरोधी दल के नेता के अत्यन्त सुन्दर भाषण के बाद ही आपने मुझे कुछ इस आदरणीय सदन के सम्मुख अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। पूर्व इसके कि मैं कुछ निवेदन करूं मैं अपने भाई राजनारायण जी को बधाई देना चाहता हूं इसलिये कि उन्होंने इस प्रस्ताव को पेश करके जिस तरह उनका दल राजनैतिक क्षेत्र में स्कोर करने पर लगा हुआ था वैसे ही यहां भी एक स्कोर किया। संसदीय पद्धति का उल्लेख हमारे भाई विरोधी दल के नेता ने किया। मैं समझता हूं कि उस पद्धति की एक विशेषता यह भी है कि विरोधी दल के नेता की ओर से अविश्वास का प्रस्ताव आये।

श्री राजनारायण--यह डिवाइड ऐंड रूल की पालिसी है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--अब कुछ मेरे ऊपर कृपा करें। एक ही स्थान के हम दोनों रहने वाले हैं, इतना लिहाज तो करें। हमारे इस आदरणीय सदन के नियमों में किसी भी माननीय सदस्य को अविश्वास का प्रस्ताव ले आने का पूरा अधिकार दिया गया है और उनका ऐसा प्रस्ताव ले आना नियमतः सर्वथा अनुकूल है। पर कभी एक स्वस्थ परम्परा भी कायम की जाती है और नियमों के रहते हुये भी संसदीय पद्धति का विकास स्वस्थ परम्पराओं पर ही होता है। यह एक परम्परा अच्छी है कि विरोधी दल के नेता की ओर से अविश्वास का प्रस्ताव आये। अक्सर ऐसा ही हुआ करता है और जब अविश्वास का प्रस्ताव आता है

तो यह सोच समझ कर लाया जाता है कि यदि कदाचित् दैवयोगेन अविश्वास का यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो फिर विरोधी दल शासन का भार अपने कंधों पर लेने की क्षमता रखे और लेने के लिये तैयार हो। यही कारण है कि विरोधी दल के नेता की ओर से ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है। यों नियमतः अनुकूल होते हुये भी उस परम्परा को स्थापित करने के लिये यह अच्छा होता कि हमारे भाई राजनारायण जी ने इस प्रस्ताव को विरोधी दल के नेता के द्वारा प्रस्तावित कराया होता तो आज हमारे विरोधी दल की यह स्थिति न होती कि नेता के रहते हुये किसी एक दल ने उस प्रस्ताव को पेश कर दिया और विरोधी दल को भी और उसके नेता को भी उसके समर्थन में खड़े होने की आवश्यकता हुई।

श्री त्रिलोकी सिंह--आइन्दा यही करेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसके माने तो मान्यवर यह हैं कि जिस प्रकार हमारा विरोधी दल रोज-रोज एडजर्नमेंट मोशन पेश करके उसकी सत्ता को खत्म कर रहा है वैसे ही प्रतिदिन अविश्वास के प्रस्ताव को यह जानते हुये भी कि उसका राई भर भी असर होने वाला नहीं है पेश कर के उसके महत्व को हम समाप्त कर देंगे। तो मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि बहुत ही गम्भीर अवसरों पर और बातों को समझते हुये अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है और यह सोच कर लाया जाता है कि उसको यदि आप स्वीकार करा लेंगे जैसा कि इधर के कुछ माननीय सदस्यों से प्रार्थना भी की गयी कि वे इस प्रस्ताव का समर्थन कर दें, यदि किसी प्रकार आप स्वीकार करा ले गये तो आप इस भार को उठाने के लिये तैयार रहें।

श्री त्रिलोकीसिंह--तैयार हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--आपकी तैयारी की हकीकत तो मुझे मालूम है। वह इस माने में कि विरोधी दल विधान सभा में कई छोटे-छोटे दलों में विभक्त है और मुझे बहुत संदेह है कि कभी इस बात की संभावना भी हो सकती है कि आज यदि उन्हें इधर बैठना पड़े तो वे शासन के भार को सम्हाल सकें। उसका एक प्रमाण अभी इस सदन के द्वारा कौंसिल के एलेक्शन का हमें मिला है कि जिसमें जितनी सीटें विरोधी दल प्राप्त कर सकता था वह भी नहीं प्राप्त कर सका। यूनाइटेड फ्रंट हमारे खिलाफ जरूर है पर जहां अपना मामला आता है ऐसा डिसयूनाइटेड फ्रंट होता है कि अपने ही अधिकार खो बैठता है। मुझे इस बात में बहुत संदेह है कि इस भार को वहन करने में उन्हें समर्थता प्राप्त है। फिर भी यह प्रस्ताव आया है और इस प्रस्ताव पर विचार विनिमय हो रहा है। मैं थोड़ी सी बातें निवेदन करना चाहता हूं अपने विरोधी दल के नेता के सम्मुख और उनसे यह भी इच्छा करूंगा कि उत्तर तो वह न दें पर उन के ऊपर विचार अवश्य करें।

जनतंत्र की बात बहुत कही गई। जनतंत्र का संविधान इस देश में निर्मित हुआ और हम सब लोग जनतंत्र के अनुकूल ही और इस संविधान के तत्वावधान में ही यहां उपस्थित हुये हैं। जनतंत्र का यह संविधान, जिस संविधान की बार-बार चर्चा इस सदन में की गयी, उसकी रचना में भी इस दल का बहुत बड़ा हाथ रहा है जो इधर बैठा हुआ है और जिसे चुन कर इस प्रदेश की जनता ने इस बार फिर शासन का भार संचालित करने के लिये यहां भेजा है। इस संविधान की रचना में, जिसका उल्लेख यहां बार-बार किया जा रहा है, मैं मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं का कभी विश्वास नहीं रहा। मुझे याद है वह घटना जब संविधान सम्मेलन की रचना हुई और भारत के संविधान के निर्माण का कार्य आरम्भ हुआ तो हमारे तत्कालीन सोशलिस्ट पार्टी के नेता डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी स्वयं इस पक्ष में थे कि संविधान सम्मेलन का वहिष्कार किया जाय, क्योंकि उन्हें उस समय यह दिखाई दे रहा था कि आसाम की नागा पहाड़ियों से कोई क्रांति टहलती हुई चली आ रही है जिस के लिये उन्होंने अपना विचार भी व्यक्त किया था कि क्रांति चली आ रही है इसलिये इस समय संविधान सम्मेलन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज वही संविधान पेश किया जाता है मौलिक अधिकारों के नाम पर और उसके संबंध में विरोधी दल के नेता

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

बहुत देर तक भाषण भी करते हैं। उस संविधान की रचना करने में इस दल के लोगों का बड़ा भारी हाथ रहा है। एक प्रकार से वे उसके निर्माता रहे हैं, जिनके सामने आज आप इस संविधान को एक वेद की तरह से कोट करते हैं। हमें जनतंत्र पर विश्वास है, जनतंत्र की रचना हमने की है। समाजवादी पार्टी जिसके नेता की ओर से यह प्रस्ताव पेश किया गया है पिछले ४–५ वर्षों में कितने ही रूपों में विभक्त हुई। किसी समय यह समाजवादी पार्टी कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी और फिर किसान मजदूर प्रजा पार्टी हुई, प्रजा समाजवादी पार्टी हुई, समाजवादी पार्टी हुई, कई रूपों में वह विभक्त हुई। फिर कभी उसने इस संविधान की रचना में कोई हाथ नहीं बटाया।

मौलिक अधिकार इस संविधान में सुरक्षित किये गये हैं। मौलिक अधिकारों का ही यह अर्थ है कि वे नागरिक अधिकार हैं, जिनकी सुरक्षा करना इस देश के संविधान के अनुसार इस देश की समस्त सरकारों का कर्त्तव्य है और उन मौलिक अधिकारों की घोषणा इस विचार से की गई है कि प्रत्येक नागरिक यह अनुभव करे कि उसे जिस समाज की रचना इस देश में हो रही है, जिस शासन की व्यवस्था की रचना इस देश में हो रही है, उसमें यह अधिकार प्राप्त हैं। जनतंत्र की यह बुनियाद है। जनतंत्र का यह मूल आधार है कि इस प्रकार के फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किये जायं, उनकी घोषणा की जाय और उनकी गारन्टी दी जाय। इनके बिना इस देश का कोई भी नागरिक अनुकूल नागरिक नहीं हो सकता। यहां कहीं और कभी और किसी अवसर पर यदि मौलिक अधिकारों पर आघात होता है, चाहे वह सरकार की ओर से हो या किसी राजनीतिक दल की ओर से या उसके किसी कार्यकर्त्ता की ओर से अथवा चाहे और किन्हीं कारणों से, यदि मौलिक अधिकारों पर आघात होता है तो खेद की बात है। हमारे शासन की व्यवस्था इस देश में चल रही है। उसके द्वारा यदि कभी, कहीं, किसी भी स्थान पर मौलिक अधिकारों पर आघात हो तो यह हम सब के लिये दुख और लज्जा की बात है और प्रत्येक व्यक्ति जो वहां बैठा है उसका यह धर्म है कि उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करे।

पर मान्यवर, जिस जनतंत्र की दुहाई विरोधी दल वाले देते हैं और जिस जनतंत्र के मौलिक अधिकारों का आप बार-बार उल्लेख करते हैं उसके पीछे भी एक कल्पना है और विचार दृष्टि है। कोई भी मौलिक अधिकार तबतक उत्पन्न ही नहीं होता जबतक कि मौलिक कर्त्तव्य भी उसके साथ लगा हुआ न हो। वह प्रत्येक दिशा में निहित है, भले ही कानून में इसकी व्याख्या न की गयी हो। परन्तु जहां मौलिक अधिकार हैं, उनको सुरक्षित बनाये रखना और उनको प्रत्येक व्यक्ति के भोग में आने देने का अवसर प्रदान करने की बात है वहां उसके साथ-साथ मौलिक कर्त्तव्य भी लगे हुये हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये और जनतंत्र की रक्षा होनी चाहिये, परन्तु इसके साथ-साथ इस बात का भी हमेशा और सर्वदा ध्यान रखना चाहिये कि इसके पीछे जो कल्पना है उसमें व्यक्ति के मौलिक कर्त्तव्य भी निहित हैं।

मैं बड़ी नम्रता के साथ और बड़े दुख के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधि, विधान और अधिनियम की रचना करने वाले सदन की कुरसी पर बैठे हुये विरोधी दल के नेता यहां से यदि यह कहें कि हमें कानून तोड़ने का अधिकार है, कानून तोड़ने से प्रगति होती है और कानून तोड़ने से इतिहास की रचना होती है और कानून तोड़ने का उनको अधिकार दिया जाय तो मैं समझता हूं कि इससे क्या किसी प्रकार से मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सकती है? यह बहुत बड़ा मौलिक प्रश्न है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है।

सविनय अवज्ञा की बात आपने कही। सविनय अवज्ञा गांधी जी का शस्त्र है जिसने संसार को राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पद्धति की एक नयी विचारधारा प्रदान की। इस देश में सविनय अवज्ञा पद्धति पर आन्दोलन चला। हमारे इस सदन में बहुत से ऐसे साथी हैं जिनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस आन्दोलन से देश के ऐतिहासिक युग में

एक नये प्रकार की विचार पद्धति और एक नये प्रकार की क्रांति का उन्नयन हुआ। उस समय उन्हें हिस्सा लेने का उसमें अवसर प्राप्त हुआ। उस सविनय अवज्ञा में इस चीज को स्वीकार किया गया कि प्रत्येक मानव का यह अधिकार है कि वह सविनय अवज्ञा कर सके। इस प्रकार की कल्पना गांधी जी के सविनय अवज्ञा में नहीं थी कि आप छोटी-छोटी बातों पर सविनय अवज्ञा शुरू कर दें। किसी दिन अगर हाफिज जी यहां पर हंस दिये तो राजनारायण जी को क्रोध आ जाय और वह फौरन ही हाउस को छोड़ने के लिये प्रस्तुत हो जायं। सविनय अवज्ञा को क्या इस प्रकार से आरम्भ किया जाता है कि हर मौके पर जब जैसा अवसर प्राप्त हो, कोई भी छोटे से छोटा या बहुत बड़ा कारण हो, आप उसके लिये तैयार हो जायं और कानून के बनाने वालों का सविनय अवज्ञा में विश्वास होते हुये भी कानून के प्रति अपने विरोध को प्रकट करते हुये सरकार को उलट देने की क्षमता और उपाय विधान में आपको प्राप्त होते हुये भी जब चाहें कानून को तोड़ते रहें, तब भी यह कहते रहें कि कानून के तोड़ने का अधिकार है? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की लेकिन वह भी आदर्श युक्त रक्त क्रांति और शस्त्र क्रांति का एक सबस्टीट्यूट था। उन्होंने कहा भी था कि यह शस्त्र क्रांति का बेटर सबस्टीट्यूट है। वह सविनय अवज्ञा का अस्त्र महान् परिवर्तन के लिये ऐसा नहीं था जिससे मानव के अधिकारों का हनन हुआ हो। वह सविनय अवज्ञा सत्याग्रह की एक पद्धति उन्होंने निकाली थी। आपके सत्याग्रह की पद्धति भी संसार के सामने है। मैं मान सकता हूं कि एक लोकतंत्रात्मक देश में जहां पर सरकार को बदलने के लिये भी एक लोकतंत्रात्मक उपाय मौजूद है, जहां विधान सभा में आने के बाद अविश्वास का प्रस्ताव पेश करके उसको निकालने का अधिकार मौजूद हो, जहां विधि, विधान और नियमानुकूल पद्धति का अधिकार मौजूद हो, जब यह कल्पना निहित हो, लोकतंत्रात्मक एक ऐसी पद्धति है जिसमें रक्त क्रांति और शस्त्र क्रांति से वही कार्य किया जा सकता है सरकार को बदलने का जो विद्रोह से होता रहा है तो वहां पर लोकतंत्र में इस प्रकार से करना या कहना उचित नहीं हो सकता।

हमारे आदरणीय और पूज्य पालीवाल जी जिनका मैं सिपाही हूं और जिनकी बातों का उत्तर देना मैं धृष्टता समझता हूं, उस रोज उन्होंने यह कहा कि अगर यह तरीका चलेगा तो यहां खूनी क्रांति होगी। मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव पर उनके प्रति अपना आदर प्रकट करते हुये यह कहूंगा कि उन्होंने कोई बात ऐसी इस हाउस में नहीं कही जिसको उन्होंने इस हाउस में १० बार न रिपीट किया हो और जिसको लेकर इलेक्शन में आप गये उन्हीं बातों को लेकर आप अपने अविश्वास के प्रस्ताव में फिर दोहरायें, आखिर एक जनता का फैसला हुआ और उस फैसले के मुताबिक आपके यहां सरकार बनी हुई है, उस पर आप कहें कि अगर यह काम करेंगे तो खूनी क्रांति होगी, उसी जगह जनतंत्र और मौलिक अधिकारों की जड़ को आप हिला देते हैं। इस खूनी क्रांति का क्या मतलब? जब आपने जनतंत्र की स्थापना की है तो आपको यह अधिकार प्राप्त ही है कि आप जब चाहें सरकार को बदल दें और उसे आप जनता के विचार से बदलें।

एक भाई ने कहा कि हम हरा कर आये हैं। जनता का निर्णय हमारे सर माथे पर। आप हरा कर आये हैं, यह ठीक है। लेकिन आप भी हारे हैं, तब हम आये हैं और इतने आये हैं। लेकिन हां, जनता का फैसला हुआ और उसी के मुताबिक यह सरकार चलती है और इस सरकार को हटाने का मौका भी आपको मिला है, अधिकार है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि हम उसको शस्त्र के द्वारा हटायेंगे तो मैं आपसे कहता हूं कि इस प्रकार से किसी क्रान्ति की बात कहना इस देश के भविष्य के लिये खतरा पैदा करना है, इससे हमेशा के लिये एक खतरा पैदा हो जाता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, बार-बार 'आप' शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। सको आप रोक दें।

श्री अध्यक्ष—(श्री कमलापति त्रिपाठी से) आप कृपा कर मुझे इस प्रकार से "आप" शब्द कह कर संबोधित न करें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, उधर से खूनी क्रान्ति का उल्लेख किया गया। तो ऐसे देश में, जहां जनतंत्र की स्थापना हुई हो वहां यह कह कर जनतंत्र और मौलिक अधिकारों की जड़ को हिला देना है। क्यों? इसलिये कि अगर खूनी क्रान्ति होती है तो हमारे देश का सत्यानाश होता है। अगर खूनी क्रान्ति होती है तो वह हमारे देश के भविष्य को खतरे में डालेगी।

श्री अध्यक्ष—आप इस विवाद को और अधिक न बढ़ायें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिससे हिंसा की प्रवृत्ति जाग्रत होती है तो उससे जो अव्यवस्था की प्रवृत्ति जाग्रत होगी वह जनतंत्र की जड़ों को हिला देगी।

मान्यवर, लोकतंत्र की अपनी एक परिसीमा और अपना एक मूलाधार होता है और वह मूलाधार होता है कि वैयक्तिक स्वतंत्रता हो, व्यक्ति को भाषण की स्वतंत्रता हो, व्यक्ति को विचार स्वतंत्र करने की स्वतंत्रता हो न कि यह कि सरकार के हर कानून का विरोध किया जाय और इसी कारण स्वेच्छा से हम जनतंत्र में अपने ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं और उन्हीं के द्वारा हम समाज की रचना करने का प्रयन्त करते हैं, उसी से हमारा जीवन प्रवाहित होता है। इस प्रकार से लोकतंत्र में जो प्रतिबंध स्वेच्छा से हम अपने ऊपर लगाते हैं वह केवल स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिये ही और इस प्रकार हम कानून का मूल्य स्थापित करते हैं और यह सब जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाता है तथा इसमें परिवर्तन करने का अधिकार भी जनता के प्रतिनिधियों को है, वे चाहे उनमें पूरा का पूरा परिवर्तन कर डालें, चाहे तो सरकार को ही बदल डालें।

श्री अध्यक्ष—क्या आप ५, ७ मिनट और समय चाहेंगे? ऐसे १० मिनट आपके बाकी हैं। आप चाहें तो बाद में बोल लेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, ५ मिनट समय दिया जाय तो मैं अभी समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आप जारी रखें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, मेरी विचार शृंखला टूट गयी, फिर मैं उसको जोड़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—यह शृंखला टूटने की जो भावना है, राजनारायण जी की भी है। बनारस वालों से ऐसी कुछ खास बात मालूम होती है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—बनारस की यह विशेषता है।

श्री अध्यक्ष—मुझसे कई दफा उनको पेश्तर इसी तरह की शिकायत करनी पड़ी थी, आप भाषण जारी रखें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं यह निवेदन कर रहा था कि हम अपने प्रतिबन्धात्मक लोकतंत्र में ही अपने कर्त्तव्य और अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उन्नति कर सकते हैं। जितने भी व्यक्तियों ने इस सदन में विरोधी पक्ष की ओर से भाषण किया और जो विचार व्यक्त किये गये वे यही थे कि इस जगह इनको गिरफ्तार किया गया, इस जगह लोगों को बन्द किया गया, इस जगह लोगों को घसीटा गया और इस जगह गैरकानूनी तरीके से १४४ को लगाया गया। यह तो सभी कहते हैं, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि यह परिस्थिति उत्पन्न करने की जिम्मेदारी किसकी थी? मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल से जानना चाहता हूं कि वे साफ-साफ़ कहें कि इस प्रदेश में कानून का उल्लंघन होता हो, घोषणा करके कानून तोड़ा जाता हो और कानून तोड़ने के लिये चुनौती दी जाती हो और सारी ऐथारिटी के डिफाएंस की भावना से काम किया जाता हो तो उस पर सरकार को कुछ नहीं करना चाहिये? उस पर सरकार को बोलना नहीं चाहिये। यदि उनका यह अर्थ हो कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन

के नाम पर अव्यवस्था उत्पन्न करने से रोकने पर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। जब आपने सरकार के ऊपर समाज की सुरक्षा का सारा भार दिया है तो कोई कानून की अवहेलना करके, उसके उल्लंघन करने की चुनौती देने की चेष्टा करेगा तो यह सरकार उसका मुकाबला करेगी, नहीं तो यह सरकार चल नहीं सकती है और अगर सरकार उसका मुकाबला नहीं करेगी तो इसका विनाश होगा और एक क्षण के लिये भी यह सरकार रहने लायक नहीं है। जिस समय कि मौलिक अधिकार के नाम पर उसकी जड़ पर ही कुठाराघात किया जा रहा हो और व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था फैलाने की चेष्टा की जा रही हो तो इसको कोई सरकार कैसे बर्दाश्त कर सकती है? कानून तोड़ने की बात तो आये दिन की हो गयी है। कानून में यह नहीं है कि हम कोई मूर्ति तोड़ सकें। सरकार की नीति है की मूर्ति हटायी जायगी। आपने मांग की कि मूर्ति हटायी जाय और नहीं हटायी जायगी तो मैं इसको तोड़ दूंगा। शासन की सुरक्षा में वह मूर्ति रखी जाती है और उस मूर्ति को कोई तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार बन्द कर दिया जाता है। इसके ऊपर तमाम स्थानों पर आन्दोलन शुरू कर देते हैं, प्रदेश में प्रातः काल उठते ही सत्याग्रह शुरू कर देते हैं और सायंकाल बन्द कर देते हैं और जब सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी होती है तो यह शोर। पहले तो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है और कानून तोड़ा जाता है और सरकार जब सुरक्षा की दृष्टि से कोई ऐक्शन नहीं लेती तो कहते हैं कि हमें जेल क्यों नहीं भेजते और जब जेल में भेजते हैं तो फिर यह शोर मचाया जाता है कि हमको जेल क्यों भेजा गया, यह तो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं पूछता हूं कि मौलिक अधिकारों के नाम पर इस तरह की व्यवस्था दुनिया में कहीं भी चल रही है और क्या इस तरह से कोई सरकार चल सकती है?

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के नाम पर एक अव्यवस्था उत्पन्न की जाती है और कहा जाता है कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं होती है। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहां का जनतंत्र और कहां की स्वाधीनता है कि कोई व्यक्ति कानून को तोड़े और समाज में इस्तआल पैदा करने की सभी प्रकार से कोशिश करे तो उसका कोई सामना भी न किया जाय? अगर कोई भी सरकार जनतंत्र के आदर्श से पीछे हटे और इन चीजों का सामना न करे तो यह चीज शासन सत्ता के लिये भविष्य में खतरनाक साबित हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि यदि आप सचमुच मौलिक अधिकारों की सुरक्षा चाहते हैं, तो मैं विरोधी दल के नेता और सदन के तमाम आदरणीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे कानून की अवहेलना की इस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न न होने दें। मैं तो यह चाहता हूं कि इस प्रदेश में ऐसा स्वस्थ विरोधी दल उत्पन्न हो जो इस तरह का राजनीतिक दिवालियापन न दिखा सके जिस तरह से कि आज। जितने विरोधी दल हैं ऐसे तो अलग-अलग बिखरे पड़े हैं लेकिन सरकार का विरोध करने के लिये ही एक साथ हुये हैं और बाद में फिर वे बिखर कर इधर उधर हो जायेंगे। इसलिये मैं तो चाहता हूं कि विरोधी दल एक स्वस्थ परम्परा स्थापित करे और स्वस्थ आदर्श और स्वस्थ नीति को लेकर और एक अच्छे विरोधी दल को जन्म दे ताकि यहां का विरोधी दल इस प्रदेश में स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना में सहायक हो सके। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और २ बजकर २० मिनट पर फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बज कर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं उस मंत्रिमंडल में दो एक को छोड़ कर बाकी सब के सब मेरे पुराने साथी हैं। साथी और मित्र, ऐसे साथी जिनके कंधे से कंधा मिला कर मैंने काम किया है। साथी सिर्फ सुखों के साथी नहीं, संघर्षों के साथी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

जिनकी मित्रता, त्याग और बलिदान की आग में तप कर चमक चुकी है। साथी थोड़े समय के नहीं, मंत्रिमंडल में ऐसे-ऐसे भी साथी हैं जिनका मेरा साथ ३० वर्ष से ज्यादा का, पूरे एक युग से भी ज्यादा का है। दस बारह वर्ष से ज्यादा का साथ तो सभी का है। मुझे यह मानने में भी कोई संकोच नहीं है कि व्यक्तिगतरूप से मंत्रिमंडल में ऐसे सदस्य हैं जिनकी सच्चाई और चरित्र की अच्छाई पर आज भी मुझे विश्वास है। इसलिये मेरे मन में जब मैं इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं तब कोई खुशी नहीं है। लेकिन कर्त्तव्य की प्रेरणा से मुझे अप्रिय कार्य करना पड़ रहा है। हमारी संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने कर्त्तव्य के सम्बन्ध में जो पुण्य परम्परा प्रचलित की है वह परम प्रशंसनीय है। कर्त्तव्य की वेदी पर प्रह्लाद ने अपने पिता का विरोध किया। कर्त्तव्य की वेदी पर भरत ने अपनी महतारी कैकेयी का विरोध किया। कर्त्तव्य की वेदी पर राजा मोरध्वज ने अपने एकलौते पुत्र को काट कर भगवान के सिंह को खिला दिया। इसलिये जब मैं इस प्रस्ताव का समर्थन कर के अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहा हूं तब मुझे खुशी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विचारणीय बात यह है कि जब कल से लेकर आज तक सरकारी पक्ष के चार प्रवक्ता बोल चुके हैं, माननीय गोविन्द सहाय जी, माननीय लक्ष्मीरमण जी आचार्य, माननीय नवलकिशोर जी और माननीय कमलापति जी त्रिपाठी चारों के चारों उस पक्ष के जिम्मेदार और अच्छे वक्ता हैं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—माननीय सीताराम शुक्ल?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—उनको तो मैं ऐसा मानता हूं कि न हीयों में हैं न शीयों में हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि ये शब्द आपत्तिजनक हैं किसी माननीय सदस्य के लिए। यह बाहर आप कहते तो कोई बात नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—अच्छा तो मैं वापस लेता हूं "हीयों में भी हैं और शीयों में भी हैं।"

मैं आशा करता था कि इन चार सरकारी पक्ष के वक्ताओं की तरफ से कुछ बातें ऐसी कही जायंगी जिनको सुन कर शायद मेरी राय में कोई अन्तर पड़े। लेकिन मुझे दुख है कि मुझे उसमें कोई ऐसी बात नहीं मिली। मैं एक-एक कर के उनको ले रहा हूं।

माननीय गोविन्द सहाय जी ने शिकायत की कि उन्हें इस बात की शिकायत थी राजनारायण सिंह जी से कि उनका परफार्मेंस अच्छा नहीं था। मैं माननीय गोविन्द सहाय जी से यह कहूंगा कि मुझे भी उनसे उतनी ही निराशा हुई जितनी कि उनको माननीय राजनारायण सिंह जी के भाषण से हुई। यह जरूर है, मैं इस बात के लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि माननीय राजनारायण सिंह "बहुत सी बातें"—यह उन्हीं के शब्द हैं, ऐसी बहुत सी बातें कह सकते थे जिनसे गोविन्द सहाय जी इनकार नहीं कर सकते थे। इसके मानी साफ हैं कि माननीय गोविन्द सहाय जी यह स्वीकार करते हैं कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके लिये इस मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह उन्होंने स्वीकार किया है। उसके बाद इन चार भाषणों से मेरा काम हल्का हो गया है, मुझे बहुत मदद मिली है। माननीय नवल किशोर जी ने उस कहावत को पूरा किया, कुछ-कुछ इसी कहावत को माननीय त्रिपाठी जी ने भी पूरा किया जो अंग्रेजी में है: When you have no defence abuse the plaintiff's Attorney." जब आप अपनी सफ़ाई में कुछ नहीं कह सकते तो मुद्दई के वकील को गाली देना शुरू कर दो। माननीय नवल किशोर जी ने कम्युनिस्ट पार्टी को कोसना शुरू किया। यह नहीं बताया कि उनके सरकारी पक्ष पर जो आरोप किये गये हैं उनमें क्या गलती है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी की सफ़ाई देने के लिये नहीं खड़ा

हुआ हूं। वह पार्टी अपनी सफ़ाई देने की शक्ति रखती है, लेकिन मैं नवल किशोर जी को बता देना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई गलतियां की हैं तो उनकी गलतियां मंत्रिमंडल की गलतियों को जस्टीफ़ाई नहीं कर सकतीं। इसलिये उनका यह प्रयत्न कोई सफल नहीं था।

एक आरोप नवल किशोर जी ने यह भी लगाया कि विरोधी दल का यह अन्तिम हथियार है अविश्वास का प्रस्ताव, जिसको वे ले आये हैं और दूसरे बाकी सब उपायों से काम नहीं लिया। लेकिन माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने अपने भाषण में नवल किशोर जी की बात का खंडन कर दिया। उन्होंने स्वयं यह कहा कि जिन बातों की चर्चा अविश्वास के प्रस्ताव में इस समय यहां की जा रही है उन बातों की चर्चा अल्पसूचित प्रश्नों, तारांकित प्रश्नों, कार्य-स्थगन प्रस्तावों में बराबर होती रही है। क्या यह इस बात से साफ़ नहीं है कि विरोधी दल ने सभी उपायों से काम ले लिया है, बाकी सभी पार्लियामेंटरी पद्धतियों को एग्जास्ट कर दिया, अल्प सूचित तारांकित प्रश्न किये, तारांकित प्रश्न किये, कार्य-स्थगन प्रस्ताव किये और जब कोई परिणाम नहीं निकला तब अन्त में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया। इसलिये यह सही नहीं है कि हम इस प्रस्ताव को हल्केपन से लाये हैं।

माननीय गोविन्द सहाय जी ने एक बात और कही। उन्होंने यह माना सोशियो इकोनोमिक रिवोल्यूशन, जिसको उन्होंने सोशल रिवोल्यूशन के नाम से पुकारा था, वह पूरा नहीं हुआ, उन्होंने यह माना कि मिक्स्ड इकानामी का जो स्ट्रक्चर चल रहा है, उसमें यह नहीं चल सकता। हमारा यही तो केस है कि फंडामेंटल राइट्स में जो बातें गवर्नमेंट के लिये औब्लीगेटरी हैं उनको गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को मानेंगे कि संविधान के तीसरे भाग में आर्टिकिल १७ से ले कर आर्टिकिल ५१ तक ३५ धारायें हैं फंडामेंटल राइट्स की। उनमें एक-एक का मैं उल्लेख करूं और एक-एक के सम्बन्ध में यह बताऊं कि इस सरकार ने क्या नहीं किया है, तो १ घंटे में सब का उल्लेख करना असम्भव है, एक-एक उदाहरण देना असम्भव है। इसलिये मैं स्थानीय पुलाव न्याय से काम लूंगा।

भगवान् कृष्ण ने गीता में कर्म को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। कर्म, अकर्म और विकर्म। कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल के कर्मों का गुण गान तो उधर से किया जायगा। इसलिये मैं अकर्म, ऐक्ट्स आफ ओमीशन ऐंड ऐक्ट्स आफ़ कमीशन के बारे में ही कहता हूं। समय की कमी से दो, दो, चार, चार, उदाहरणों तक ही सीमित रखना पड़ेगा।

पहले मैं अनटचेबिलिटी को लेता हूं। फंडामेंटल राइट्स में अनटचेबिलिटी को रिमूव करना सरकार का कर्त्तव्य है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस मंत्रिमंडल ने अपने प्रदेश में अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिये अनटचेबिलिटी के खिलाफ़ १ लाख गांव में जो झगड़े नित्य, प्रति दिन, होते रहते हैं उनमें से १ हजार मुकदमे भी चलाये गये हैं? क्या सरकार ने अपने इस कर्त्तव्य का पालन किया है? मैं जानना चाहता हूं शेड्यूल कास्ट के प्रति जो १८ परसेंट का रिजर्वेशन है वह १० वर्ष में पूरा हुआ है? मैं जानना चाहता हूं दो, ढाई परसेंट जो अभी पूरा हुआ है और १० वर्ष में इस हिसाब से कम से कम आप एक शताब्दी लेंगे इसे पूरा करने के लिये और आप की तरफ भी जो उनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनके जीवन काल में तो उनकी आशा पूरी नहीं होनी है कि यह १८ प्रतिशत भी उनको मिल जाय। अभी ५० वर्ष तक या २० वर्ष तक जिस कछुए की चाल से आप इस मामले में चल रहे हैं उस चाल से यह नहीं होने वाला है। तो क्या यह आप ने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है?

यही बात पिछड़ी हुई जातियों के बारे में है। लेकिन इसके पहले मैं शिड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में एक बात और कह दूं। यही नहीं कि आपने नाकाफी काम किया, अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया, आगरे में जूते के व्यवसाय के ऊपर जो सेल्स टैक्स लगा रखा है, दस वर्षों से उसकी

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

वजह से वहां के ८०, ९० प्रतिशत लोग जिनकी तादाद लाखों में है और बाकी जो और लगे हुए हैं, वह बरबाद हुए जा रहे हैं। दस साल से वह इस बात की मिन्नतें कर रहे हैं कि उस सेल्स टैक्स को छोटे-छोटे लोगों से हटाकर के, काटेज इंडस्ट्री से हटा कर के बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के ऊपर कर दिया जाय, सिंगिल मल्टीपल टैक्स वहां से शुरू किया जाय। लेकिन आज तक आपने उनकी प्रार्थना मंजूर नहीं की है। कभी-कभी तो ऐसा मालूम होता है जैसा कि हम इतिहास में पढ़ा करते थे कि अलाउद्दीन खिलजी की यह पालिसी थी कि जनता को इतना गरीब कर दो कि उसमें विद्रोह करने की हिम्मत ही न रहे, उसे अपने खाने पहनने की चिन्ता से ही फुर्सत न रहे। उसी तरह की नीति फालो की जा रही है। सरकार उनकी गरीबी दूर नहीं करना चाहती, क्योंकि डाक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व से सरकार को उनसे नाराजी है। पिछड़ी हुई जातियों के साथ क्या हो रहा है? बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट जो कमीशन केन्द्रीय सरकार ने बिठाया था उस की रिपोर्ट क्या यहां इस सदन में लायी गई? नहीं लायी गई और सर्विसेज के बारे में यह हालत है कि प्रगति के स्थान पर दुर्गति हो रही है। आज से कुछ समय पहले १९४६ में जब कि कुल ३ हजार गजटेड आफिसर थे हमारे प्रदेश में तब इस जाति के ३४ गजटेड आफिसर थे और अब १९५७ में जब ५,५०० हैं गजटेड आफिसर तब उनकी संख्या २५ है। यह प्रगति हुई है। यह उनके अधिकार का संरक्षण हुआ है। यह जैसा मैंने कहा कि समय न होने की वजह से एक-एक उदाहरण और एक-एक बात ले रहा हूं और एक तमाशा और कि इससे पहले तो उनका एक गवर्नमेंट प्लीडर था अपने प्रदेश में। कम से कम बीजवंश तो था, नाम लेने के लिये तो एक था, कसम खाने के लिये तो एक था, लेकिन अब इतनी प्रगति और इतना विकास हुआ है कि अब एक भी नहीं रहा। देयर इज नाट ए सिंगिल गवर्नमेंट प्लीडर कमिंग फ्राम दी बैकवर्ड क्लासेज (There is not a single Government pleader coming from the backward classes) तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने कर्त्तव्य का पालन किया है, जनता के फंडामेंटल राइट को, उसके अधिकार को आपने पूरा किया है? अगर नहीं किया है तो क्या आप उसे पूरा न करने के अपराधी नहीं हैं और अगर आप इसके अपराधी हैं तो यह जो ७५ फीसदी या ८० फीसदी के करीब पिछड़ी और परिगणित जातियों के लोगों की संख्या अपने प्रदेश में है, इस बहुसंख्यक जनता के प्रति अपने कर्त्तव्यों का न पालन करना क्या यह अविश्वास का काफी कारण नहीं है? आप स्वयं इस बात पर विचार करें।

आपके द्वारा मैं मंत्रिमंडल के सदस्यों से कहना चाहता हूं, माननीय त्रिपाठी जी ने कुछ जनतंत्र की बात कही, कानूनों का उल्लंघन न करने की बात कही, माननीय गोविन्द सहाय जी ने भी प्रोफेसर हेरल्ड लास्की का नाम लिया था। मुझे दुख है कि माननीय गोविन्द सहाय जी इस समय यहां नहीं हैं। हैं, तो माननीय गोविन्द सहाय जी को मैं प्रोफेसर हेरल्ड लास्की की लिखी हुई एक किताब की याद दिलाना चाहता हूं। उस किताब का नाम है—डैंजर्स आफ आबीडियेंस। फिर सुन लीजिये डैंजर्स आफ आबीडियेंस। जनता द्वारा सरकार की आज्ञा का अन्धा हो कर पालन करना खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए, प्रगति के लिए, यह प्रोफेसर हेरल्ड लास्की की राय है, उस प्रोफेसर हेरल्ड लास्की को जिसका नाम माननीय गोविन्द सहाय जी ने लिया। और यह नहीं कि उसने किसी अखबार में कोई लेख लिख दिया हो, पूरी किताब है जो पालिटिक्स में पढ़ाई जाती है। उसे मैं माननीय गोविन्द सहाय जी को अर्पित करता हूं कि वह उसे पढ़ लें। जनतंत्र के सम्बन्ध में यही बात मैं माननीय कमलापति त्रिपाठी जी से कहता हूं कि कानून के उल्लंघन जो हैं उनसे इतनी ज्यादा बुराइयां नहीं फैलतीं जितनी कि अन्धा हो कर सरकार का गुलाम बन जाने में फैलती हैं।

माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने यह कहा था और कुछ थोड़ा सा संकेत माननीय त्रिपाठी जी ने भी किया था क्या आजकल जो सत्याग्रह किया जाता है वह दुराग्रह नहीं है?

क्या यह गांधी जी के तरीक का सत्याग्रह है ? मैं इन दोनों माननीय मित्रों से एक प्रश्न पूछता हूं। अगर सत्याग्रह दुराग्रह में डिजनरेट हो जाता है तो क्या सत्ताग्रह दुराग्रह में डिजनरेट नहीं होता ? उनका सत्ताग्रह, घमंड, मेजारिटी का जोम क्या दुराग्रह में डिजनरेट नहीं होता ? सत्याग्रह तो बुरा है, लेकिन सत्ताग्रह क्या है इस बात पर वे स्वयं अपने मन में विचार करें।

मैं एक बात और कह दूं आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इस अविश्वास के प्रस्ताव पर भाषण नहीं कर रहा हूं। अपनी ओर से मैं इस बात की भी कोशिश कर रहा हूं कि अपने उधर के बैठे हुए साथियों और मित्रों के हृदयों को और उनकी अन्तरात्मा को भी छू सकूं। इसीलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह बात भी लाना चाहता हूं। वैसे तो एक बात और भी बहुत साफ है और वह यह है कि सत्याग्रह जो है वह अधिक से अधिक इसमें डिजनरेट होगा कि ढेले फेंक दो, मूर्ति तोड़ दो या घेरा बना रहे और जाने नहीं दो, लेकिन सत्ताग्रह तो हत्याग्रह में डिजनरेट हो जाता है जो गोली चला कर लोगों का बलिदान ले सकता है। सत्ताग्रह में ज्यादा खतरे हैं, सत्याग्रह में उतने खतरे नहीं हैं।

गांधी जी का नाम लिया माननीय त्रिपाठी जी ने और जनतंत्र की बात करते हुए मुझसे शिकायत की कि हमने खूनी क्रान्ति का जिक्र क्यों किया। तो माननीय त्रिपाठी जी से एक बात कह देना चाहता हूं कि अगर मैं खूनी क्रान्ति की शिकायत करता और वह उसमें आपत्ति करते तो मैं सोचता कि शायद मेरी गलती होगी, लेकिन माननीय त्रिपाठी जी को एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि इस देश में संत विनोबा नाम का एक आदमी है। मुझे पूरी आशा है कि माननीय त्रिपाठी जी उसका नाम जानते हैं और माननीय त्रिपाठी जी यह भी जानते हैं कि वे महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी आशा है कि माननीय त्रिपाठी जी यह भी जानते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू, हमारे राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू, आज की कांग्रेस के अध्यक्ष धेबर साहब सन्त विनोबा का आदर करते हैं और यह राय संत विनोबा की है कि अगर आपने संख्यासुर से काम लिया तो खूनी क्रान्ति हुए बिना नहीं रहेगी। यह मेरी राय नहीं है, मेरी राय की आप उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन सन्त विनोबा की राय की उपेक्षा नहीं कर सकते। जब आप बहुमत से निर्णय कर लिया करते हैं और अपने उस बहुमत के निर्णय को आप यह समझते हैं कि यह सही निर्णय है और हम सब लोगों को उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिये, इस बहुमत के फैसले को ही सन्त विनोबा संख्यासुर कहते हैं। संख्यासुर के मानी मोस्ट करप्ट मेजारिटी (most corrupt majority) है तो जनतंत्र केवल मेजारिटी रूल नहीं है। जनतंत्र रूल बाई डिस्कशन है, जनतंत्र रूल बाई कम्प्रोमाइज है, जनतंत्र विरोधी दल के अधिकारों की रक्षा करना होता है। विरोधी दल के नेता के लिये इंगलैण्ड में क्या होता है ? वहां की पार्लियामेंट उसका किस प्रकार आदर करती है ? उसको विरोध करने के लिये वेतन देती है। वह जनतंत्र है। आप जिस तरह का जनतंत्र प्रचलित कर रहे हैं वह जनतंत्र नहीं है।

जैसा मैंने आपसे कहा, मेरी वैयक्तिक भावनाएं आपके प्रति मित्रता की हैं और मेरे मन की रचना व गठन ऐसा है कि जिनके लिये मेरे हृदय में एक बार स्नेह और प्रेम की भावनाएं पैदा हो गईं वे सहसा और सहज नहीं जातीं, राजनैतिक मतभेदों के कारण तो वे कभी भी नहीं जातीं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं तो उसके कारण हैं और उसका कारण यह है कि १९५६ से लेकर अब तक, लगभग दो साल तक सदन में काम करने का मुझे अनुभव है, सभी बातों के बावजूद आपकी नीति विरोधी दल के प्रति आपका रुख, आपका व्यवहार ये सब अजनतंत्रीय हैं और सब जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाले हैं--मैं उसका विरोध करता हूं।

बड़े-बड़े सवाल उठाये माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने और बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाये हमारे राजनारायण सिंह जी ने, लेकिन मेरा विरोध इन बड़े-बड़े सवालों पर आधारित नहीं है--इससे कुछ आगे है, जिस डायरेक्ट तरीके और अप्रत्यक्ष-रूप से जनता की विरोधी भावनाओं को कुचलने की कोशिश की जाती है, उसके प्रति है। कुछ उदाहरण दे दूं ? जनतंत्र का सबसे

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

बड़ा मौलिक अधिकार तो यह है कि राइट टु वोट फ्रीली हो। उसी के साथ अपना वोट देते समय चुनाव में फेयरनेस हो, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपने मंत्रिमंडल के साथियों से नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि वह अपने हृदय पर हाथ रख कर कहें कि चुनाव में सरकारी अधिकारों के ऊपर दबाव दिया जाता है या नहीं? वह बताएं कि परमिट होल्डरों के ऊपर, लाइसेंस प्राप्त करने वालों पर, ठेकेदारों पर अनुचित दबाव दिया जाता है या नहीं।

यह व्यापक बात है। अब मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं---अपने नियम के अनुसार और इस सदन के नियम के अनुसार किसी का नाम नहीं लूंगा---वह घटनाएं बताऊंगा जिनके मेरे पास तहरीरी सबूत हैं, जिनका मुझे निजी ज्ञान और अनुभव है। मैं खास तौर से माननीय त्रिपाठी जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि फ्रीडम आफ स्पीच का एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है या नहीं? भाषण लिखने और बोलने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है या नहीं? लेकिन क्या उनको मालूम है कि उनके सूचना मंत्रित्व में हमारे प्रदेश के एक पत्र को, जिसका सर्कुलेशन ए, बी, सी के सर्टिफाइड आडिट के मुताबिक यू० पी० में हिन्दी के सब पत्रों से अधिक है, उसको इसलिए सरकारी विज्ञापन नहीं दिया जाता है कि वह सरकार का गुलाम नहीं है? क्या यह मौलिक अधिकारों का अपहरण नहीं है, मैं उनकी आत्मा और हृदय से पूछना चाहता हूं?

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कहता हूं उसके सम्बन्ध में कांग्रेस के नेताओं की गवाही सबूत में पेश करता हूं। हमने गैर-जिम्मेदारी की बात कह दी होगी क्योंकि हम लोग बहुमत में नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या आपके केन्द्र के मिनिस्टर भी गैर-जिम्मेदारी की बात कहते हैं? क्या आपको मालूम है कि जब हरिजनों के प्रति आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके यूनियन के मिनिस्टर ने इस सम्बन्ध में दिल्ली में एक मिनिस्टर्स कांफ्रेंस बुलाई है कि भगवान् के लिए हरिजनों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो।

दूसरी बात, जनता का सबसे बड़ा मौलिक अधिकार तो यह है कि ऐडिक्वेट न्युट्रिटिव फूड जनता को मिलना चाहिये---मैं आपको यह आर्टिकिल पढ़ कर सुना दूं? पोषक भोजन पूरा मिलना चाहिये। लेकिन आप तो अभी सूखी रोटी, कोदों और दूसरी इसी प्रकार की चीजों का प्रबन्ध नहीं कर पा रहे हैं। खाद्य मंत्री माननीय अजितप्रसाद जैन ने अभी इसी एक महीने के भीतर कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड में भाषण देते हुए यह कहा कि मुझे दुःख है कि प्रादेशिक सरकारें इस काम में पूरा सहयोग नहीं दे रही हैं। यह माननीय राजनारायण जी नहीं कह रहे हैं, त्रिलोकी सिंह जी नहीं कह रहे हैं, झारखंडेराय जी नहीं कह रहे हैं, दुबे जी नहीं कह रहे हैं और यह गरीब पालीवाल भी नहीं कह रहा है, आपके केन्द्र का मिनिस्टर यह कह रहा है कि खाद्य समस्या को हल करने के लिये प्रदेश पूरा सहयोग नहीं देता है।

यह मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से खास तौर पर पूछना चाहता हूं कि संविधान में जो यह लिखा हुआ है कि सेक्स के नाम पर, रिलीजन के नाम पर और कम्यूनिटी के नाम पर डिसक्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर जात बिरादरी की जगह पार्टी ले लें तो क्या फर्क होगा? जब आप सरपंचों के चुनाव के लिये पार्टी के लोगों की कमेटी मुकर्रर करते हैं, जो हाई कोर्ट में क्वेश्चन किया जाता है और चुनाव इल्लीगल करार दिया जाता है तब आप क्या करते हैं? जनतंत्र को बढ़ाते हैं या जनतंत्र में आस्था पैदा करते हैं? आनरेरी मजिस्ट्रेट्स को नियुक्त करने के लिये जो कमेटी बनाते हैं उसमें क्या करते हैं? क्या उसमें अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भरते हैं? इसी २० तारीख को जो हमारे माननीय सदस्य गनेशचन्द्र जी काछी हैं उनका अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों में से सवाल था कि क्या सरकार ने फलां जिले में जो मकानों को किराये पर उठाने के लिये कमेटी बनाई है उसके नाम बताने की कृपा करेगी? मैं पूछना चाहता हूं कि इन कमेटियों की नियुक्ति में आप क्या पार्टीबन्दी का नाम नहीं लेते हैं? यह जनतंत्र के प्रति आस्था पैदा करना है या जनतंत्र को कुचलना है और इस सदन के अन्दर जैसा कि मैंने कहा कि मैं

बड़ी-बड़ी बातों को छोड़े देता हूं---अभी और भी लोग हैं वह ले लेंगे---मैं तो छोटी-छोटी बातों को ही लूंगा। जो आपका जनतंत्र के प्रति रुख और मनोवत्ति है उसी को लेता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि यहां एक सर्वदलीय समिति कायम हुई थी। यह विवाद की बात हो सकती है कि उसका काम रहेगा या नहीं, उसका काम है या नहीं, लेकिन जो रुख सरकार का उसके प्रति रहा क्या वह जनतंत्रीय था? क्या वह विरोधी दल की सहानुभूति और सहयोग को प्राप्त करन वाला था? मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय माल मंत्री जी से कहता हूं कि वह विचार करें कि कैसा रुख था?

एक बात और है, वह यह है कि एक समिति आपके सभापतित्व में काम कर रही है। रूल्स रिवाइजिंग कमेटी.....

श्री उपाध्यक्ष---यह कमेटी माननीय अध्यक्ष की है, सदन की है। अभी नियमों पर वाद विवाद होने वाला है इसलिये उसका जिक्र न करें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि रूल्स रिवाइजिंग कमेटी की सर्वसम्मति की रिपोर्ट को इस सदन ने मंजूर नहीं किया और यह कहने का मुझे अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष---अभी यह स्थिति उत्पन्न कहां हुई है?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---अब चूंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है। इसलिये अंत में मैं एक दो बातें कह देना चाहता हूं और वह यह है कि माननीय त्रिपाठी जी ने जनतंत्र की बात कही, सत्याग्रह की बात कही और खूनी क्रांति की बात कही, लेकिन एक बात की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जब जनतंत्र के प्रति मंत्रि मंडल की ओर से जनतंत्र का निरादर किया जायगा तब जनता में उसके प्रति आस्था कैसे पैदा होगी। वह एकतरफा चीज नहीं है, दोनों तरफ से होती है। जाने दीजिये गांधी जी को, म कहता हूं जैसा कि माननीय लास्की का नाम लिया गया, मैं पश्चिम के माने हुये आचार्यों की पुस्तकों में से बतला सकता हूं कि अगर पार्लियामेंटरी पद्धति में केवल मेजारिटी के बल पर ही काम हो और डिस्कशन और कम्प्रोमाइज वगैरह न हो तो कोई भी मेजारिटी चल नहीं सकती है। अन्त में मैं एक ही बात कहूंगा और वह यह, मुझे याद आ गया, विक्टर ह्यूगो फ्रान्स का प्रसिद्ध साहित्यकार और विचारक था, उसने अपनी एक पुस्तक में यह कहा है कि "लिबर्टी इज सफ़ोकेटेड ह्वेयर ए टाइरेंट ब्रीद्ज'।' जहां अत्याचारी श्वास लेता है वहां स्वाधीनता का दम घुटता है। मैं कहता हूं और कहता हूं इस आशा पर कि माननीय मुख्य मंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य इस बात पर विचार करें कि--

"Democracy suffocates where one party diactatorship and the majority dictatorship rules". जहां बहुमत से, तानाशाही से काम चलता है वहां प्रजातंत्र का गला घुट जाता है। इसलिये संख्यासुर से अगर आप काम लेंगे तो वह आपके लिये भस्मासुर सिद्ध होगा, वह आपको भस्म कर देगा। इसलिये मरी मंत्रिमंडल से अपील ह कि वह अपन इस रुख को, अपनी इस नीति को, अपने इस व्यवहार को बदलें और अगर वह अपने इस रुख को, अपनी इस नीति को, अपने इस व्यवहार को नहीं बदलेंगे तो जनता उन्हें बदल देगी।

माननीय त्रिपाठी जी ने विरोधी दलों की फूट की ओर संकेत किया, लेकिन अपनी फूट की तरफ ध्यान नहीं दिया। वे जरा चौधरी चरण सिंह के इस्तीफे की तरफ ध्यान दें कि उस इस्तीफ़े में क्या लिखा है। दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी को हमारी फूट से क्या शिकायत है? उनको तो खुशी होनी चाहिये क्योंकि अगर हम में फूट न होती तो उनके पौ ग्यारह नहीं हो पाते। अगर हममें फूट न होती तो पिछले चुनाव में ही आप यहां बहुमत में न आते और हमें आज अविश्वास का प्रस्ताव न लाना पड़ता। चुनावों का सन् १९५२ से लेकर आज तक का इतिहास पुकार-पुकार कर कह रहा

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

है कि जहां विरोधी दल के उम्मीदवार से स्ट्रेट फ़ाइट होती है वहां कांग्रेस हारती है और जहां विरोधी दल आपस में लड़ करके वोटें बंटवाते हैं वहां कांग्रेस जीतती है। तो हमारी फूट की ही वजह से आप वहां हैं, उसे धन्यवाद दीजिये, उसे कोसने का आपको क्या अधिकार है ?

हरिजन कल्याण मंत्री के सभा सचिव (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री राजनारायण—मैं इसमें संशोधन करता हूं कि आज का समय और २६ तारीख का दिन भी इस विवाद के लिये नियत किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मेरे सामने एक प्रस्ताव है और माननीय राजनारायणजी का एक संशोधन है। क्या और कोई माननीय सदस्य इस बारे में सुझाव देना चाहते हैं ?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मेरी राय यह जरूर है कि आज का समय तो बढ़ ही लेकिन जो २६ तरीख को इंटरमीडिएट एजुकेशन बिल आने वाला है उसको एक घंटे में खत्म करने पर हम राजी हो जांय और बाकी समय इसी विवाद पर लगाया जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह अविश्वास का प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है वह बड़ा मौलिक प्रश्न है और लगातार सत्याग्रह हुये और अनशन हुये....

श्री उपाध्यक्ष—आप संक्षेप में कहें क्योंकि नियमानुकूल ऐसे प्रस्तावों पर वादविवाद की इजाजत नहीं दी जाया करती।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मौलिक अधिकारों की यदि व्याख्या की जाय और एक-एक धाराओं की और एक-एक धाराओं के मौलिक अधिकारों के हनन के रूप में कांग्रेस सरकार के क्या कारनामे रहे हैं उनकी चर्चा की जाय तो एक-एक दिन नाकाफी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज चाहे एक घंटा या दो घंटे बढ़ाये जांय, कोई हर्ज नहीं है, मगर २६ तारीख भी इसके लिये रखी जाय और मैंने तो पहले ही निवेदन किया था कि कम से कम ५ दिन होने चाहिये। बिहार में तीन दिन, मद्रास में चार दिन और यहां पांच दिन। और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में जो तर्क दिया था.....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी को आप कहने दीजिये।

श्री राजनारायण—क्योंकि यह उनके लिये शोभा की बात है। अगर मुख्य मंत्री जी पालीवाल जी के शब्दों में संख्यासुर के आधार पर यहां डिवीजन करा कर एक तरीके से क्लोजर मूव करेंगे और इस विवाद को नहीं चलने देंगे तो उनके लिये कोई ग्रेस नहीं रह जायगा। इसलिय मैं उनसे निवदन करूंगा कि जो समय की मांग हम कर रहे हैं उसे वह प्राप्त करावें और जितनी बातें सदन में आ रही हैं उनको लाने दें। मंत्रियों के सुनने के बाद, पहले मैं समझता था कि समय शायद कम लगे, लेकिन अब जब मैंने कमलापति जी को सुना है कि वह किस तरह से हिंसा का प्रचार कर रहे थे तो .....

श्री उपाध्यक्ष—आप हर मंत्री को उत्तर न दें। बैठिये।

श्री राजनारायण—मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि समय नाकाफी है। इसलिये एक घंटे का समय तो बढ़े लेकिन समय २६ का भी रहे और उसके बाद भी रहे।

श्री उपाध्यक्ष—इस के संबंध में मेरी कठिनाई यह है कि माननीय अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव पर यह व्यवस्था दी थी कि जबतक कोई विवादान्त क्लोजर, का मूव न आये तब तक सदन इस पर वादविवाद करता रहेगा। तो जब तक दोनों पक्षों की ओर से कोई बात तय नहीं हो जाती

तब तक इस प्रस्ताव को मैं अनियमित करार दे कर कार्यवाही जारी रखूंगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी अगर इस पर कोई सुझाव दें और दोनों पक्ष एक मत हो जायं तो मैं इसकी इजाजत दूं, वरना कार्यवाही चलती रहेगी ।

(मुख्य मंत्री को पुकारा गया)

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—श्रीमन्, मैंने तो यह प्रस्ताव किया था कि एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय, यह नहीं किया . . . . . .

श्री राजनारायण—प्वाइंट आफ आर्डर । यह कैसे खड़े हो गये ? आपने तो मुख्य मंत्री जी को बुलाया था ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा कौन सा सुझाव दे सकता हूं कि जो सब को स्वीकार हो । लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि जो सुझाव अभी पेश किया गया है शान्तिप्रपन्न जी की तरफ से, ऐसा मेरा विश्वास है कि उससे सारा काम चल जायगा । जो कुछ कहने की बातें हैं वह सभी दलों के मुख्य-मुख्य नेता कह चुके । इसके अलावा मैं और कोई सुझाव नहीं दे सकता ।

श्री उपाध्यक्ष—अन्य दलों के नेता भी कुछ कहना चाहते हैं ?

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मांग जो इस प्रस्ताव के लिये तीन दिन की है वह मैं समझता हूं उचित है । जैसा मुख्या मंत्री जी ने कहा कि और लोग भी कह लेंगे, उसके होते हुए भी, मैं समझता हूं कि अच्छा हो अगर मुख्य मंत्री जी इस मांग को मान लें । इसको मानने में कोई आपत्ति न होगी ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि पार्लियामेंटरी पद्धति श्रीमन्, यह है कि अविश्वास का प्रस्ताव जब आता है तो कभी सरकार उसके ऊपर विवाद रोकने या समय निर्धारण करने का प्रयास अपने बहुमत के बल पर नहीं करती । मुझे ताज्जुब है श्रीमन्, जब मंत्रीगण एक दिन की बात कहते हैं । क्या उन्हें मद्रास, बिहार और बंबई तथा हाउस आफ कामंस की बात का पता नहीं है ? न मालूम होना तो मेरा दोष नहीं है श्रीमन् । इसलिये म यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को विरोधी दलों की इस मांग को स्वीकार करना चाहिये और अगर नहीं मानती है तो लोगों के मन में यह शंका हो सकती है कि जो हमारा मुख्य अधिकार है कि हम सरकार पर विश्वास और अविश्वास के संबंध में विवाद करें, तो क्या उसको ही रोकने का प्रयास तो नहीं हो रहा है बहुमत के आधार पर ?

श्री उपाध्यक्ष—यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों में समझौते की कोई बात नहीं हो सकी । इस पर माननीय अध्यक्ष यह व्यवस्था दे चुके हैं कि जब तक इस पर विवादान्त का प्रस्ताव न आये, बहस चलती रहेगी । तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि मैं एक घंटे के प्रस्ताव की इजाजत दूं । इसलिये कार्यवाही चलती रहेगी ।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह सदन माननीय पालीवाल जी का व्याख्यान सुन चुका है जिसमें गीता, हेराल्ड लास्की और दूसरे पश्चिम के विद्वानों की पुस्तकों का हवाला दिया गया । माननीय हाफिज जी कहते हैं कि जबानी दिया गया, लेकिन मैं स्वीकार करने के लिये तैयार हूं कि वह जबानी था तो जरूर और कंटेक्स्ट से भी बिलकुल अलाहिदा । जिस कंटेक्स्ट में कहा गया उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं था लेकिन पालीवाल जी ने जो फरमाया वह अक्षरशः सही होगा । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि मैं थोड़ी सी मुश्किल महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं न तो गीता का विद्वान् अपने को मानता हूं और यह भी इकरार करने में मुझे लज्जा नहीं है कि मैंने हेराल्ड लास्की की एक किताब के अलावा दूसरी किताब भी नहीं पढ़ी है और जिन महान विद्वानों के नाम उन्होंने लिये उनके नाम भी शायद मैंने आज ही सुने हैं । तो ऐसे विद्वान और तजुर्बेकार

[श्री चरण सिंह]

और अपनी आयु से बड़े का व्याख्यान सुनने के बाद अगर कुछ हिचकिचाहट पैदा हो तो यह स्वाभाविक है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि जिस मसले पर आज बहस हो रही है उसके लिये कोई बहुत बड़ी विद्या की आवश्यकता नहीं है। मैं एक मामूली नागरिक के नाते, एक साधारण सा आदमी होने के नातें जो बाते मुझे सूझी हैं वह मैं अपने मित्रों के सामने रखना चाहता हूं।

माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने यह फरमाया कि सत्याग्रह करने का मौलिक अधिकार आपोजीशन पार्टी को है। उनका तर्क यह है कि जिस चीज की मनाही का डेफिनिट प्राविजन नहीं किया गया है उसकी इजाजत हर आदमी को है और क्योंकि सत्याग्रह के लिये मना नहीं किया गया है लिहाजा हर आदमी को सत्याग्रह करने का अख्तियार जनतन्त्र के अन्दर होता है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह बात कोई और शख्स कहता जो राजनीति से दूर रहा हो और जो संविधान के अनुच्छेदों का हवाला नहीं दे सकता हो, जो अपोजीशन का लीडर न हो तो उस पर ताज्जुब नहीं किया जा सकता था। लेकिन एक अपोजीशन के लीडर जब यह फरमाते हैं कि सत्याग्रह करने का अधिकार उन्हें हासिल है, क्योंकि संविधान के अन्दर उसकी मनाही नहीं है, तो कुछ ताज्जुब ही नहीं बल्कि अफसोस होता है।

श्री त्रिलोकी सिंह—मैंने यह नहीं कहा कि सत्याग्रह की चूंकि संविधान के अन्दर मनाही नहीं है, लिहाजा अख्तियार है। मैंने यह कहा कि सत्याग्रह के खिलाफ जो संविधान के अन्तर्गत नार्मल ला आफ लैंड है उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिये।

श्री चरण सिंह—उन्होंने जो तशरीह फरमायी, मैं इसको तसलीम करता हूं कि वह मेरी समझ में नहीं आयी। लेकिन इतनी बात वह स्वीकार करते हैं और वह यह समझते हैं कि सत्याग्रह करने का अधिकार डेमोक्रेसी में हर सज्जन को होता है। मुझे इससे इनकार है और वह क्यों? मोटी सी बात है कि जो संविधान हमने अपने आपको दिया हमने उसमें यह कहा भी है कि :—"The Constitution we give to ourselves." जो संविधान हमने बनाया उसका मतलब यह है कि हमने कोई नियम, कोई कायदा, कोई संविधान या विधान अपने लिये बनाया। जो संविधान हमने स्वयं अपने लिये बनाया हम उससे अपने को बाँधते हैं और अहद करते हैं। वह कांस्टीट्यूशन यह कहता है कि एक रूल आफ ला इस देश में होगा। वह कांस्टीट्यूशन यह कहता है कि हर व्यक्ति ला को मानेगा और हर व्यक्ति ला के सामने बिना किसी भेद भाव के समान माना जायगा। जो उस ला का ब्रीच करेगा उसको सजा मिलेगी। उस कांस्टीट्यूशन के माने यह हैं कि जो उसमें फंडामेंटल ला दिये गये हैं वह यह लेडाउन करते हैं कि जितने काम इस सरकार के पंचायत से लेकर यूनियन गवर्नमेंट तक होंगे वह सब किसी नियम के अनुसार चलेंगे। यही तो डेमोक्रेसी और आटोक्रेसी में फर्क है। किसी देश में नियमानुकूल आचरण करना ही डेमोक्रेसी है। उस डेमोक्रेसी में हमने रूल आफ ला और रूल आफ बैलेट को अपने लिये स्वीकार किया। उसकी पहली शर्त हमने यह मानी है कि हम नियम से आचरण करेंगे लेकिन जो लोग स्वयं नियम के बनाने वाले हैं वह स्वयं नियम का उल्लंघन करते हैं, फिर बिना संकोच के कहते हैं कि उन्हें नियम तोड़ने का अधिकार है। यदि यह मनोवृत्ति है कि क्योंकि हमारी इच्छा के मुताबिक काम नहीं होता है और मुल्क या असेम्बली नहीं चलती है, तो यह एक डेमोक्रेट की मेंटेलिटी नहीं है। यह तो आटोक्रेट या मानोपोलिस्टिक मेंटेलिटी है। डेमोक्रेसी का पहला सिद्धांत यह है कि जो आदमी मुझसे इख्तिलाफ रखता है वह भी सही हो सकता है। जब सही हो सकता है तो रूल बाई डिस्कशन और रूल बाई मेजारिटी होना चाहिये। पालीवालजी कई बार यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेसी डज नाट मीन रूल बाई मेजारिटी, डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाई डिस्कशन। डेमोक्रेसी में डिस्कशन तो होगा ही मगर डिस्कशन हमेशा तो चल नहीं सकता और डिसीशन होना जरूरी है, जो अगर यूनानिमस नहीं होता है तो मेजारिटी और माइनारिटी से होगा। लेकिन यह उचित नहीं

है कि चूंकि हम माइनारिटी में हैं और हमारी बात नहीं चलती, तो हम सत्याग्रह कर सकते हैं । यह मेंटेलिटी त्रिलोकीसिंह जी और उनके साथियों को मुबारक हो, परन्तु यह देश के लिये घातक है ।

महात्माजी का हवाला दिया गया जो बिलकुल बेकार है, क्योंकि कौन नहीं हममें से उनके लिये सिर नवाता है । महात्मा जी देश को आजाद कराना चाहते थे । उनके सामने दो रास्ते थे, एक अहिंसात्मक विद्रोह और दूसरा था हिंसात्मक विद्रोह । उनका कहना था कि अहिंसात्मक विद्रोह हिंसात्मक विद्रोह से अच्छा है परन्तु यदि उससे मुल्क आजाद नहीं हो पाता है तो बजाय इसके कि वह गुलाम रहे, मैं अपने लोगों को शस्त्र उठाने की इजाजत दूंगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---यही बात हमने भी कही थी ।

श्री चरण सिंह---यह आपने नहीं कहा था । महात्माजी बगावत करना चाहते थे, क्योंकि जनता की बात नहीं सुनी जाती थी । इस पर भी, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र कहते हैं कि हम भी तो यही कह रहे थे । जिस सरकार को वह इस प्रकार उलटना चाहते थे वह जनता की नहीं थी, इर्रेसपांसीबिल थी, फारेन थी, उन लोगों की थी जो इंग्लैंड में या लंदन में बैठे थे । वह गवर्नमेंट हिन्दुस्तान की जनता के तईं उत्तरदायी नहीं थी । महात्माजी ने अहिंसात्मक विद्रोह कराया और उसके माने सत्याग्रह के हैं । जनता ने हमको चुनकर भेजा है और ५ साल तक हमको अधिकार है कि उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक सेवा करें । जब पांच साल के बाद मौका आता है अपने सेवकों को बदलने का, तो फिर उत्तरदायी सरकार और क्या होती है ? तो जहां रेसपांसीबिल सरकार हो, इलेक्शन के जरिये अदला बदली होती हो, वहां सत्याग्रह, चाहे हिंसात्मक हो या अहिंसात्मक हो, वह बिलकुल आउट आफ प्लेस है, अटरली आउट आफ प्लेस है । रूल बाई ला और रूल बाई बैलट इन दोनों के विरुद्ध सत्याग्रह पड़ता है । उसके बाद अगर हम इस सत्याग्रह का साइकालोजिकल एनैलैसिस करें तो वह क्या है ? डेसपरेशन, बेकरारी, अगर बैलट से गवर्नमेंट अगर नहीं उल्टी जाती है तो विद्रोह करें । यह गवर्नमेंट हमेशा रहने वाली नहीं है । हम लोग भी और उधर के लोग भी हमेशा रहने वाले नहीं हैं । गवर्नमेंट आवेंगी और जावेंगी । नेता लोग बदलेंगे और बनेंगे, आज कोई लीडर है, कल कोई होगा । लेकिन बात-बात पर सत्याग्रह करना और उसकी ताईद करना हिन्दुस्तान के लिये एक गलत मिसाल पेश करना है । हमें ठंडे दिल से गौर करना चाहिये । किसी कानून का टूट जाना, किसी साहब का जेल से छूट जाना, मूर्तियों का हटाना, ट्यूबवेलों के लिये जमीन न मिले तो सत्याग्रह करना, वगैरह, छोटी चीजें हैं । इस देश का प्रबंध कैसे चले यह एक फंडामेंटल बात है, डेमोक्रेसी के मुताबिक चले या जो पार्टियां इलेक्शन में हार गई हैं वे चलावें ।

माननीय पालीवाल जी ने बहुत उद्धरण वेस्टर्न विद्वानों के दिये लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसी पश्चिमी देश में जहां डेमोक्रेसी है, सत्याग्रह की बात सुनी है ? इससे जाहिर है कि गलत किताबें उन्होंने पढ़ी हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं १० किताबें बता सकता हूं ।

श्री चरण सिंह---गलत पढ़ी हुई हैं । मैंने अभी अर्ज किया था कि सत्याग्रह की वजह एक ही है और वह डेसपरेशन में हैं, इलेक्शन में हार गये हैं और आगे भी क्या पता कि जीतें या न जीतें । इस बात की ताईद इससे होती है कि माननीय पालीवालजी जब कभी इस मजमून पर या इसके बारे में जिक्र करते हैं तो वही वन-पार्टी रूल की शिकायत । तो क्या शैल वी नीगेट अवरसेल्वज टू वन-पार्टी रूल ? डेमोक्रेसी में वन-पार्टी-रूल होता ही है और एमरजेंसी में कोलीशन हुआ करती हैं ।

[श्री चरण सिंह]

माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि क्रिमिनल ला अमैंडमेंट ऐक्ट सन्, ३२ का है और अब तक तरमीम नहीं हुआ । हमको कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद १३ इस बात को साफ कहता है कि जो कानून पहले से बने हुये हैं अगर ये मौलिक अधिकारों से किसी जगह पर टकराते हैं तो वे अवैध माने जावेंगे । जहां तक मुझे याद है आई० पी० सी० का सेक्शन १२४, किसी हाईकोर्ट ने कहा है, संविधान के विरुद्ध पड़ता है । ठीक है, हमें कोई शिकायत नहीं है । कास्टीट्यूशन में बुनियादी बातें लिखी हैं। जो कानून उसके विरुद्ध पड़ता है उसके संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने यह भी फरमाया कि साहेब, एग्जीक्यूटिव और जुडीशरी अलाहिदा नहीं हैं। यह ठीक है कि पूर्णतया हमारे सूबे में अलाहिदा नहीं हैं । हमने, शायद १४ या १८ जिलों को छोड़कर, ऐसा नहीं किया है । उसकी कुछ वजूहात हैं जिनमें मैं नहीं जाना चाहता । लेकिन यह कहना गलत है कि क्योंकि हमने उसे एकदम से अलाहिदा नहीं कर दिया है तो संविधान का उल्लंघन हुआ है । यह भी देखना है कि उससे कोई हानि हो रही है या नहीं और अगर हो रही है तो किस हद तक हो रही है । यह सवाल मैं छोड़ता हूं । परन्तु उससे संविधान का उल्लंघन होता है, यह बात गलत है। क्यों गलत है, यह मैं बाद को अर्ज करूंगा ।

माननीय पालीवालजी ने कहा कि अनटचेबिलिटी रायज है । उसे गवर्नमेंट किसी के कानून के द्वारा कैसे रोक सकती है ? जब तक पब्लिक ओपीनियन धीरे-धीरे उसके अनुकूल नहीं बनेगी तब तक ऐसे काम पूर्णतया नहीं हो सकते हैं, कानून तो केवल दिशा ही दिखा सकता है। आइडियल ही बता सकते हैं लेकिन किसी कानून के जरिये से सोशल रिफार्म्स लागू नहीं हो सकते । एकानामिक या पोलीटिकल मेजर्स लाये जा सकते हैं । फिर अगर कोई सोशल रिफार्म पूरी तरह से नहीं हो पाया तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या कसूर किया ?

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स और फन्डामेंटल प्रिन्सिपिल्स में इम्तियाज क्यों किया गया है ? फन्डामेंटल प्रिन्सिपिल्स डेमोक्रेसी के द्योतक हैं, उनको एक दम लागू हो जाना चाहिये लेकिन डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स एक आइडियल चीज है जिनको धीरे-धीरे लागू किया जायगा । डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स कोर्ट में जस्टीशियेबिल नहीं हो सकते जब कि फन्डामेंटल प्रिन्सिपिल्स कोर्ट में जस्टीशियेबिल हो सकते हैं। डाक्टर अम्बेदकर ने जब इस पर बहस हो रही थी, जो कुछ कहा था उसमें से दो फिकरे अर्ज कर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा—

"I think, if the friends who are agitated over this question bear in mind what I have said just now that our object in framing this Constitution is really two-fold ; (i) to lay down the form of political democracy, and (ii) to lay down that our ideal is economic democracy and also to prescribe that every Government whatever it is in power, shall strive to bring about economic democracy much of the misunderstanding under which most members are labouring will disappear."

तो मैंने यही कहा कि हम स्ट्राइव करेंगे उस आइडियल को प्राप्त करने के लिये और वैसा ही एक आइडियल यह एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी का सेपरेशन है, कानसेन्ट्रेशन आफ वेल्थ न हो पाये उसको रोकने का भी एक आदर्श है । मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि डायरेक्टिव प्रिन्सिपिल्स जिन बातों की ओर संकेत करते हैं, उन तक हम नहीं पहुंच पाये हैं । उन तक पहुंचने में देर लगेगी और अगले ५ साल में नहीं, १० में भी नहीं बल्कि यह हमारी खुशकिस्मती होगी, अगर हम अगले २५ साल में उन तक पहुंच जाते हैं। आज हमारे विरोधी पक्ष के लोग उसके लिये हमें उलाहना दें, या दो चार लफ्ज यहां बैठकर सुना दें, यह मैं मान सकता हूं लेकिन अगर उनको भी मौका मिले इधर बैठने का, तो मेरा यह विश्वास है कि वे भी अगले ५, १० या १५ साल में सारे आदर्शों को पूरा नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय झारखंडेराय जी ने कल एक दो बातें कही थीं। मैं समझ रहा था कि वह कोई ऊंची फंडामेंटल बात होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि भूमिसुधार बहुत कमजोर हुये हैं, बिलकुल ढीले हुये हैं। किसी साहब ने इस पर प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया और आपने उस पर यह व्यवस्था दी कि वह कह सकते हैं। जब आपने उनको कहने की इजाजत दे दी तो जो कुछ मैं उसका जवाब दूंगा, वह भी दे सकूंगा, ऐसा मैं समझता हूं। जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने यह सब प्रोपेगंडा की खातिर कहा। उन्होंने कहा कि लैंड का रिडिस्ट्रीब्युशन नहीं किया गया। इसके बारे में मैं कई बार आंकड़े प्रस्तुत कर चुका हूं। साढ़े चार करोड़ एकड़ जमीन हल के नीचे है, केवल ५ लाख एकड़ भूमि वितरण के लिये मिलेगी लेकिन उन्होंने कहा कि ५० लाख एकड़ भूमि हासिल होगी जो लैन्डलेस लेबरर्स को दी जा सकती है। मैं समझता हूं कि यह उन्होंने तथ्यों को जानते हुये कहा, क्योंकि वे जानते हैं कितनी पापुलेशन है और कितनी जमीन है। और इसीलिये मैंने कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह प्रोपेगेंडे की खातिर कहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो ये शब्द कहे कि "प्रोपेगेंडे की खातिर कहा" क्या यह माननीय सदस्य के ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। ऐसा तो दोनों तरफ से आप लोग कहते ही रहते हैं।

श्री चरण सिंह—दूसरी बात उन्होंने यह कही कि रेंट्स नहीं घटाये गये। यह भी उन्होंने वैसे ही बिना सोचे समझे कह दिया। मैं नहीं समझता कि जिसकी बुद्धि के अन्दर इतनी रिजिडनेस आ जाय कि वह किसी बात को ठीक तरह से समझ ही न सके तो क्या किया जाय। उन्होंने कहा कि करांची अधिवेशन में रेंट्स के घटाने का वादा किया गया था लेकिन नहीं घटाये गये। इस प्रकार रट्स क घटाने के वाद को पूरा नहीं किया गया और यह भी कि यह वादाखिलाफी जनता के फंडामेंटल अधिकारों का उल्लंघन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असल में माननीय नारायणदत्त जी बहुत दिनों के बाद आये हैं।

दूसरी बात माननीय झारखंडेराय जी ने यह कही कि साहब, रेंट नहीं घटाया गया। अब यह एक ऐसी बात है कि एक आदमी का माइंड बिलकुल रिजिड हो जाय कि सन् १९३१ में कराची अधिवेशन में हमने यह प्रस्ताव पास किया था कि रेंट घटायेंगे, और उन वादों को पूरा नहीं किया, वादाखिलाफी किया, यह उनका एक फंडामेंटल तर्क है। रेंट इकनामिक टर्म्स की बात है। भाव के हिसाब से वह ऐब्सोल्यूट टर्म्स नहीं हैं, बल्कि रिलेटिव टर्म्स हैं। सन् ३१ में जब इकनामिक डेप्रेशन हुआ तो चीजों का भाव गिरना शुरू हो गया था। उस जमाने में जो रेंट था उसके हिसाब से देखा जाय तो यह बिलकुल बर्डेनसम नहीं है। एक एकड़ में जितनी आमदनी होती है उसका १/२० रेंट है, जो ऐक्ट है उसके अन्दर दिया हुआ है कि १/५ मुनासिब रेंट होगा, जब कि प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि १/४, १/५ ग्रौस प्रोडक्शन का कर दिया जाय। और यहां तो १/२० है लेकिन बराबर कहा जाता है कि रेंट नहीं घटाया गया, रेंट नहीं घटाया गया। क्यों उपाध्यक्ष महोदय ? क्या यह बिना वजह नहीं कहा जाता है ? यह इसलिये कहा जाता है कि जब यह अखबारों में निकलेगा कि श्री झारखंडे राय जी ने रेंट के बारे में ऐसा कहा और अखबार के पढ़नेवाले जब गांवों में उसे अपने सामने लेकर बैठेंगे तो उनकी जो गरज है वह पूरी हो जायगी। लिहाजा मेरी समझ में नहीं आता और इसको मैं हजारों बार कह चुका हूं कि हमारे यहां रेंट ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी बार-बार सन् ३१ का हवाला पेश कर दिया जाता है। केरल में जो हुआ है उसकी बात भी मैं अभी सुनाऊंगा।

एक बात कही गयी कि कोआपरेटिव फार्मिंग को नहीं लागू किया गया। अगर कोआपरेटिव फार्मिंग को लागू किया जावे तो कलेक्टिव फार्मिंग की बात कही जायगी। मेरे माननीय मित्र कोआपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन

[श्री चरण सिंह]

नहीं करते। कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया का प्लानिंग कमीशन भी रजामन्द नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात को कहा कि मैं इस बात को मानता हूं कि पुरानी मनोवृत्ति के जो विलेजेज ह, वहां तो कोआपरेटिव फार्मिंग करना मुश्किल होगा लेकिन जहां नयी जमीन दी गयी हो, वहां कोआपरेटिव फार्मिंग का एक्सपेरिमेंट आसानी से किया जा सकता है। कोआपरेटिव फार्मिंग लागू करने में मैं निकम्मा साबित हुआ, इसको मैं माने लेता हूं लेकिन मैं माननीय झारखंडेराय जी को आफर करता हूं कि वे अपने आजमगढ़ जिल क किसी गांव के १० आदमियों को ही इसके लिये तैयार कर लें कि वे कोआपरेटिव फार्मिंग करेंग, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनकी पूरी मदद की जायगी।

एक राज्य के मुख्य मंत्री श्री नम्बुद्रीपाद हैं और वहीं के ला मिनिस्टर श्री अय्यर हैं, जिनकी तकरीरों का हवाला मेरे पास है। और अभी १९ दिसम्बर को केरल के गजट में जो वहां का बिल प्रकाशित हुआ है उसमें कोआपरेटिव फार्मिंग का एक लफ्ज भी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मेरे मित्र ने यह कही कि साहब कंसालिडेशन आफ होल्डिंग नहीं होनी चाहिये क्योंकि उसमें बड़ी गड़बड़ी हो रही है। इस स्कीम के इम्प्लीकेशन के संबंध में बराबर सुझाव मांगे गये, और इसीलिये एक मीटिंग भी ४ अगस्त को बुलायी गयी थी लेकिन उसमें माननीय झारखंडेराय जी गैर-हाजिर थे। कमेटी में जो मौजूद थे, उन्होंने जो सुझाव दिये, उनमें से ९० फीसदी सुझाव मान लिये गये और मैं माननीय झारखंडे राय जी को आफर देता हूं कि किसी कर्मचारी के मारल बारे में उनको शिकायत हो तो वे बतलावें, मैं उसकी सर्विस के टर्मिनेशन का नोटिस तुरन्त जारी कर दूंगा। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इन ७ दिनों के अन्दर, मेरे उस रोज के चैलेंज के बाद मेरे पास २०-२० और २५-२५ गांवों के आदमियों के दस्तखत होकर आते हैं लेकिन माननीय झारखंडे राय जी ने कभी मारल रेस्पान्सिबिलिटी नहीं ली है। वह कोई चीज सामने लायें, मैंने तो अभी कहा कि हम तो यहां तक करने को तयार हैं कि तहकीकात किये बगैर आपके कहने पर, आप की शिकायत पर टर्मिनेशन के आर्डर जारी कर दिये जायंगे। क्या किसी गवर्नमेंट की तरफ से इस दर्जे अपोजीशन का कोआपरेशन सीक किया जा सकता है? और इस पर यहां उस तरफ के लोगों का यह ऐटीटयूड? मैं चैलेन्ज करता हूं कि जहां-जहां कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज चल रहा है और जिसके विषय में बार-बार सत्याग्रह की धमकी दी जाती है, मैं तो वेलकम करूंगा जरा वह सत्याग्रह करके दिखलायें। उन्नाव में कोशिश की गई, १० नवम्बर का नोटिस था, मैं आज तक उसका इन्तजार कर रहा हूं। बाद में उसके बारे में कहा गया कि 'दैट इट हैज बीन काल्ड आफ। मैं तो यह कहूंगा कि "इट वाज नेवर समन्ड"।

कहा जाता है कि पटवारियों की तहरीक चली। पटवारियों की, और तहरीक। पटवारियों से भी जनाब को हमदर्दी है। सारे सूबे में एकमात्र आवाज कम्युनिस्ट पार्टी की थी जब पटवारियों के इस्तीफे मंजूर किये गये थे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और उससे पहले उन का ही कहना था कि पटवारियों को रख रखा है, वह भ्रष्टाचार करते हैं और करप्शन हो रहा है।

अभी मैं केरल की बात और कहना चाहता हूं उसको जरा सदन गौर से सुन ले। वहां जो बिल आया ह उसका नाम है 'केरल एग्रेरियन रिलेशन्स बिल', 'केरल जमींदारी अबालिशन बिल' नहीं। ८ महीने के बाद वहां यह बिल पेश किया गया है जब कि उनके सामने देश की सभी कांग्रेसी राज्यों की सरकारों के बिल्स और अधिनियम माडल के तौर पर मौजूद थे। उसमें है क्या? उसमें यह है कि जो किसान ५ से १० साल तक काबिज रहा है वह परमानेन्ट टिनेन्ट होगा, बेदखल नहीं हो सकेगा। दूसरे वह किसान हैं कि जिनका ५ साल से कम का कब्जा है, कहीं ५ साल का कहीं १० साल का—दो भाग उन्होंने किये हैं, उनको परमानेन्ट टिनेन्ट नहीं कहेंगे बल्कि जो उनकी टर्म्स आफ टिनेन्सी होंगी उनसे वह गाइड होंगे यानी वह टिनेन्ट रहेंगे। इसके अलावा ३ साल से ४ साल तक जमींदार को अधिकार होगा कि वह चाहे

तो उनको बेदखल करके अपनी काश्त के लिये जमीन रिज्यूम कर ले, इस तरह से राइट आफ रिजेम्पशन वहां दिया गया ह और यह भी है उसमें कि उनकी जमीन को रिलीजस प्लस के एक्सटेंशन क लिय लिया जा सकता ह। उसक बाद ह कि अगर ४ साल क बाद जमींदार जमीन रिज्यूम न करे तो उसको रेन्ट की १६ गुना या ५ गुना प्राइस देकर जमीन को खरीदन का अधिकार होगा। जब कि हमने यहां गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा देकर जमींदारी का खात्मा किया था, हर एक किसान को अपनी काश्त का परमानन्ट ओनर बना दिया और हमेशा के लिये उसका सीधा रिश्ता स्टेट से कर दिया। इस तरह से माननीय झारखंड राय जी के हवन में, केरल में कोई भूमि रिफार्म नहीं हुआ, जब कि हमारे पूरे विशाल क्षत्र में जमींदारी खत्म हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री चरण सिंह---मैं इस बात को अब छोड़ देता हूं। मुझे इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहना था लकिन मैं अपन मित्रों को मशविरा दंगा कि वह इस सम्बन्ध में २० तारीख का 'स्टेट्समन' पढ़ लें, उसमें पूरा उनका बिल दिया है, उस पर माननीय सदस्य गौर कर लें कि उत्तर प्रदश की सरकार आगे है या केरल गवर्नमन्ट पीछे है।

समय कम है एक बात और कहूंगा। माननीय पालीवाल जी ने कहा कि सब पार्टीज को एक डंडे स मेजारिटी के बल पर हांक रहे हैं। हम से कोई बात ही नहीं पूछी जाती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह उनकी बेइंसाफी है। पहली बात तो यह है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक मित्र मेरे सामने बैठे हैं, नाराज मुझ से बहुत हैं लेकिन मैं उन्हें सच्चा मित्र मानता हूं। एक स्टट लेविल पर बाडी है जिसमें दो ही आदमी केवल जा सकते हैं, उसमें केवल एक सदस्य कांग्रेस का नामजद किया जाता है और इसी गवर्नमेंट की सपोर्ट से जो टायरेंट है उस कमेटी के दूसरे सदस्य माननीय मित्र हैं। दूसरी गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसी मिसाल पेश की है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गुस्ताखी के लिए माफी देंगे, आपका इस आदरणीय स्थान पर मौजूद होना क्या, मैं यह कहता हूं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट .... (तालियां)। हमको फख्र है कि आप उस स्थान पर विराजमान हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह कैसे हुआ। १० नवम्बर को नोटिस सत्याग्रह का पेंडिंग है कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। श्री ए० के० गोपालन मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं कि देवरिया में जो सत्याग्रह के सिलसिले में कम्युनिस्ट पकड़े गये हैं उनको छोड़ दीजिये। अगर मुझसे मशविरा मेरे माननीय नेता, माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिया होता तो शायद मैं मशविरा न देता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---तभी तो आप ने इस्तीफा दिया।

श्री चरण सिंह---वह मुझे शिकायत हो या न हो, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंन श्री ए० के० गोपालन के कहने पर कम्युनिस्ट लोगों को देवरिया जेल से छोड़ दिया जब कि उनके सत्याग्रह का थ्रेट पेंडिंग था। क्या यह कहा जा सकता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है?

श्री राजनारायण---चौधरी साहब ने सोशलिस्ट पार्टी के.....

श्री चरण सिंह---अभी छोड़ा है डाक्टर लोहिया को।

श्री राजनारायण---सुप्रीम कोर्ट के डर से छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि इट इज डिस्ग्रेस फार उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट।

श्री झारखंडेराय---एक बात चौधरी साहब ने गलत कही है। गोपालन साहब के कहने पर जो पी० एस० पी० के लोग हैं वह छोड़े गये हैं, कम्युनिस्ट लोग नहीं छोड़े गये हैं।

श्री त्रिलोकी सिंह—मान्यवर, चूंकि पी० एस० पी० का नाम एक माननीय मेम्बर ने लिया है इसलिए मैं यह कहूंगा कि जहां तक पी० एस० पी० के लोगों का जेल से छोड़ने का सवाल है श्री गोपालन या और किसी कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी की कोई मदद नहीं ली गयी और उनकी इत्तला गलत है।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी, किसने किसको छोड़ा, और किसने किसको पकड़ा, यह वादविवाद देख कर मुझे एक ग्रीस की मैथालोजी की कहानी याद आ गयी। एक बड़ी सुन्दर स्त्री थी और उसकी यह आदत थी कि लोगों के बीच में ऐपिल आफ डिस्कार्ड फेंका करती थी। हमारे माल मंत्री ने भी छोटा सा ही एपिल आफ डिस्कार्ड क्यों न फेंका हो, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि मेरे बोलने के चार पांच मिनट का समय निकल गया।

श्री उपाध्यक्ष—अगर बात तुरन्त समझ में आ जाय तो सावधान हो जाना चाहिए।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे—इसीलिए सावधान होकर मैं चुपके से बैठ गया झगड़े के बीच में।

श्रीमन्, अभी सरकारी पक्ष की ओर से जो सारी बातें कही गयीं उनमें सत्याग्रह पर ज्यादा जोर दिया गया है। हमारा राज्य डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेसी की परिभाषा हमारे चौधरी साहब ने रूल आफ ला और रूल आफ बैलट में दी। हमारे बड़ साहब ने डमोक्रसी की परिभाषा रूल आफ ला और रूल आफ ड्यूटी भी बतायी। लेकिन डेमोक्रेसी की परिभाषा इससे बहुत बड़ी है। यह परिभाषा अपनी इच्छानुसार की गयी है। वास्तव में रूल आफ ला के मानी होते हैं कि चाहे किसी भी दल की सरकार हो लेकिन रूल का "टु दि स्पिरिट ऐंड टु दि लेटर" पालन होना चाहिए।

(इस समय ३ बजकर ३६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

और अगर आप देखें तो कहने के लिये इस सरकार ने भले ही क्यों न हो दिखावे में रूल आफ ला और लेटर सामने रखा हो लेकिन स्प्रिरिट को इसने नष्ट किया है। अगर यों कह दें कि आज की डेमोक्रेसी की यह परिभाषा की जाय कि मिस रूल आफ ला और अब्यूज आफ ला है, यह सत्य होगी। मैं श्रीमन्, एक उदाहरण जिसको एक उच्च न्यायपति ने अपने जजमेंट के दौरान में कोट किया है रखना चाहता हूं। श्रीमन्, यह मिस रूल आफ ला अवध की भी बड़ी विशेषता है, यही पद्धति है। हो सकता था यह पद्धति अंग्रेजों के जमाने में चली होती, परन्तु कारण क्या है? जब रूल आफ़ ला का इतना हल्ला है तो उस स्थान पर जो कानून बाधक होता है उसको क्यों नहीं परिवर्तित किया गया? परन्तु इस सरकार ने नहीं किया, और इसलिये परिवर्तित नहीं किया कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके विचारों के विरुद्ध अगर कोई खड़ा होता है, कोई बात रखता है तो उस टेक्नीकैलिटी का लाभ ले कर उसका दमन किया जाय। जिस उदाहरण की बात कह रहा था वह यह है :

"On behalf of the State it is stated that in Avadh the practice is not to pass any remand orders. The columns at the back of a warrant are just filled in and initialled by the Magistrate in column 4 and an order of remand is thereby inferred. Such a practice obviously appears to be full of danger to the liberty of the citizens."

श्रीमन्, यह सरकार कानून की तो बड़ी दुहाई देती है और यह भी कहती है कि कानून के विरुद्ध कोई कार्य करेगा तो उसको दबाया जायगा कानून के बल पर।

श्रीमन्, एक न्यायपति कहता है कि यहां एक स्पष्ट कानून मौजूद है ह्विच इज ए डेंजर टु दी लिबर्टी आफ दी सिटीजन (which is a danger to the liberty of the citizen)। क्या इस कानून को बदलने का प्रयास किया गया? और दूसरा ज्वलन्त उदाहरण डाक्टर लोहिया की अरेस्ट सब क सामने मौजूद है। श्रीमन्, कहा जाता है

कि हम कानून के द्वारा दबाते हैं, जो सत्याग्रह करेगा क्या सत्याग्रह करने के पहले यह भाव नहीं होगा ? अगर हम किसी नियम के विरुद्ध खड़ होते हैं तो उसका दंड हम सहन करेंगे, परन्तु क्या इस प्रकार से ट्विस्टिंग आफ ला करके इस तरह से पालन किया जाता है ? कहां लिखा है लोगों को जबरदस्ती घसीट कर लाओ, यह किस डेमोक्रेटिक कानून की प्रथा ह ? अगर कांग्रेस के मंत्रियों को यह प्रिय हो तो उन्हीं को मुबारक हो। तो इस प्रकार जो मिस रूल हो सकता है, कानून का जो अब्यूज हो सकता है उसके विरोध में हर नागरिक का अधिकार है वह प्रोटेस्ट करे चाहे वह सत्याग्रह के रूप में हो, या और किसी रूप में हो।

श्रीमन्, जनतन्त्र की बड़ी दुहाई दी जाती है परन्तु जनतन्त्र की दुहाई देने वाले यह भूल जाते हैं कि जनतन्त्र के अन्दर नागरिकों को मौलिक अधिकार है कि अगर राज्य अन्यायी हो जाता है, राज्य अगर नियमों को स्वार्थान्ध के कारण उलट कर प्रयोग में लाता है तो उन नियमों का उल्लंघन किया जाना चाहिय, विद्रोह तक किया जाना चाहिये। दुनिया के सब शास्त्रकारों न इस बात को माना है। अभी सुबह जिस समय माननीय त्रिलोकी सिंह बोल रहे थे, क्रान्ति का उदाहरण दे रहे थे तो हमार चौधरी साहब ने कहा था कि बड़े-बड़े विचारकों ने जो दुनिया के अन्य देशों में परिवर्तन किये हैं उसके लिये कोई पार्टी नहीं बनायी। सत्य है, हो भी सकता ह। परन्तु मुझे बड़ा दुःख है कि इतिहास की ओर मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया। दुनिया के अन्दर जितने भी परिवर्तन हुए हैं सब परिवर्तन कानून क विद्रोह में ही हुए हैं। श्रीमन्, सब स बड़ा परिवर्तन अगर पाश्चात्य देशों का देखें, मिडिल ईस्ट का तो क्राइस्ट का हुआ है। उसने कानून ही नहीं तोड़ा बल्कि उसके लिये क्रूसिफिकेशन तक स्वीकार करना पड़ा तो स्वीकार किया था।

श्रीमन्, इस देश के अन्दर जितनी भी क्रान्ति हुई है, हमारे आचार्य जी तो पूर्ण रूप से जानते होंगे कि मथुरा के अन्दर भी नियमों का पालन कराने वाला एक बड़ा अच्छा शासन एक काल में चल रहा था और वह नियमों का बड़े उच्चकोटि का पालन कराना चाहता था, यहां तक कि अपनी बहन और दूसरे परिवार वालों को भी उसने जेल में डाल रखा था और बहन के लड़के और लड़कियां जो पैदा होती थीं उनको भी वह पत्थर की शिला पर पटककर उनका विनाश कर देता था। बड़ा उच्च कोटि का नियम था। राजसत्ता के अन्याय के विरुद्ध कोई खड़ा तक न हो सके, इस तरह का नियम मथुरा के जीवन काल में एक समय चलता था। किन्तु उसके विरोध में भी विद्रोह हुआ, सशस्त्र विद्रोह हुआ और सफल विद्रोह हुआ। तो यह कहा जाय कि किसी को राज्य के अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का अधिकार नहीं ह, यह बिलकुल गलत है। अधिकार है, श्रीमन्, लेकिन वह अन्तिम अधिकार है। पहले तो चाहिए कि लोगों के सामन अपनी बात रखी जाय। सत्याग्रह शुरू करने से पहले अपनी बात रख दी गयी थी, अनुनय किया गया था, विनय किया गया था लेकिन आप मानने को तैयार नहीं थे। मुझे तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है इस सरकार के लिए कि "दे स्टार्ट विथ ए बैंग बट फिनिश विथ ए व्हिम्पर (they start with a bang but finish with a whimper)"। कोई बात चलाते तो बड़ जोर से हैं लेकिन समाप्त करने के समय भगवान जाने वह स्पिरिट कहां चली जाती ह। बड़े जोर से हल्ला मचा था कि यहां स परकीय शासकों की मूर्त्तियां हटायी जायंगी। मुझे तो उस समय सदन में रहन का सौभाग्य नहीं था परन्तु अखबारों में पढ़ता था कि हमारे मुख्य मंत्री ने कुछ रुपये सैंक्शन किये थे जिससे कि ये मूर्तियां हटायी जायं। वर्ष बीतते गए, मूर्तियां नहीं हटीं। जब मूर्तियां हटाने के लिए सत्याग्रह शुरू हो गया तो हमारे गृहमंत्री कहते हैं कि हम तो हटाने जा रहे थे। अरे महाराज, हटाने जा रहे थे तो हटाया क्यों नहीं ? हटाने में क्या वर्ष दो वर्ष लगते हैं ? माननीय गोविन्द सहाय जी कहते हैं कि मूर्तियां हटाने को हम बड़ा रीऐक्शनरी समझते हैं। भगवान जानें कि उनकी रीऐक्शनरी की परिभाषा क्या है ! हो सकता है कि वह चीन गए थे, वहां से कोई नयी परिभाषा लाये हों क्योंकि वहां तो परिभाषायें रोज बदलती रहती हैं। आप कहते हैं कि जितने भी प्रगतिशील देश हैं वह अपने पूर्वकालीन शासकों के चिन्हों को रखते हैं। शायद आप जब मास्को गए होंगे तो लेनिनग्राड जाना भूल गए होंगे नहीं तो आप

[राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे]

देखते कि जार के जमाने की सारी चीजें वहां के म्युजियम में रखी हुई हैं। वहां व इस तरह से पार्क्स में और सार्वजनिक स्थानों में नहीं रखी जातीं। आप भी अपने पूर्व शासकों की मूर्तियां म्युजियम में रखिए। लेकिन पार्क्स में रखने की क्या आवश्यकता है? यह हमारे स्वाभिमान को ठेस है और उसको हटाने के लिए जब आपसे अनुनय करते हैं, विनय करते हैं तो आप नहीं मानते हैं। फिर रास्ता क्या रह जाता है? जब वह सत्याग्रह का मार्ग लेते हैं तो आप उसे अन्याय कहते हैं। आप मौलिक अधिकार के नाम पर भले ही शब्दों को सामने रख लें लेकिन उसके अन्दर आत्मा का विनाश कर डालते हैं।

अभी सुबह कहा गया कि विधान परिषद् के एक माननीय सदस्य को १०७ में बन्द किया गया। क्या अपराध था उनका? दोनों दलों की मीटिंग हो रही थी। अगर ब्रीच आफ पीस का भय था तो क्यों नहीं उस समय अरेस्ट किया गया? मीटिंग समाप्त होने के बाद घर जाने पर घर से अरेस्ट करने का क्या अर्थ था? आप कहते हैं कि उनका इंटेशन था ब्रीच आफ पीस करने का। श्रीमन्, उधर तो बड़े बड़े वकील बैठे हैं। उनमें से बहुत से बड़े विद्वान वकील होंगे। उनकी बहुत बड़ी प्रैक्टिस भी रही होगी। परन्तु यह तो एक साधारण कामन सेंस की बात है--"इंटेशन टु कमिट ए क्राइम इज नाट ए क्राइम (intention to commit a crime is not a crime)"। "अटम्प् टु कमिट ए क्राइम इज ए क्राइम (attempt to commit a crime is a crime)"। मियर इंटेशन इज नो क्राइम ऐट आल (mere intention is no crime at all)"। मगर मैं कैसे कहूं कि इतने बड़े-बड़े बुद्धिमान लोग इंटेशन को क्राइम कहते हैं और इसको क्राइम कह कर मिसयूज आफ ला करते हैं विरोधी विचारों का दमन करने के लिए।

श्रीमन्, यहीं कानपुर में आप देखें १४४ दफा क्या हो गई है बारहमसिया आम हो गया है। बोलने के लिए, मीटिंग करने के लिए, आप परमीशन मांगिए। दौड़िए रोज। आज मिलेगा, कल मिलेगा, आज मैजिस्ट्रेट साहब नहीं हैं, आज फलां नहीं हैं, आज मेम साहब नहीं हैं, भगवान जाने कौन हैं कौन नहीं! जब परमीशन लेने का समय आ जाता है तब तक परमीशन नहीं दी जाती है और कभी-कभी तो परमीशन नहीं ही मिल पाती। श्रीमन्, डमोक्रसी के भीतर सपोज्ड है राइट टु स्पीक, राइट टु आर्गनाइज। लेकिन १४४ को लगा कर आप उस राइट टु स्पीक ऐण्ड आर्गनाइज तथा राइट आफ प्रोपेगेंडा का दमन करते हैं। अगर यह फंडामेंटल राइट्स का दमन नहीं है तो क्या है। ला ऐंड आर्डर क्या बला है? क्या यही है कि जो मनुष्य आपसे सहमत न हो उसको जीवित रहने का अधिकार नहीं है? श्रीमन्, यह धारा १४४ अंग्रेजों ने अपने शासन को चलाने के लिये बनायी थी, लेकिन बड़ा दुख है कि सिविल लिबर्टीज के बारे में बोलने वाली यह सरकार उसका बराबर दुरुपयोग करती है और उसके ऊपर आवरण डालती है पब्लिक पीस और पब्लिक सेफ्टी के नाम का। तो फिर यह सरकार इस प्रकार फंडामटल राइट्स को कुचल नहीं रही है तो क्या कर रही है?

श्री चरण सिंह--कुचलने के अलावा कोई काम नहीं रह गया है क्या?

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे--यह तो, श्रीमन्, स्वयं चौधरी साहब की प्रतिक्रिया बतला रही है कि वे क्या कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई साहब ने अभी कहा कि नो-कांफिडेंस मोशन तो तुम ले आय, तो क्या विरोधी पक्ष की यह क्षमता है कि आल्टरनटिव गवर्नमट बना ले . . . . .

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह क्या आर्डर में है कि बिना किसी का नाम लिये हुए ही बड़ा भाई कहा जाय? इस तरह से यहां बहुत से बड़े भाई होंगे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--इसलिये मैं कह रहा हूं कि उन्होंने भी बिना नाम लिये हुए छोटा भाई माना है। श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि यह कैसे उन्होंने मान लिया कि चाहे नो कान्फिडेंस मोशन सक्सेसफुल हो जाय लेकिन अपोजीशन के अन्दर गवर्नमेंट बनाने की पात्रता नहीं है? यह तो हाइपाथेटिकल बात कह दी और हाइपाथेटिकल बात के आधार पर

सरकार के अन्दर अविश्वास नहीं करना चाहिये, यह कोई जस्टिफिकेशन नहीं है । श्रीमन्, अगर उनके दुर्भाग्य से और इधर के सौभाग्य से और उनके अन्दर फूट के कारण अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि विरोधी लोग, चाहे उनमें आपस में कितना ही विरोध क्यों न हो, उसे भूल कर समाज के उत्थान व हित के लिये एक हो कर सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं ।

हमारे वयोवृद्ध चौधरी साहब ने इस बात को बड़े जोर से कहा कि हमको जनता ने भेजा है और हम ५ वर्ष सेवा करेंगे । अवश्य करेंगे । मित्र के नाते, उनसे छोटा होने के नाते भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस न्याय या अन्याय की वे सेवा कर रहे हैं भगवान करे ५ वर्ष क्या ५ घंटे भी वे सेवा न कर सकें तो अच्छा होगा, लेकिन अगर आपको सेवा करने का अधिकार है तो हमको भी उसी जनता ने भेजा है । अगर आप मिस रूल या मिसयूज करते हैं तो हमें भी अधिकार है कि हम बराबर उस मिस रूल या मिसयूज को आपके सामने रक्खें और जरूरत हो तो नो कांफिडेंस मोशन बार बार लायें ।

हमसे, श्रीमन्, कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स की रक्षा तब होगी जब हम कर्तव्य का पालन करें । हमको तो कर्तव्य पालन के बड़े भाषण दिये जाते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य पालन क्या हमारे मंत्रिगण भूल गये ? क्या गवर्नमेंट के कर्तव्य नहीं होते, सभी राइट्स होते हैं ? उसकी भी ड्यूटीज हैं और वे यह कि वह जनता को क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, अनकरप्टेबिल एडमिनिस्ट्रेशन दे । अपनी ड्यूटीज का पालन वह करती नहीं और हमसे कहा जाता है बार-बार कि ड्यूटी का पालन करो । कहा जाता है कि लड़के बगैर टिकट के ट्रेवलिंग करते हैं लेकिन बगैर टिकट ट्रेवलिंग करने का आदर्श कौन उपस्थित करता है ? रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी गंभीर घटना का जिक्र करता हूं । हमारे एक बहुत बड़े नेता जी दो टिकटों पर ३ फर्स्ट क्लास के यात्रियों को ले जाने का प्रयत्न करते हैं और जब रेलवे अथारिटीज ने चेक किया तो वैगेज में excess में एक मन गुड़ निकला । आपकी ड्यूटी है कि आप रूल को फालो करें, लेटर और स्पिरिट में, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता ।

आप ड्यूटीज का नाम लेते हैं तो हमारे खाद्य मंत्री की भी ड्यूटीज हैं । जब देश में दुर्भिक्ष की स्थिति हो तो उसके खिलाफ कदम उठाइये । इस तरफ से बार-बार कहा गया कि खाद्य समस्या को ठीक कीजिये, हमने सुझाव दिए, तो उत्तर मिलता है कि हमारी सरकारी रिपोर्ट यह है । इसके अर्थ यह हुए कि इस माननीय सदन के सदस्यों की बात कोई महत्व नहीं रखती, महत्व रखती है कलेक्टर की रिपोर्ट और किसके आधार पर कलेक्टर की रिपोर्ट है ? वह पटवारी के आधार पर है । मैंने स्वयं उनसे कहा कि जौनपुर क्षेत्र में गल्ले की कमी हो रही है । आपने कहा कि कलेक्टर से रिकमेंड करा के भेजिये । यानी आपकी निगाह में कलेक्टर के मुकाबले मेरी बात कोई अर्थ नहीं रखती । स्वराज्य प्राप्ति के लिए हमने यहां से व्हाइट ब्यूरोक्रेट्स को हटाया, लेकिन आज उनके स्थान पर यहां ब्राउन ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं । जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, यह फूड है, इसमें भी सरकार का दुर्लक्ष्य है । भारतीय सरकार के खाद्य मंत्री ए० पी० जैन ने यहां के बारे में क्या कहा है ? आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और अखबार भी । यह खाद्य-समस्या का दुर्लक्ष्य है ।

दूसरे, शेल्टर के बारे में क्या किया ? आज दो शहरों के अन्दर स्लम्स खड़े हुए हैं । लाखों आदमी शहरों के अन्दर ऐसे स्थानों में रह रहे हैं जो मनुष्य के रहने योग्य नहीं हैं । देहातों में भी वही स्थिति है । हमारे मुख्य मंत्री ने घोषणा भी की कि हम विलेज हाउसिंग स्कीम लाना चाहते हैं । कहां चली गयी वह ? उसके बारे में कोई कदम उठाया गया ? शहरों के अन्दर जो हाउसिंग प्राबलम खड़ा हुआ है कि उचित स्थान रहने के लिये हो, यह जो फंडामेंटल राइट है इस ओर क्या सरकार का दुर्लक्ष्य नहीं है ?

श्रीमन्, हमारा अधिकार है शिक्षा पाने का । आज शिक्षा के बारे में क्या हुआ ? "इट इज ए सीरीज आफ एक्सपेरिमेंट्स" (it is a series of experiments)।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

कभी यह विषय हटा देते हैं, फिर वह लग जाता है, कभी ४ किताबें कम हो जाती हैं तो फिर १६ बढ़ जाती हैं। कभी मात्रा एक आध इंच कम होती है, कभी बढ़ जाती है। यह क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ? यह उनके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है? आपको क्या अधिकार है उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने का? आपको उनको कोई एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी बनाने का अधिकार नहीं है। जब पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट आती है जिनके सामने शिक्षार्थी जाते हैं तो उसमें हास्यास्पद उत्तर दिये जाते हैं। यदि आज उनकी बुद्धि को उस पैमाने पर आंकें तो आपको मालूम होगा कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, उसमें उद्देश्य नहीं है।

श्रीमन्, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि डेमोक्रैसी में जहां पर कि गवर्नमेंट और स्टेट में फर्क होना चाहिये वहां पार्टी, गवर्नमेंट और स्टेट में कोई फर्क नहीं रखा जा रहा है बहुत ही धीरे-धीरे क्यों न हो, बहुत ही छिपे ढंग से क्यों न हो, मगर आज पार्टी, गवर्नमेंट और स्टेट तीनों ईक्वेट हो रही हैं।

यूथ कांग्रेस के नाम पर लाखों रुपया खर्च किया गया जब कि लोग भूखे मर रहे हैं। जब प्रश्न होते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें मालूम नहीं, यूथ कांग्रस क्या है। आज पार्टी कान्फरेंस को सफल करने के लिए सूचना विभाग है, शिक्षा विभाग है, सारे विभाग हैं। श्रीमन्, यह टैक्सपेयर का पैसा पार्टी के उत्थान में लगाने की जरूरत तो नहीं है। एलेक्शंस को बात कही गयी। मैं स्पष्ट कह सकता हूं, नाम नहीं लेना चाहता हूं कि जिस प्रकार एलक्शंस के अन्दर सरकारी सत्ता का और सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग हुआ है उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। बार-बार मैंने कहा है . . .

एक सदस्य--क्योंकि आप चुनकर आ गये?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--मैं जीतकर आया आपके बावजूद भी। यह आपका दुर्भाग्य है, मेरा नहीं।

श्रीमन्, मैंने सदन में बार-बार कहा है कि परमिट्स इस तरह से बांटे गये जैसे पतझड़ हो रहा है। यहां तक कहा गया म्युनिसिपल एलेक्शन के सिलसिले में कि हमने गल्ले की सस्ती दुकानें खुलवाई हैं इसलिये हमको वोट दो नहीं तो गेंहू नहीं मिलेगा। यह चीज कब तक रहेगी? यह (politics of bread) है, डेमोक्रेसी नहीं। श्रीमन्, (Such politics of bread is oligarchy); इसकी एक रूपरेखा खड़ी की जा रही है। श्रीमन्, आज लोगों में सिक्योरिटी आफ लाइफ नहीं है।

अभी, श्रीमन्, जौनपुर में एक घटना हुई है, उसे यदि आपकी आज्ञा हो तो निवेदन कर दूं। वह घटना, श्रीमन्, मोंगरा बादशाहपुर पुलिस स्टेशन की है। एक सज्जन थे जिनके पास उनकी मोटर साइकिल थी। सब-इंसपेक्टर ने उनसे मोटर साइकिल मांगी तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। श्रीमन्, रात को उनके घर से उनको पकड़ लिया गया और उनको बुरी तरह से मारा गया और लाक अप में रखा गया। जब वह अस्पताल गये तो उनके ६० बूंडस थे। श्रीमन्, यह हमारे यहां सुरक्षा है। इससे स्पष्ट है कि हमारे यहां कोई सिक्योरिटी आफ लाइफ नहीं है। यह तो मैंने एक उदाहरण दे दिया है। आप अखबारों में रोज देखते हैं कि ऐसी घटनायें रोज होती रहती हैं। रोज क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। केवल इसलिये उनको पकड़ लिया गया कि उन्होंने मोटर साइकिल नहीं दी। यह तो व्यक्तिगत अधिकार है, उसकी इच्छा है दे या न दे।

श्रीमन्, मैं एक उदाहरण पेश कर दूं। विवाह करना तो एक वैयक्तिक स्वातंत्र्य है। एक सब-इंसपेक्टर एक सज्जन से केवल इसी बात पर नाराज हो गये कि उसका विवाह फलां लड़की से हो रहा है जिसके साथ वह नहीं चाहते थे। उसको दबाने के लिये सब प्रकार क कानुनों का दुरुपयोग किया गया। अंत में ५०० रुपये घूस के भी लिये गये। इसकी शिकायत

ऐन्टी करप्शन कमेटी में भी की गयी। लेकिन इसमें कोई कदम नहीं उठाया गया। आज जिस तरह से लखनऊ में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसके लिये इस आदरणीय सदन में बार-बार प्रश्न उठाया गया है और मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है और मैं आभारी हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमको इस बात का आश्वासन दिया था कि वह स्वयं इसकी जांच करायेंगे। लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है।

यह तो व्यक्तिगत सिक्योरिटी का सवाल है। अब मैं आपको बतलाता हूं कि हमारे प्रांत की क्या सिक्योरिटी है। हर जगह पावर हाउसेज में और जेनरेशन हाउसेज में एक Safety plant हुआ करता है। लेकिन आज हमारे प्रदेश की सरकार के तमाम सेफ्टी प्लान्ट्स गायब हो चुके हैं। पावर हाउसेज तथा जेनरेशन हाउसेज में कहीं कोई सेफ्टी प्लान्टेस नहीं हैं। मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी यदि माननीय वित्त मंत्री जी मेरी बात को गलत सिद्ध कर दें और बतायें कि किस पावर हाउस में उनका सेफ्टी प्लान्ट है। श्रीमन्, यह बड़े दुख का विषय है कि सेफ्टी प्लान्ट के न होने से कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पावर हाउस में सबोटेज कर सकता है। यह देखिये हमारे प्रांत की सिक्योरिटी की यह दशा है।

श्रीमन, फंडामेंटल राइट्स में कहा जाता है कि "इक्वल पे फार इक्वल वर्क" लेकिन हमारी सरकार ने इसको खत्म कर दिया है। आप देखिये गवर्नमेंट स्कूल्स के मास्टर को २५० रुपये वेतन मिलता है लेकिन प्राइवेट स्कूल के मास्टर को चाहे वह उससे ज्यादा पढ़ा हो चाहे वह उससे कितना ही ज्यादा विद्वान क्यों न हो उसका वेतन १२० रुपये से शुरू किया जाता है। दोनों मास्टर एक ही काम करते हैं लेकिन हमारे सरकार ने आज उनके वेतन में फर्क कर रखा है। क्या यही आपकी इकानामिक डेमोक्रेसी है? लेकिन वह कहां है? उसका कुछ तो प्रत्यक्ष रूप दिखाई पड़ना चाहिए।

इसी तरह से श्रीमन्, हमारी सरकार की टैक्सेशन पालिसी का हाल है। मुझे भली प्रकार याद है, श्रीमन्, पारसाल बजट के सेशन के समय माननीय गौतम जी यहां बैठा करते थे। उस समय वह प्रदेश के मंत्री नहीं थे। उनके बजट भाषण का मैं कोटेशन सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उनका कहना था कि हमारी गवर्नमेंट की इकोनामिक पालिसी का परिणाम यह हो रहा है कि "the rich is getting richer and the poor is getting poorer" क्या इसको बदलने के लिये कोई ठोस कदम उठाये गये? नहीं उठाये गये। आपकी इस नीति के परिणाम स्वरुप आज इनएक्वलिटी आफ वैल्थ बढ़ती चली जा रही है। आप देश में समाजवाद लाना चाहते हैं तो क्या आप डालमियां और सिंहानिया को मजबूत करके समाजवाद लाना चाहते हैं?

अभी माननीय श्रम मंत्री जी ने कहा था कि कानपुर टैक्सटाइल मिल में कपड़ा बहुत ज्यादा जमा हो गया था, इसलिये वहां के मिल मालिकान उसको बन्द कर रहे हैं लेकिन केन्द्र के एक मंत्री कहते हैं कि मिल मालिकान ने मिसयूज किया है mill funds का एक मंत्री के और दूसरे मंत्री के कथन में क्यों फर्क है? क्या बात है? "one is trying to cover the other" मोदीनगर में श्रीमन्, मजदूर अपनी मांग करता है और आप उसके मुंह में लाठी ठोंक कर उसको जेल में बन्द कर देते हैं। मैं एक उदाहरण दूं। यह सब जानते हैं कि जितने भी मजदूर या कर्मचारी वहां रखे जाते हैं, चाहे वे दस साल काम करें, चाहे बीस साल काम करें, वे टेम्पोरेरी रखे जाते हैं। एक दिन के लिये उनकी सर्विसेज को ब्रेक करके फिर रिएम्पलाय किया जाता है और जिसको परमानेन्ट करना ही पड़ा उसका लेटर आफ रेजिगनेशन लिखवा कर रख लिया जाता है। यह क्या आप एक व्यक्ति के राइट का अपहरण नहीं करते? एडजुडिकेशन कमेटी बैठी, उसके अन्दर यह बात आयी, लेकिन आज तक आपने क्या किया?

अभी म्योर मिल का झंझट चला। उसमें आपने एक अजीब प्रिन्सिपिल रखा कि अगर फ़ायदा हो तब मजदूरी मिले। क्या मजदूरी मिलना फ़ायदे के ऊपर डिपेन्ड करता है?

[राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे]

अगर ऐसा है तो सारे मंत्रियों को अपनी तनख्वाह छोड़ देनी चाहिये क्योंकि आपका बजट सरप्लस नहीं है, डेफ़िसिट बजट है ।

"The sauce for the Congress goose is something else and the sauce for the common gender is something else". यह गलत चीज है । मेरा निजी मकान है लेकिन मैं हाउस एलाउन्स लेता हूं । यह किस नैतिकता का व्यवहार है ?

आज पुलिस से अत्याचार कराया जाता है और फिर उन्हीं कांस्टेबिलों के साथ लखनऊ में किस तरह का दुर्व्यवहार होता है ? उनकी कठिनाइयां थीं । उनको दबाने का अगर आप अधिकारियों के बल पर प्रयास करेंगे तो वह असफल होगा । क्या आपने उनके साथ मनुष्य के नाते व्यवहार किया ? नहीं । आपने उनके साथ अधिकारी और सबार्डिनेट के नाते व्यवहार किया । इससे काम नहीं चलेगा । चाहे जिस दृष्टि से आप इस सरकार को देखें इसके अन्दर एक ही बात आप पायेंगे कि केवल इसने शब्दों का ढांचा तो रखा है लेकिन जहां सिविल लिबर्टीज की बात हो, फंडामेंटल राइट्स का प्रश्न हो, इनकरप्टिबिल गवर्नमेंट की बात हो, वहां उसकी अन्तरात्मा नष्ट हो गयी और आज वह अन्तरात्मा न होने के कारण ही अविश्वास का प्रस्ताव आया है ।

श्री अध्यक्ष--आप का एक मिनट बाकी है ।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे--मैं दो मिनट चाहूंगा । श्रीमन्, उधर से बड़े जोरदार शब्दों में डेमोक्रेसी की बात कही गयी और उसके एचीवमेंट्स की बात कही गयी । परन्तु, श्रीमन्, वे सारे एचीवमेंट्स, वह सारी डेमोक्रेसी की बात व्यवहार में बिलकुल भिन्न हो जाती है । आज एक कानून बना, परसों उसका प्राविधान हुआ । ५५ वर्ष के रिटायरमेंट की एज को आपने ५८ वर्ष कर दिया । आज जुडिशरी को भी करप्ट किया जाता है । रिटायर्ड जजेज को आप गवर्नर बनाते हैं । अगर आप चाहते हैं कि उनको रिटायरमेंट के बाद पैसा मिले तो निश्चित है कि वे सरकार के पक्ष की बात करेंगे । अगर ५८ वर्ष की उम्र आपने तय की तो रिएम्पलाय करने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन आपने किया । अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर सरकार का रवैया इसी प्रकार का रहा तो देश और प्रदेश की जनता में एक घोर निराशा उत्पन्न होगी । आज सरकार के अन्दर जनता का घोर अविश्वास है इसीलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में तो कोई ऐसी खास बात नहीं, लेकिन बधाई एक दूसरी बात पर देता हूं । श्री राजनारायण ने अपनी जनरलशिप का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है । न जाने कहां-कहां से ईंट और रोड़ों को जोड़कर, मिला कर उन्होंने जो कुनबा जोड़ा है वाकई वह उनके ही योग्य है । हमको याद है, अभी कुछ ही महीने पहले अखबारों में उस पत्र-व्यवहार की चर्चा निकली थी जो कि डाक्टर लोहिया और श्री जयप्रकाश नारायण के बीच में हुआ था । उस पत्र व्यवहार के दौरान में और उसके आगे पीछे डाक्टर लोहिया साहब ने प्रजा समाजवादी पार्टी के सम्बन्ध में जो बातें कही थीं उनको सभी ने पढ़ा था, लेकिन आज प्रजा समाज वादी पार्टी श्री राजनारायण के पीछे हैं । जिन लोगों को डाक्टर लोहिया ने कम्युनलिस्ट कह कर याद किया था, आज वह भी श्री राजनारायण के अनुयायियों में हैं और कम्युनिस्टों के सम्बन्ध में भी उन्होंने जो विचार व्यक्त किये हैं वह बड़े शानदार विचार हैं और आपकी इजाजत से उनके व्याख्यानों का एक संग्रह है Aspects of Socialist Policy, उसमें से कुछ अंशों को पढ़ना चाहता हूं ।

"Two main reasons have resulted in communist gains. The Communist party has been willing to act, however, mischievously. Its belt of electoral victory is strictly co-terminus with the areas where it burnt and killed.....The lesson of this remarkable

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

happening must be drawn. Poverty and misery have so harassed the people that they are willing to lend their ear to whosoever apparently suffers for them."

फिर उन्होंने लिखा है :

"They will be drawn to the communists when the government chases them and inflicts unmerited suffering on many innocent people in the process. The people have, however, shown their conclusive preference for peaceful struggle, whenever they were provided with the opportunity to judge and choose."

इसका मतलब यह है कि जहां-जहां कम्युनिस्ट पार्टी जीती है उस-उस क्षेत्र में वहां उन्होंने हत्यायें कीं, मकानों को जलाया, लूटा, और जहां उन्होंने ऐसा नहीं किया वहां उन्हें जीत नहीं मिली। वह हार गये। तो आशा यही है कि दूसरे क्षेत्रों में भी वह ऐसे ही काम करेंगे।

फिर आगे कहते हैं.....

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)---प्वांइट आफ आर्डर। मैं आपकी आज्ञा से यह जानना चाहता हूं कि यह मुख्य मंत्री जी पार्टियों की नीति के बारे में बता रहे हैं अथवा सरकार के ऊपर जो आरोप लगाये गये हैं उनके सम्बन्ध में बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---यह रेलीवेंट है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---

"The fact of communist gains in areas of their violent activity also opens out a dangerous prospect. Having tasted victory, they are likely to repeat the adventure, which gave it, in other areas. Whenever the communist effort at constitutionalism exhausts itself, the adventure will start.....

Communist gains must also be traced to the two temples of international worship which they have erected, Russia and China. Once a worship starts all questions of right and wrong dissolve, as all wrongs are done for the greater glory of the temple. It is useless to expose communist tactics, their twists and turns and their acknowledgement after every four years that they were wrong in the earlier period, without exposing the true nature of their worship. Once the mind is seized with the idea that the Soviet temples are saviours of mankind and that they will inevitably grow, it does not matter whether a communist party allies itself with capitalism and the government of the day whether it preaches democracy or dictatorship, for all that is a problem of tactics."

उन्होंने फरमाया यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी की एक खास बात यह है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पूजा के दो मंदिर बना रखे हैं, एक रूस में और दूसरा चीन में और जब पूजा शुरू हो गयी तो क्या धर्म है, क्या अधर्म, क्या उचित है, क्या अनुचित, इन बातों का कोई खयाल नहीं रहता। जो बात कही जाती है उससे यह समझा जाता है कि हमारे देवता की प्रशंसा होती है। ऐसी हालत में कम्युनिस्ट पार्टी चाहे पूंजीपतियों के साथ मिल जाय, या उससे अलग रहे एक दिन डेमोक्रेसी के साथ हो और दूसरे दिन डिक्टेटरशिप के साथ, यह सब बातें सम्भव हैं। तो जिस कम्युनिस्ट पार्टी को डाक्टर लोहिया ने इन शब्दों में याद किया, वह आज यदि राजनारायण जी के चरणों में लोट रही है तो यह उनकी बड़ी भारी विजय है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, यह जो कहा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी चरणों में लोट रही है, यह पार्लियामेंटरी है ?

श्री अध्यक्ष---ये मजाक के शब्द हैं और आपको इन्हें बरदाश्त करना चाहिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरे सामने मुश्किल यह है कि यह मैं ठीक नहीं समझ पाता हूं कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जितनी बातें कही गयी हैं उनमें से किस-किस का जवाब

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

दूं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको हम आज से नहीं बल्कि मुद्दत से सुनते आये हैं। जब कभी बजट पर बहस होती है उन्हीं बातों को सुनते हैं। कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी वही बातें सुनने में आती हैं। जब कभी दो घंटे के लिये किसी विषय पर चर्चा होती है तो वही बातें सुनने में आती हैं। यह सब बातें इतनी बार कही जा चुकी हैं और इतनी बार इनका उत्तर दिया जा चुका है, मैं समझता हूं, उनके ऊपर इस सदन का समय लेना उचित नहीं होगा क्योंकि उन्हीं बातों के जवाब को दोहराना होगा जो कि बेकार हैं।

अब यहां पर कई बार कहा गया कि कांग्रेस गवर्नमेंट असफल रही उन सब बातों में जिनका जिक्र फंडामेंटल राइट्स में और जिनका जिक्र डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में है। सफल और असफल यह दोनों सापेक्ष शब्द हैं। एक बार नहीं अनेक बार मैं कह चुका हूं और आज हमारे भाई चरणसिंह जी ने कहा और लोग भी कहते हैं कि दुनिया में न तो आजतक कोई ऐसी गवर्नमेंट हुई, न है और न आगे शायद होगी जहां तक कि हजार दो हजार वर्ष आगे की बात हम सोच सकते हैं, जो इस बात का दावा कर सके कि जो कुछ भी किसी गवर्नमेंट को करना चाहिये वह सारा काम वह गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन जो परिस्थिति है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। हम देश की बात छोड़ कर प्रदेश की बात करें। हमको यह ऐसा प्रदेश मिला था जो कि इतने दिनों तक फारेन रूल की वजह से तबाह हो चुका था। रुपये पैसे के साधन देश के पास कम थे। और भी जो ऐसे साधन होते हैं कि जिनके आधार पर किसी देश की तरक्की की जा सकती है ऐसे हर किस्म के साधनों की कमी थी। इसके साथ-साथ प्रदेश को कई प्रकार के उपद्रवों का सामना करना पड़ा जो कम्युनल ढंग के और कुछ दूसरी तरह के थे। इसके साथ-साथ एक बात जो होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। हर शख्स को चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का होता, ऐसा मानना चाहिये था कि कम से कम कुछ समय के लिये हम एक पोलिटिकल ट्रूस कर लें, अपने प्रदेश को ऊंचा उठालें, जो यहां की आर्थिक हालत है उसको सम्भाल लें और यहां के लोगों को थोड़ी सी सांस लेने का मौका दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतना ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने असहयोग किया और देश की उन्नति के कामों में शरीक नहीं हुये। इतना ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक दलों ने किसी न किसी नाम से, किसी न किसी बहाने से कोई न कोई आन्दोलन जारी रखा ताकि प्रदेश में शान्ति न रह सके, यहां की जनता में शान्ति न रह सके, प्रदेश की सरकार शान्ति से न रह सके ताकि उसका ध्यान जो लोगों के उत्थान के लिये लगना चाहिये वह दूसरी तरफ बंट जाय। आपका रुपया पैसा, जो कि बहुत कम है, जनता की गाढ़ी कमाई का वह पैसा जो हमारे पास है दूसरे कामों में लगे और जो नेशन बिल्डिंग के काम हैं उनमें न लग पाये, इस प्रकार की कोशिश दूसरे दलों ने की। यह मैं नहीं कहता कि वे देश के या प्रदेश के दुश्मन हैं, लेकिन यह हुआ और इसलिये हुआ कि जिससे वे यह कह सकें कि हमने कुछ काम नहीं किया। इसलिये उन्होंने काम में मदद नहीं की, बल्कि उसमें और अनेक बाधायें उपस्थित कीं।

जो भी काम हमने किये हैं, मैं अपने दूसरे देशों और दूसरे प्रदेशों के उदाहरण को सामने रखकर कह रहा हूं और दावे के साथ कहता हूं कि वे काम ऐसे हैं जिनपर यही गवर्नमेंट नहीं बल्कि कोई भी गवर्नमेंट गौरव अनुभव कर सकती है। जो भी हमारी कठिनाइयां रही हैं, जो भी हमारे पास धन था, जो बाधायें हमारे रास्ते में आयीं, जिनसे हमें सहयोग की आशा थी उन्होंने हमारे साथ क्या व्यवहार किया, इन सब बातों को देखते हुये, हमने जो कार्य किया है, कोई भी देश उसके ऊपर अभिमान कर सकता है और कह सकता है कि बहुत अच्छा काम हुआ। आज जो भी इसके विरुद्ध कह रहे हैं अगर वे भी एकान्त में सोचेंगे तो वह भी यही कहेंगे, दूसरी बात नहीं। आज हम हैं, कल यहां दूसरी गवर्नमेंट हो सकती है, चार, छः या एक वर्ष बाद ही, लेकिन हमारा यह ध्येय रहता है कि हम चाहे रहें या न रहें, यह उत्तर प्रदेश रहेगा, भारत रहेगा। हम चाहते हैं कि जैसा उत्तर प्रदेश हमने पाया, उससे अच्छा हम छोड़ जांय, हम हों या कोई दूसरा हो, हम यही चाहते हैं कि

हम इस प्रदेश को आज से अच्छा छोड़कर जाय और हमको यह पूरा विश्वास है कि हम इस कार्य में सफल होंगे और इसमें हमें रत्ती भर भी सन्देह नहीं है ।

फंडामेंटल राइट्स की बात भी कही गयी । ठीक है; जहां तक फंडामेंटल राइट्स की बात है और जो उनके बारे में संविधान में लिखा हुआ है, उसको बारबार पढ़कर सुनाने की आवश्यकता नहीं है । वह लिखे हैं और सब लोगों ने उनको पढ़ लिया है । हिन्दी, अंग्रेजी और न जाने किन-किन भाषाओं में वह हैं । उसकी दुहाई देने की आवश्यकता नहीं है । हम लोगों ने उसका अध्ययन किया है और अच्छा किया है । जैसा कि कुछ समय पहले माननीय कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि जिस वक्त कांस्टीटुएंट असेम्बली बैठी हुई थी और उसकी अनेक धाराओं पर, जिनका कुछ माननीय सदस्य बार-बार हवाला दिया करते हैं, विवाद हो रहा था तो वे अलग बैठे रहे, लेकिन जो लोग इधर बैठे हैं उनमें से कई लोग और दूसरे प्रतिनिधि उस जगह मौजूद थे ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या उनको यह मालूम है कि सोशलिस्ट पार्टी ने ५ हजार रुपये की कांस्टिट्यूशन की कापी बंटवायी थीं ? बिहार के पुलिस विद्रोह के समय और बम्बई के नेवी विद्रोह के समय हमने कहा था कि भारत का बटवारा न करो, अंग्रेजी साम्राज्यशाही के विरुद्ध एक लड़ाई और लड़ो । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह असत्य है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मैंने समझा कि शायद कोई प्वांइट आफ आर्डर होगा और इसलिये मैं सौजन्य के नाते बैठ गया ।

तो आज जो परिस्थिति देश के बटवारे से हुई है, वह तो हो गयी । उस पर रोने से कोई लाभ होनेवाला नहीं है कि देश का बटवारा अगर न होता तो ऐसा होता । लेकिन कुछ लोग हैं जो उस कांस्टीटुएंट असेम्बली में शरीक नहीं हुये । जो लोग शरीक हुये और जिन लोगों ने संविधान बनाने में भाग लिया, वे समझते हैं कि उनके ऊपर संविधान की बातों की जिम्मेदारी है । मैं नहीं कहता उन लोगों के बारे में जो उस वक्त अलग बैठे रहे । मैं नहीं समझता कि उन्होंने उस संविधान को समझा है या नहीं समझा है लेकिन जिन्होंने संविधान को बनाने में अपना हाथ बंटाया है, वे संविधान का अर्थ समझते हैं और उनको उसके कार्यान्वित करने का पूरा-पूरा खयाल है और करेंगे । जो काम उन्होंने बुद्धि के साथ और अक्ल के साथ किया है उसको वे कार्यान्वित करेंगे ही ।

श्री राजनारायण---रावण भी ऐसा ही कहा करता था ।

श्री अध्यक्ष---यह उचित नहीं है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है । यह तो अपने-अपने काम करने का तरीका है । मेरा तरीका तो यह है कि कम से कम आपोजीशन के लोग या दूसरे लोग जब बोलते हैं तब मैं इंटरफियर नहीं करता हूं । लेकिन जिसको जो तरीका मालूम है, वह उसी तरीके को बरत सकता है ।

श्री अध्यक्ष---मेरा कर्त्तव्य है कि मैं अपशब्द रोकूं, इसलिये मैं रोकूंगा जरूर ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ठीक है, वैसे आपोजीशन का जो ड्यू है, उस ड्यू को हमेशा मैंने देने की कोशिश की है । अस्तु, मैं यह कह रहा था कि जहां तक फंडामेंटल राइट्स की बात है, मुझे कभी-कभी ऐसा खयाल होता है, जैसा कि माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा था, उन बातों के अन्दर काफी तथ्य है । जितना ज्यादा हमारे यहां फंडामेंटल राइट्स का ऐब्यूज होता है, दुरुपयोग होता है, शायद ही किसी और जगह होता हो । कानून के अन्दर चाहे जो कुछ अख्तियार रखा हो लेकिन इस बात को देखा जाय कि इन सब बातों के होते हुये भी हमारे उत्तर प्रदेश में प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट कितने दिनों से कायम है, लेकिन

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

उसको कब तक कितना इम्पलीमेंट किया गया ? सन् १९५४ में केवल ८ आदमियों को बन्द किया गया था, लेकिन आज एक भी आदमी उसके मातहत बन्द नहीं है । अखबारों में तो न जाने कितनी बातें निकलती रहती हैं, लेकिन मैं उनको बराबर तरह देता हूं और उनपर कोई खयाल नहीं करता । इन छोटी-छोटी बातों पर कितना खयाल किया जाय ? लेकिन, कभी-कभी कोई चीज ऐसी होती है और ऐसा मौका हो जाता है कि उसका खयाल करना पड़ता है । एक खास जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ले रखी है । चाहे विरोधी पक्ष में जितने भी हों, लेकिन आज हम मेजारिटी में हैं, और आज हमने गवर्नमेंट बना रखी है । शासन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हम समझते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है उस सिलसिले में किस हद तक आगे बढ़ा जा सकता है । जब फंडामेंटल राइट्स का दुरुपयोग होने लगता है तो इस बात को समझ लेना चाहिये कि उसको कहीं न कहीं रोकना होता है । एक बात माननीय त्रिलोकीसिंह ने कही कि मीटिंग करने के लिये सिटी मैजिस्ट्रेट की इजाजत लेने की क्या जरूरत है, जमीन तो म्युनिसिपैलिटी की है । मेरा कहना है मीटिंग के लिये जरूरत हो सकती है, मीटिंग अनेक कामों के लिये की जा सकती है और मीटिंग में अनेक बातें कही जा सकती हैं । किसी वक्त कोई मीटिंग की जा सकती है । म्युनिसिपैलिटी की जमीन तो सारे शहर में फैली होगी । अगर ऐसी बात कही जाय तो उसका दुष्परिणाम यह होगा कि मीटिंग खत्म होने पर शहर भर में उपद्रव हो सकते हैं, शहर भर में ला ऐंड आर्डर का ब्रीच हो सकता है, लोगों के सर फूट सकते हैं, जानें जा सकती हैं । ऐसी हालत में यह नहीं हो सकता कि सिटी मैजिस्ट्रेट अपने हाथ में ला ऐंड आर्डर को कायम रखने का अख्तियार न रखे, क्योंकि शहर की शान्ति और व्यवस्था की जिम्मेदारी उसी की होती है । यह बात दूसरी है कि किसी देश में, किसी जमाने में ऐसी स्थिति पैदा हो जाय कि इस तरह की बातें वहां सुनने को भी न मिलें, लेकिन जहां देश और प्रदेश में इस तरह की बातें हों और कानून का दुरुपयोग किया जाता हो, वहां सिटी मैजिस्ट्रेट या कोई मैजिस्ट्रेट उस जिम्मेदारी से अपने को अलग नहीं कर सकता है ।

श्री राजनारायण--कानून के मातहत कार्यवाही होनी चाहिये ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अगर कानून के अन्दर कोई बात नहीं होती है तो उसके लिये अदालतें खुली हुई हैं । मेरे लिये मुश्किल यह है कि बहुत सी पुरानी बातें दोहरायी जायं और जो नयी बातें कही जायं वे भी निराधार हों । न जाने कितनी निराधार बातें कही गयी हैं, उन सबका मैं कहां तक पीछा करता फिरूं ? लेकिन नमूने के लिये मैं एक बात कहना चाहता हूं, मसलन, एक बहुत दर्दनाक बात बहुत मर्तबा सामने आयी कि फंडामेंटल राइट के बिलकुल विरुद्ध जो काम किया जा रहा है वह यह कि १४,१४ वर्ष के लड़के रिक्शा चला रहे हैं और खास तौर से लखनऊ शहर में गवर्नमेंट की आंख और नाक के नीचे इस फंडामेंटल राइट की अवहेलना की जा रही है । अब इसका जवाब मैं क्या दूं ? गवर्नमेंट की तरफ से म्युनिसिपल बाईलाज कई वर्षों से बना हुआ है । अगर आप पढ़ने का कष्ट करें तो पेज ६२५ पर लिखा हुआ है--

"No licence shall be issued unless a driver or puller of a rickshaw is not less than 18 years and more than 45 years."

यानी १८ वर्ष से कम उम्र वालों के लिये तो कोई इजाजत ही नहीं है । २० वर्ष वालों के लिये इजाजत है । लेकिन सदन में १४, १५ वर्ष के लड़कों का जिक्र किया गया । हो सकता है कि कहीं ऐसा हो । सैकड़ों हजारों वर्ष से कानून बना हुआ है कि चोरी नहीं करनी चाहिये । गवर्नमेंट का काम यह है कि चोरी के खिलाफ कानून बनाये लेकिन फिर भी लोग चोरी करते हैं, इसमें गवर्नमेंट का दोष नहीं है, दोष तो गवर्नमेंट का तब है जब कि चोरी करने वाले को पकड़ा जाय और उसको सजा न दी जाय । कानून बना है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी खत्म हो गई । अब अगर किसी को मालूम हो कि फलां १४ साल से कम का लड़का रिक्शा चलाता है तो उसका

फर्ज है कि वह अथारिटीज के नोटिस में वह बात लाये। होता यह होगा कि कोई बड़ी उम्र वाला लाइसेंस लेता होगा और किसी वक्त लड़के को ही भेज दिया, आप किसी और काम में लग गया। इस तरह से हो सकता है। शारदा ऐक्ट बना हुआ है, लेकिन फिर भी कम उम्र की शादियां होती हैं। वह चीज ऐसी है कि अगर गलत चीज होती है तो किसी न किसी को नोटिस लेना चाहिये। इससे भी कोई सहमत न होगा कि इसको कागनिजेबिल बना दिया जाय कि पुलिस वाला जिस को देखे कि उम्र कम मालूम होती है उसको पकड़ ले। उससे भी और अधिक अव्यवस्था और शिकायत पैदा हो सकती है। इसलिए मुनासिब तरीका यही है कि किसी न किसी को नोटिस देना होगा, कोई खबर दे कि फलां आदमी कम उम्र का है और रिक्शा चलाता है, तब उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और कार्यवाही हो सकती है।

श्री राजनारायण—आप उनको खाना दीजिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जेल में आयेंगे तो खाना दिया जायगा। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह भी एक फंडामेंटल राइट है कि पुरुषों को और स्त्रियों को बराबर मजदूरी दी जानी चाहिये। सही बात है। हमारा संविधान तो पीछे बना जिसमें फंडामेंटल राइट्स का जिक्र हुआ, यह उत्तर प्रदेश का गजट है ६ दिसम्बर सन् १९४८ का, हमने मजदूरों के सम्बन्ध में कुछ नियम मंजूर किये थे उनमें से नम्बर ९ पर एक नियम यह था कि—

"For fixing wages, the principle of equal pay for equal work, is respective of sex, shall be adopted, and men and women employees shall get the same wage for similar work".

सन् १९४८ से हमारा यह कानून बना हुआ है। हो सकता है कि कोई इस कानून की अवहेलना करता हो .....

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—टेस्ट वर्क में क्या हो रहा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—माननीय सदस्य को शायद मालूम नहीं है। अगर वह कानून को पढ़ने की कोशिश करें तो उनकी समझ में आ जायगा। संविधान में कारखाने आदि के मजदूरों का उल्लेख है, जहां फैक्टरीज आदि हैं और मजदूर काम करते हैं, उनमें टेस्ट वर्क नहीं आते हैं। इसके अलावा बिजली के कारखाने का जिक्र किया गया.....

एक सदस्य—बिजली के नहीं, बीड़ी के।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बीड़ी के कारखाने के बारे में मुझे नहीं मालूम, उसके बारे में भी देखूंगा, लेकिन यह जो जिक्र हुआ उसमें वही मजदूर हैं कि जो फैक्टरी ऐक्ट में आते हैं और जो इस किस्म के कारखाने हैं जो फैक्टरी ऐक्ट में नहीं आते वहां हमारा यह कानून लागू नहीं होता। बाकी जो कारखाने फैक्टरी ऐक्ट में आते हैं वहां अगर इस तरह का कोई भेदभाव किया जाता है तो वह अगर हमारे नोटिस में लाया जायगा तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

कल माननीय राजनारायण जी ने हरिजनों के सम्बन्ध में मन्दिर प्रवेश का जिक्र किया। सदन को इतिहास मालूम है कि एक कानून था और उसके ऊपर अदालत में मामला गया था, बहुत दिन तक मामला लटका रहा। इसी सदन ने एक दूसरा कानून बनाया। उस कानून को भी गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया गया। उस कानून के पास होने के बाद भी अदालत में मुकदमा चल गया। जैसे ही अदालत से मुकदमा उठा वैसे ही गवर्नमेंट ने इस मामले को लिया और मैं समझता हूं कि सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि जहां तक हरिजनों की बात है, हरिजनों का प्रवेश विश्वनाथ जी के मन्दिर में हो भी गया। माननीय राजनारायण जी को भी मालूम है। यह जरूर है कि जिस वक्त उनका प्रवेश हुआ उस वक्त जिन लोगों के नेतृत्व में हुआ, उस समय माननीय राजनारायण जी नहीं थे। वह उस वक्त वहां पहुंच नहीं सके।

श्री राजनारायण—हमारे मित्र थे उस वक्त। हमारी आत्मा वहीं थी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उनका शरीर वहां न रहा हो, लेकिन उनकी आत्मा वहीं थी। तो ऐसी हालत में उनको जरूर मालूम होगा कि हरिजनों का मन्दिर में प्रवेश हो गया। फिर शिकायत करने की क्या बात थी?

श्री राजनारायण—जिनकी आंख काटी गयी, जिनका गाल काटा गया उनकी बात मैंने कही।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हमारे देश में दो तीन बड़ी मुसीबतें हैं। मैं बहुत संक्षेप में उनका जिक्र करना चाहता हूं और मुसीबत यह है जिसका जिक्र किया गया डाक्टर लोहिया साहब की कलम से। उसको, श्रीमन्, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

श्री राजनारायण—आप भी उनकी शिष्यता कबूल कर रहे हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—शास्त्रों में कहा है कि सच्ची बात बालक से भी ग्रहण करनी चाहिए। उन्होंने लिखा है :—

"The third major weakness of Asian politics is the disease of the big man who is in reality a small man. The big man is very clever at making phrases or acting as though on the stage but his achievements in the internal as well as external affairs are empty. All over Asia one finds the very frequent appearance of such big men, phrase-makers and stage actors."

उन्होंने कहा कि एशिया की बड़ी भारी मुसीबत यह है कि कुछ हद तक बहुत छोटे आदमी हैं, लेकिन अपने को बहुत बड़ा आदमी समझते हैं। वह बड़ी लम्बी चौड़ी बातें बनाते रहते हैं। जो भी उनकी खामी होती है ऐसा नाटक करेंगे कि जैसे स्टेज पर काम कर रहे हों, दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने यह किसकी बाबत कहा। मैं किसी का नाम नहीं लेता। लेकिन यह हमारे देश और प्रदेश की मुसीबत है कि हमारे यहां कई लिटिल बिगमेन हैं।

दूसरी मुसीबत हमारी यह है कि हम बहुत सी बातों में नारों के, शब्दों के, गुलाम हो जाते हैं। नारा लगाने वाला बगैर इस बात को समझे हुए कि किस बात का नारा लगा रहा है, नारा लगाता रहता है। आज जिसको देखिए वही डेमोक्रेसी की बड़ी चर्चा करता है। जिसको भी देखिये वही डेमोक्रेसी की बात करता है। आखिर कौन सी डेमोक्रेसी? एक डेमोक्रेसी वह है जो यूरोप और अमेरिका से आती है, और एक वह है जिसके मानने वाले हमारे माननीय झारखंडे राय जी हैं, पीपल्स डेमोक्रेसी है, रूस और चीन की डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का नाम वह भी लेते हैं और डेमोक्रेसी का नाम माननीय त्रिलोकीसिंह जी, माननीय पालीवाल जी, माननीय राजनारायण जी भी लेते हैं। हां, मैं दुबे जी का नाम भूल गया। रूस में भी डेमोक्रेसी है, चीन में भी डेमोक्रेसी है जहां पर एक पार्टी को छोड़ कर दूसरी पार्टी का पता नहीं है, दूसरी पार्टी का कोई दफ्तर नहीं, उनकी पार्लियामेंट में दूसरी पार्टी का कोई सदस्य नहीं। लेकिन उसका नाम है पीपल्स डेमोक्रेसी। वह रूस में भी है और चीन में भी है और उसी डेमोक्रेसी में माननीय झारखंडे राय विश्वास करते हैं। उनका खयाल है कि इस डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है जब उनकी डेमोक्रेसी आयेगी तो फंडामेंटल राइट्स का सवाल ही नहीं पैदा होगा। मैं नहीं जानता कि माननीय राजनारायण जी का इसी डेमोक्रेसी से क्या मतलब है? तीन चार आदमी एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यों उसके अलग-अलग मानी हैं। कम से कम माननीय झारखंडे राय जी को यह कहना चाहिए था कि हम उस डेमोक्रेसी का जिक्र करते हैं जो रूस में है। जब हमारी डेमोक्रेसी चलेगी तो सब खत्म कर दिये जायेंगे, न कांग्रेस रहेगी, न पी० एस० पी० रहेगी, न जनसंघ रहेगा। उनको यह साफ करना चाहिए था न आपके दफ्तर रहेंगे, न आप रहेंगे, झगड़ा खत्म हो जायगा, कोई फंडामेंटल राइट्स का सवाल ही नहीं आता। डाक्टर लोहिया ने कहा है कि जब कम्युनिस्ट पार्टी को मौका मिलेगा तो तलवार से काम लेंगे। और दूसरे साहब किस डेमोक्रेसी का जिक्र करते हैं, मैं नहीं जानता...

श्री त्रिलोकी सिंह—उस डेमोक्रेसी का जिक्र करता हूं जो इंडियन कांस्टीटयूशन में गारन्टीड है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आपकी बाबत तो विश्वास करे लेता हूं लेकिन आप पूछ लें झारखंडे राय जी से कि वे भी उसी में विश्वास करते हैं।

श्री त्रिलोकी सिंह—नहीं, मैं नहीं कह सकता।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसी बात पर मैंने राजनारायण जी को बधाई दी थी कि कैसी कैसी ईंटों को इकट्ठा करके कुनबा जोड़ा है। वाह, धन्य हैं!

डेमोक्रेसी का एक स्लोगन हो सकता है और एक भयंकर स्लोगन हो सकता है। जीवित लोगों में, मनुष्यों में जितने भी सिद्धान्त चलते हैं अगर वह सोसायटी स्टेटिक है, प्रगतिशील नहीं है तो फिर जो चीज एक बार हो गयी वह हमेशा के लिये हो गयी। लेकिन जो सोसायटी प्रगतिशील है जो चीज आज अच्छी है कल वह बदली जा सकती है। माननीय दुबे जी ने बहुत सी कवितायें अंग्रेजी में कहीं। मैंने कभी कालेज में एक बार पढ़ा था टेनीसन की कविता :

"The old order changeth yielding place to new and God reveals Himself in many ways lest one custom should corrupt the world".

जो चीज आज अच्छी लगती है वही चीज समय के अनुसार बुरी भी हो सकती है। आज से कई सौ वर्ष पहले इंगलैण्ड में डेमोक्रेसी उदय हुई थी तब से और आज तक बहुत फर्क हो गया है। उस समय किंग की पावर्स, बैरन्स की पावर्स सब खत्म हो गई, चीन की वह सूरत नहीं रही जो आज से कुछ वर्ष पहले थी। आज के जमाने में डेमोक्रेसी शब्द का वह कंटेंट नहीं हो सकता जो आज से पहले था। बड़ी ग्रोइंग चीज है। जब हम इन शब्दों का प्रयोग करें तो केवल नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। हमको यह देखना पड़ेगा कि हम किस अर्थ में स्लोगन कर रहे हैं। डेमोक्रेसी मीन्स है ऐण्ड नहीं है। मुख्य चीज यह है कि हमारी नीड क्या है। किस तरफ समाज को ले जाना चाहिए उसको सामने रख करके ही इस शब्द का प्रयोग करना होगा। केवल स्लोगन से जब दो आदमी किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके हामी दो आदमी बनते हैं तो दोनों के माने अलग-अलग होते हैं। अगर कम्युनिस्ट पार्टी इस सिद्धान्त को मानती है तो न वह इस चीज को छोड़ सकती है, आप दोनों जो लोग सपोर्टर हैं आपस में मिल कर, बैठकर तय कर लें कि क्या उनका मतलब है, तब हम किसी चीज का जवाब दें, वरना किस का जवाब दिया जाय, बहुत मुश्किल हो जाता है।

अब दो एक बातें और कहना चाहता हूं सत्याग्रह के सम्बन्ध में। एक सत्याग्रह इन जनरल और एक इन पर्टिक्यूलर। जहां तक इन जनरल सत्याग्रह की बात है उसकी बहुत लम्बी चौड़ी फिलासफी है। न मैं महात्मा गांधी जी को कोट करना चाहता हूं, न थोरो को कोट करना चाहता हूं और न किसी और को। जहां तक महात्मा जी की बात है, उनके लिये हम सब के दिल में जो आदर है उसके कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद हम में से कोई भी अपने हृदय पर हाथ रख कर नहीं कह सकता कि महात्मा जी के सिद्धान्तों का सोलहों आने पालन कर रहे हैं। तो उनके नाम को खींच कर लाना एक प्रकार से अधर्म है।

एक बात कहूंगा और इसलिए कहूंगा कि माननीय राजनारायण जी कहते हैं कि उन्होंने कभी कुछ मुझसे सीखा है। तो मैं एक सलाह उनको देता हूं कि मेरी एक किताब है "दी इंडिविजुअल ऐंड दी स्टेट"। उसका सेकेंड एडिशन निकल रहा है। उसमें और बहुत सी बातें हैं। एक चेप्टर उसमें है दी राइट टु रिबैल। उसको वह देखें। जहां तक सैद्धान्तिक बात है, सैद्धान्तिक बातों में मैं कई बातों का समर्थन कर सकता हूं। जहां तक कि बिलकुल इतिहास की बात है इस बात को माना जा सकता है कि कोई ऐसी अवस्था हो सकती है किसी ऐसे समाज में भी जो कि अपने को डेमोक्रेटिक कहता हो। ऐसे समाज में भी कभी ऐसी अवस्था हो सकती है कि जब कोई और रास्ता न रह जाय और तब सत्याग्रह करने की बात समझ

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

में आ सकती है। थ्यौरी में यह बात बिलकुल ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से जो लोग इस बात को सोचें उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। हर आदमी महात्मा गांधी नहीं है। अकेले यह एक इंडिविजुअल का ऐक्ट नहीं रह जाता, सोशल ऐक्ट हो जाता है और इसका मतलब यह है कि अपने उस काम में सैकड़ों, हजारों आदमियों को एक रास्ते पर लाना होता है। हर आदमी को यह सोचना चाहिए कि ऐसी जगह पर जहां पर कि नार्मल तरीके से गवर्नमेंट को बदला जा सकता है, वहां सैकड़ों हजारों आदमियों को ऐसे रास्ते पर लगा देना, क्या ऐसी जिम्मेदारी अपने ऊपर हम लें, क्योंकि ऐसी स्थिति में जैसा कि कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा कि जब इस तरह का सत्याग्रह शुरू हो जाता है तो उसमें जो बचे-खुचे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके भी खत्म हो जाने का डर पैदा हो जाता है। इसलिए थ्यौरी में चाहे यह चीज बिलकुल सही हो लेकिन प्रैक्टिस में सैकड़ों हजारों वर्षों में कहीं ऐसा मौका आ सकता है जब कि किसी आदमी को इससे काम लेने की जरूरत पड़े।

एक दूसरी बात—अन्तिम निर्णय कैसे हो कि यह चीज सही है या गलत? हमने समझा किसी बात को कि गवर्नमेंट का यह काम गलत है। हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब जैसे फ्रीडम आफ दी कंट्री का सवाल है, कंट्री की गुलामी को दूर करने का सवाल है, यह एक मान्य कंसेप्ट है, इसकी बाबत दो रायें नहीं हो सकतीं। सारी दुनिया में हजारों वर्षों से माना गया है कि हर देश को स्वतंत्र होने का अधिकार है। अगर इस चीज पर, आजादी की रक्षा में, गुलामी को दूर करने के लिए ऐसी कोशिश की जाय तो चाहे सशस्त्र चाहे निश्शस्त्र, हिंसात्मक या अहिंसात्मक किसी तरह का कार्य किया जाय उसकी बाबत दो रायें नहीं हो सकतीं। वह चाहे सफल हो चाहे असफल, यह एक मान्य कंसेप्ट है, लेकिन और जो गवर्नमेंट के काम होते हैं उनकी बाबत दो रायें होना सम्भव है, क्योंकि उनके लिए कोई एक यूनिवर्सल कनसेप्ट नहीं है। ऐसी हालत में हमेशा आदमी को सोचना चाहिए। महात्मा गांधी ने किया एक फारेन गवर्नमेंट के विरुद्ध जो कि एक मान्य कंसेप्ट है। और किसी मामले में किसी को, न मुझको, न आपको इस बात का दावा करने का अधिकार है कि हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम जो सोचते हैं वही ठीक है और इसके भरोसे हम हजारों आदमियों को इसमें लगा दें। बड़ा भारी दावा है। रोज रोज सत्याग्रह करना तो दूर रहा सैकड़ों वर्षों में एक बार सत्याग्रह का मौका आये तो हजार बार सोच समझ कर करना चाहिए न कि हर छोटी सी बात के लिए सत्याग्रह ऐसी चीज कर दी जाय। वह तो फिर चीज खत्म हो जायगी। समाज चल नहीं सकता और किसी देश में किसी समाज में आटोक्रेसी लाने का गवर्नमेंट को उच्छृङ्खल बनाने का इससे अच्छा कोई साधन हो नहीं सकता। इसलिए थ्यौरी में भले ही ऐसा अधिकार हो लेकिन यह एक ऐसा अधिकार है कि जिसे प्रैक्टिस में लाते समय बहुत सोच समझकर चलना चाहिए और सैकड़ों वर्षों में कहीं एक बार इससे काम लेना चाहिए। एक और बात के लिए इसमें तैयार रहना चाहिए। गवर्नमेंट ने कोई फैसला किया, अपनी समझ से गवर्नमेंट ने ठीक ही किया होगा और जब ठीक किया होगा तो गवर्नमेंट का कर्तव्य हो जाता है कि जो लोग इस किस्म का काम करते हैं उनको रोके। यह नहीं हो सकता है कि जो लोग सत्याग्रह की बात करते हैं उनको मनमानी करने दिया जाय। गवर्नमेंट जिसके ऊपर शासन की जिम्मेदारी है उसको भी अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। फिर दमन की शिकायत नहीं हो सकती।

श्री राजनारायण—मर्यादित होना चाहिए न?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अब मर्यादित तो एक पार्टी अपनी समझ से काम करती है। अगर गलत है तो उसका फैसला अदालत से होगा और कोई तीसरा रास्ता तो है नहीं।

जहां तक इस सत्याग्रह की बात है, एक ही बात है, अगर कोई सत्याग्रह कहीं होता भी हो तो यह बात तो मेरी समझ में आ सकती है कि किसी पर्टीकुलर देश में किसी पर्टीकुलर समाज में कोई एक खास अवस्था ऐसी है जिस को दूर करने का कोई और साधन न हो, तो उसको दूर करने के लिये अपनी आत्मा पर आदमी खेल जाय, लेकिन जो सत्याग्रह कि सोशलिस्ट

पार्टी की तरफ से चलाया गया वह किसी एक स्पेसिफिक रीजन के खिलाफ नहीं था, इस प्रदेश के किसी खास काम के खिलाफ नहीं था। इस सम्बन्ध में मैं डाक्टर लोहिया साहब के दो ब्यान हैं। एक तो हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड का है ११ जून, ५७ का, उसमें वे क्या फरमाते हैं उसे पढ़ता हूं :—

"Addressing a press conference, the Socialist leader said, it was the need for a permanent civil disobedience movement that had prompted his party to launch a satyagraha in U. P. If the Tamil Nad unit fulfilled certain conditions, the party hoped to launch a satyagraha in Madras State in next August. In the next three years, the party expected to launch the civil disobedience movement in a relay in one State after the other. Andhra, Maharashtra and the Punjab were next on the list."

डाक्टर लोहिया साहब ने कहा कि एक स्थायी सत्याग्रह की देश में जरूरत है। अगर आज इस प्रदेश में किया है तो कल फिर तामील नाड में करेंगे। हमारी लिस्ट में आन्ध्र, महाराष्ट्र, और पंजाब लिखा हुआ है, इनमें सत्याग्रह करेंगे। इस प्रदेश में कोई बड़ी दुर्व्यवस्था हुई हो, उसकी शिकायत को दूर करने के लिये कोई और साधन न मिला हो ऐसी बात नहीं है। वह तो सारे देश की चीज है। सारे देश में वह सत्याग्रह उनको करना है। तो जिस तरह की बातें माननीय मित्रों ने यहां कही हैं वे इस तरह के परमानेंट सत्याग्रह में नहीं आतीं।

श्री राजनारायण—ट्राटस्की की रिवोल्यूशन थ्योरी के लिये डाक्टर लोहिया ने क्या कहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उसको डाक्टर लोहिया ने अपनी किताब में बिलकुल गलत कहा।

श्री राजनारायण—उसी को उन्होंने रिप्लेस किया है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह बिलकुल सही बात है। जो लोग सत्याग्रह करते हैं उनको उन्होंने बड़ी भारी आशा दिलायी। कई मित्रों को शिकायत है कि जेल से छोड़ क्यों नहीं दिया। उन्होंने इस सम्बन्ध में फरमाया है:—

"Such a Satyagraha, he said, would not be a life long Satyagraha by the same set of persons, it may not even be a permanent Satyagraha in the same State, but a chain of Satyagraha from one State to another".

उन्होंने कहा कि एक ही आदमी सत्याग्रह करे वह घर में आकर बैठ जाय, फिर दूसरा आदमी सत्याग्रह करे तो वह घर में आकर बैठ जाय। बड़े आराम से सत्याग्रह हो, क्योंकि इस किस्म की सुविधा नहीं दी इसलिये यह शिकायत है।

केवल एक ही चीज और कहनी है मुझे अन्त में। यहां कानूनी बातें बहुत सी कही गयीं। कल यहां एक साहेब खड़े हुये जो अब शायद वकील हैं। उन्होंने पूछा कि डाक्टर लोहिया साहब ने क्या किया जो कानून के खिलाफ था। वे समझते थे शायद कि हाफिज साहब कानून जानते नहीं, ऐसा उनका खयाल गलत है। उन्होंने कहा कि मैजिस्ट्रेट को चाहिये था कि एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी सिटिंग एडजर्न करता चला जाता। मैजिस्ट्रेट साहब ने उनको पकड़ कर कैसे बुलाया ? वकालत मैं जानता नहीं। इतना मैं कह दूं कि मैं उस सलाह को मानने वाला नहीं हूं चाहे डाक्टर लोहिया साहब हों या कोई और साहब हों। हमारे पास दो सलाह मौजूद हैं। जो फैसला है जस्टिस मुल्ला का और जस्टिस रघुबर दयाल का; उन्होंने इस सवाल पर गौर किया, वे कहते हैं . . . . .

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि २० मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय क्योंकि वादविवाद में बहुत सा समय चला जायगा।

श्री अध्यक्ष—स्पीच के बीच में कोई प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैं माननीय मुख्य मंत्री की स्पीच के लिये समय बढ़ाना चाहता था ।

श्री राजनारायण—मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि अभी कोई आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती । मुमकिन है कि उनकी स्पीच अभी खत्म हो जाय । अगर, श्रीमन्, यह हो कि यह हमारा जो नो-कानफिडेंस रेजोल्यूशन है उसको किसी क्लोजर के रूप में ले आना है, तो वह जब आयेगा मैं निवेदन करूंगा। लेकिन, श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं। मुझे इसके विरोध करने का तो हक है ?

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आप विरोध करते हैं ।

(श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा से) आप २० मिनट और बढ़ाना चाहते हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जी हां ।

श्री अध्यक्ष—समय के बारे में प्रोसीजर में आपको बताना चाहता हूं । जो समय निर्धारित किया गया है एक घंटे का, उसके हिसाब से मुख्यमंत्री जी का समय ५ बजकर ५ मिनट पर समाप्त होता है । उसके बाद अगर सदन को बैठना है और इसको आज ही समाप्त करना है तो राजनारायण जी को फिर से बोलने का अधिकार है। १५ मिनट वह बोलेंगें। फिर वोट लिया जायगा, उसमें १०–१५ मिनट लग जायेंगे, क्योंकि लाबी में जाकर लिखित वोट होंगे, तो उसके हिसाब से यदि आप समय बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ावें ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि आध घंटे का समय बढ़ा दिया जाय और उसके बाद सभा समाप्त हो ।

श्री अध्यक्ष—आप समय बढ़ा सकते हैं, सभा के समाप्त होने के लिये प्रस्ताव नहीं रख सकते ।

प्रश्न यह है कि आज सदन आध घंटे के लिये और अधिक बैठे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं केवल दो ही बात कह रहा हूं । पहले जस्टिस मुल्ला ने फरमाया कि,—

"The Magistrate cannot be expected to dance attendance on an accused and it is for the accused to present himself before the Court".

उसके आगे और है,

".....the law is not helpless and it can use necessary measures to procure the attendance of a disobedient accused before it".

तो यह जो कहा गया कि बार-बार चालान होना चाहिये, तो हाईकोर्ट के दो दो जजों की राय है । जब कभी कोई बात ऐसी पैदा होगी तो हम इसके ऊपर अमल करेंगे । उस तरह की सलाह पर अमल नहीं करेंगे, जैसी कि उन वकील साहब ने दी थी । हमको किसी के फंडामेंटल राइट्स में बाधा डालने की जरूरत नहीं है । गवर्नमेंट इस प्रदेश में यह बरदाश्त कभी भी नहीं कर सकती कि इस तरह से केआस पैदा किया जाय सत्याग्रह के नाम से और इस प्रकार से यहां की शान्ति को भंग किया जाय । न इसको बरदाश्त कर सकती है और न आइंदा करेगी ।

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री राजबिहारी सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से क्लोजर मूव करता हूं ।

(श्री देवीप्रसाद मिश्र बोलने के लिये खड़े हुये ।)

श्री राजनारायण—ये बोलने के लिये खड़े हुये हैं, इनको मौका दिया जाय। मैं इस क्लोजर का विरोध तो कर सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैंने जो अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है उसके सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह प्रस्ताव कोई जल्दी में नहीं रखा गया है और उसके औचित्य के लिये हमारे पास काफी प्रमाण हैं।

श्री अध्यक्ष—जरा शान्ति से सुन लें तो अच्छा होगा क्योंकि गम्भीर विषय है। मैं फिर से माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह शान्तिपूर्वक सुनें और राय के समय वह आपस में थोड़ा सा बोल सकते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैंने इस सदन के सम्मुख जो अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और जिन नेताओं ने तथा हमारे माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, मैं उनका आभारी हूं। बहुत से मंत्रियों ने हमारे ऊपर यह दोषारोपण किया कि हम शायद जल्दी में यह प्रस्ताव लाये। मैं आपके द्वारा उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे मुगालते में हैं, भ्रम में हैं, बुद्धिविभ्रम जन्य भ्रान्ति में विचरण कर रहे हैं।

आप जानते हैं कि १० मई का जो सत्याग्रह आरम्भ हुआ वह केवल एक दिन की बात नहीं थी बल्कि १६ अक्तूबर, सन् १९५७ को बाराबंकी में बद्दूपुर स्थान पर जहां इस सदन के सम्मानित सदस्य माननीय अवधशरण जी वर्मा की निर्मम हत्या की गयी थी, सोशलिस्ट पार्टी ने यह निश्चय किया था और बार-बार हमारे मांग करने पर भी जब सरकार ने हमारी बात को नहीं माना तो बाध्य होकर हमें सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाना पड़ा। हमने बाराबंकी में २, ३ दिसम्बर को भी अपनी उन मांगों को दोहराते हुये सरकार से निवेदन किया कि अलाभकर जोतों पर से लगान माफ हो, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी आमदनी में १ और १० का अनुपात हो, १०० रुपये माहवार से किसी की आमदनी कम न हो और १,००० रुपये माहवार से किसी की ज्यादा न हो। हमने मांग की थी कि ८वीं कक्षा तक सबकी पढ़ाई मुफ्त हो और हरिजनों की पढ़ाई उच्चतम कक्षा तक मुफ्त हो। जो बैकवर्ड और कम आमदनी वाले हों उनकी इंटर तक मुफ्त हो। आज इस आदरणीय सदन के बहुत से माननीय सदस्य यहां आने की आवश्यकता नहीं समझेंगे, अगर आप अपने बजट को चार भागों में बांटेगें। बजट का चौथा हिस्सा गांव पंचायतों को और चौथा हिस्सा जिला पंचायतों को अगर मिल जायगा तो वे लोग अपने क्षेत्र में जाकर अच्छी तरह से काम करेंगे।

इस के साथ-साथ जब सरकार की ओर से यह कहा गया था कि १० मई एक पवित्र तिथि है, उस दिन सोशलिस्ट पार्टी आन्दोलन न करे तो माननीय डाक्टर राममनोहर लोहिया ने सरकार के पास तार भेजा था, चिट्ठी भेजी थी कि हम १० मई की पवित्र तिथि को सत्याग्रह स्थगित कर सकते हैं बशर्ते कि सरकार यह एलान कर दे कि वह सार्वजनिक स्थानों से विदेशी मूर्तियों को हटा देगी, लेकिन इस सरकार ने यह एलान नहीं किया। मुझे दुःख होता है जब मैं माननीय कमलापति त्रिपाठी जी के मुखारविन्द से यह सुनता हूं कि सरकार ने तो पहले ही फ़ैसला कर लिया था। सरकार को साफ़ साफ़ कबूल करना चाहिये कि सोशलिस्ट पार्टी का जो मर्यादित, सुन्दर और शान्तिपूर्ण आन्दोलन था उसके फलस्वरूप ही सरकार को बाध्य होना पड़ा विदेशी मूर्तियों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने के लिये। अगर माननीय कमलापति जी त्रिपाठी इस बात को मान लेते तो उनकी गरिमा घटती नहीं, उनके गौरव और मर्यादा में तनिक भी कमी नहीं आती।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

आज इस सरकार को सोचना चाहिये कि हमारे प्रदेश के गरीब किसान और मजदूरों की क्या हालत है आज उनके चूतड़ पर लपेटने के लिये चिथड़ा भी नहीं है, उनकी औरतें दिन में निकलती भी नहीं हैं। अगर हम उनकी आर्थिक समस्या को समुन्नत करने की मांग करें और सरकार उसकी उपेक्षा करे तब अगर हम आन्दोलन करेंतो हमने कौनसा अपराध किया? जब सोशलिस्ट पार्टी सविनय अवज्ञा की घोषणा करती है तो उसके सदस्य यह जानते हैं कि उन्हें जेल जाना होगा और जेल जाकर जो कुछ भी कानून के मुताबिक सजा होगी उसको भुगतेंगे। मगर उसका मतलब यह कदापि नहीं कि कानून का उल्लंघन करके जो कानून चालू किया जाय उसको हम बर्दाश्त करें। सोशलिस्ट पार्टी के नेता माननीय प्रभुनारायण सिंह जी एम० एल०सी० हैं। वे अपने घर से दफ़ा १०७ और ११७ में पकड़े जाते हैं। बाद में रिट में हाईकोर्ट से छूटते हैं। तो यह सरकार मुजरिम है या हम मुजरिम हैं ?

श्रीमन्, आपकी खिदमत में मैं स्पेशल पावर्स ऐक्ट लाना चाहता हूं। माननीय कमलापति जी लच्छेदार बातों का प्रयोग करके अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं। हम उनसे ज्यादा कर्त्तव्य प्रधान और अधिकार प्रधान हैं। वह पार्टी कभी भी अधिकार प्रधान नहीं हो सकती जो कर्त्तव्य प्रधान न हो। हाईकोर्ट ने स्पेशल पावर्स ऐक्ट को गैरकानूनी करार दिया, लेकिन इस सरकार ने गैरकानूनी ढंग से तीन हजार सत्याग्रहियों को नहर आन्दोलन में गिरफ्तार किया। क्या यह बात साबित नहीं होगी ? तो इस सरकार ने कानून तोड़ा है या डाक्टर लोहिया नें या हमने, इस सवाल का जवाब इस सदन के सदस्यों को देना चाहिये। श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कमलापति जी से कि किस कानून के मातहत एक सत्याग्रही की जेल में हत्या हो जाती है, उसका पोस्टमार्टम हो और उसके घरवालों को उसकी लाश तक न दी जाय। यह किस कानून की मर्यादा है ? यह जंगली और शैतान का कानून है, उसकी मर्यादा यह हो सकती है, इंसान के कानून की यह मर्यादा नहीं हो सकती।

हमने कभी संपूर्णानन्द जी से यह नहीं कहा कि हम दफा १४४ तोड़ते हैं, जो कि अवैधानिक है, हम को सजा न दी जाय। १८८(१) के मातहत जो हम कानून तोड़ेंगे तो हमको एक महीने की सजा और २०० रुपया जुर्माना हो सकता है अधिक से अधिक, लेकिन जब १८८(१) के अंदर रायट आदि का चार्जशीट नहीं है तो कैसे ६ महीने की सजा और ५०० रुपया जुर्माना किया जाता है ? यह कहां का न्याय है ? मैं संपूर्णानन्द जी से कहूंगा कि यदि यह अविश्वास का प्रस्ताव पास भी हो जाय तब भी मैं उनकी खिदमत में रहूंगा, उनकी चरणरज लेने को तैयार हूं। वह एक्स-जजेज की एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनायें और देखें कि सोशलिस्टों ने इस सत्याग्रह को सफल बनाने में जनतांत्रिक प्रणाली को कहां तक अपनाया है। इस अविश्वास के प्रस्ताव में कोई पार्टी का सवाल नहीं है। यह तो मानव के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है उसका सवाल है और इसमें जो मेरे साथी हैं वे अपने कर्तव्य से प्रेरित हैं, कर्तव्य की प्रेरणा से मेरे साथ आये हैं। हम ने किसी को रिश्वत नहीं दी है, किसी की चापलूसी नहीं की है।

आज सरकार हममें आपस में बुद्धिभेद पैदा करना चाहती है। आप राजनारायण की जनरलशिप की प्रशंसा करते हैं, आप को करना चाहिये। लेकिन आप को यह उस स्थान पर करनी चाहिये थी जब कि मुख्य मंत्री जी हर कालेज और स्कूल में अपना भाषण कर चुके थे और कमलापति जी हर स्थान पर हर ब्राह्मण बस्ती में भाषण कर चुके थे, उस समय उनके उम्मीदवार को हराकर राजनारायण ने अपनी जनरलशिप का परिचय दिया था। लेकिन उसके स्थान पर आज माननीय मुख्य मंत्री कहते हैं कि विरोधी दलों के नेता राजनारायण के चरणों पर लोट गये। हम त्रिलोकी सिंह जी के चरणों में लोट सकते हैं, वह हमारे बुजुर्ग हैं, झारखंडे राय जी और दूसरे साथी हमारे मित्र हैं और सही मानों में जनतांत्रिक प्रणाली के उत्थान के लिये हमारा साथ देते हैं। इसमें बुराई क्या है ? ओछी और थोथी बात कह कर, उस स्तर की बात कहकर राजनीति नहीं चलाई जा सकती और उसमें हम विश्वास नहीं करते और यही कारण है कि हर

साल जेल जाते हैं, अपनी दाढ़ी खिंचवाते हैं और कुरता फटवाते हैं । एक भी उदाहरण डाक्टर संपूर्णानन्द जी पेश कर दें कि पांच या छः वर्ष के जीवन में कभी हमसे वायलेंस हुआ हो, कभी डंडा चलाया हो, हथियार मारा हो या ढेला फेंका हो । मगर, श्रीमन्, जिस दिन चुनाव हो रहा था कमलापति जी की पार्टी के लोगों ने मेरे ऊपर एक भाला फेंका । समाचार-पत्रों में उसका बयान भी निकला । एक एम० पी०, रघुनाथ सिंह जी ने बाद में बयान दिया कि अगर झगड़ा बचा तो राजनारायण की बदौलत । मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं ।

मैं आज डाक्टर संपूर्णानन्द जी से पूछना चाहता हूं कि कहीं वह एक धारा निकाल दें कि जिसमें जेल में बन्द कैदी को जबरदस्ती कोर्ट में प्रोड्यूस कराया जाय. . .

श्री अध्यक्ष—इस समय कानूनी बहस नहीं होगी । मैं इस विषय पर बहस नहीं करने दूंगा ।

श्री राजनारायण—वह कर चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष—वह कर चुके हैं तो गलती कर चुके हैं ।

श्री राजनारायण—तो उसका जवाब देने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—नहीं, उसका जवाब नहीं होना चाहिये । आप अपनी बात कहें ।

श्री राजनारायण—तो मैं यह कह रहा हूं कि जितने कानून मैंने पढ़े हैं .. . .

श्री अध्यक्ष—आप जबानी कह दीजिये ।

श्री राजनारायण—मैं बताऊं कि २०५ धारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की देखी जाय तो उसमें कोर्ट को पूरा अधिकार है कि वह ऐक्यूज्ड की हाजिरी को माफ कर सकती है. . .

श्री अध्यक्ष—मैं इस चीज का जिक्र करने की इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री राजनारायण—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं । उसी कर्तव्य पालन के लिये कभी-कभी यहां से निकाला भी जाता हूं । मैं, श्रीमन्, आपको ही जज मानने के लिये तैयार हूं कि उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी के आन्दोलन को कुचलने के लिये जितने गैरजनतान्त्रिक काम हुये हैं, आप उनकी परीक्षा कीजिये । आप अपनी रिपोर्ट पेश कीजिये जो सदन में पेश की जाय । कोई भी सरकार खड़ी नहीं रह सकती ।

श्री अध्यक्ष—जब आप यहां इस बारे में प्रस्ताव पास करा दें तब देखने की बात होगी ।

श्री राजनारायण—डाक्टर लोहिया को १८ तारीख तक कोर्ट में प्रोड्यूस करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है । वह बाद में महसूस हो जाती है । क्या किसी ला के अन्दर यह प्राविजन है ? मैं माननीय मुख्य मंत्री, माननीय कमलापति त्रिपाठी से निवेदन करूंगा कि जो बनारस की पालिटिक्स होती है उसको सारे उत्तर प्रदेश में न लागू करें । अगर राजनारायण को जेल में बन्द करके आप तूफान को दबाना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक दिन जब शेर बाहर निकलेगा तो फिर अपना काम कर निकलेगा ।

मैं संपूर्णानन्द जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने डाक्टर लोहिया की लिखी हुई किताब का एक रिफरेन्स दिया जो कि हमारे एशिया के नेता हैं । उनकी किताब को उन्होंने पढ़ा, इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं, किन्तु जो उत्तर प्रदेश, देश और एशिया का एक लीडर हैं उसको जेल में बन्द करते हैं जिसको सही मानों में नेता कहा जा सकता है और जो नाचीज हैं वह आज लीडर बन बैठे हैं और इस हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में लेकर हमारे सारे प्रदेश की जनता की जिन्दगी को पामाल कर रहे हैं । हमने क्या कुरबानी नहीं की ?

[श्री राजनारायण]

माननीय कमलापति जी किसी स्टेशन पर भ्रमण करते होंगे और माननीय सम्पूर्णानन्द जी किसी बगीचे में बैठे रहे होंगे जब कि हम अपने प्राण हथेली पर लेकर देश की स्वतंत्रता के आन्दोलन में भाग ले रहे थे। ५ हजार काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अपने प्राण हथेली पर लेकर चारों तरफ क्रांति का बिगुल बजा रहे थे। तब कहां था यह विलास और यह वैभव ? आज जब कि हम आन्दोलन करते हैं तो कहा जाता है कि तुम कानून तोड़ते हो। हमारा निवेदन यह है कि जब हम आन्दोलन करते हैं तो यह सरकार कानून की उपेक्षा करती है। हम कहते हैं कि सरकार कानून के मुताबिक हमको दंड दे। कानून के मुताबिक हमको सजा दे। उससे हमको जरा भी डर नहीं है। आज इस सरकार के लिये यह आवश्यक है कि अगर उसको खूनी क्रांति से बचना है तो अहिंसा के आन्दोलन पर चलकर ही उस खूनी आन्दोलन से बच सकते हैं और उसके लिये सोशलिस्ट पार्टी सदा प्रयत्नशील है। चाहे सम्पूर्णानन्द जी की हुकूमत हमारे साथ कैसा भी बर्ताव करे, लेकिन हम अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे और सरकार की दमन नीति का विरोध करते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष—अब मैं प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनता के मौलिक अधिकारों को अपहरण करने खासकर सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेने वालों को कुचलने की जो गैर-जनतांत्रिक नीति अख्तियार की गयी है उस कारण मंत्रिमंडल पर अपना अविश्वास प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी। विभाजन के बीच निम्नलिखित कार्यवाही हुई।)

श्री नेकराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, दस्तखत करने के लिये काफी सदस्य रह गये हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि १० मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। मुझे इसके बारे में पूर्ण अधिकार है और इस बारे में मैंने एक बार फैसला भी दिया है कि जब किसी प्रस्ताव के ऊपर या किसी खंड के ऊपर यदि राय लेना शुरू हो गया हो और उसमें अगर समय ज्यादा लग जाता है तो मुझे अधिकार है वैसी हालत में कि मैं समय बढ़ा सकता हूं। इसलिये जब तक यह मतगणना प्रोसेस में है, मैं उसका फैसला सुना कर ही सदन को उठने दूंगा। वैसे जो जाना चाहें चले जायं। यह सदन गणना समाप्ति तक बैठा रहेगा, क्योंकि यह प्रोसेस पहले शुरू हो गया था।

(सदन के निम्नलिखित ढंग से विभाजित होने पर प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।)

पक्ष में—१०६

अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अभय राम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेश कुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेश प्रतापसिंह, श्री
अशफ़ाक़ अली खां, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
उग्रसेन, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याण चन्द मोहिले, श्री उपनाम छुनन गुरु
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री

गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जरग्राम हैदर, श्री सैयद
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धर्मपाल सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थासिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बालकराम, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद हुसैन खां, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुनीन्द्रपाल, सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीर सिंह , श्री (एटा)
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजनारायण, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामदीन, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रूमसिंह, श्री
लायकसिंह, चौधरी
वजरंगविहारी लाल रावत, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवराज बहादुर, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
सजीवनलाल, श्री
सुरथ बहादुरशाह, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
होरीलाल यादव, श्री

[विभाजन]

विपक्ष में—२६५*

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाश प्रकाश, श्री
कृपाशंकर, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र, काछी श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छोटे लाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश शरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमल सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री

*२६ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही में श्री अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा के अनुसार शोधित।

द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भीमसेन, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री,
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त , श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम प्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

[विभाजन]

रामर्मूति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिव प्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंल सिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुम सिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और तारीख २६ को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३५ मिनट पर बृहस्पतिवार, २६ दिसम्बर, १९५७ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
२४ दिसम्बर, १९५७ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५४ पर।)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले में निर्माण कार्य की सूची

योजना		अनुमानित लागत (रु० में)	कार्य जो होना है मय लम्बाई	वर्तमान स्थिति
चालू योजनाएं (प्रथम पंचवर्षीय, योजना के अधूरे कार्य।)	(अ) नई सड़कें			
	१—चौबेपुर-बेला	२,०७,०००	टौप कोट तथा अन्य कार्यों के लिये (सड़क इंटर कोट तक पूरी लंबाई में बन चुकी है)	कार्य प्रगति में है।
	२—सिकन्दरा-अकबरपुर	१७,४९,४००	२३ मील	,, ,,
	३—सिकन्दरा-मंगलपुर	१,२७,०००	९ मील ३ फर्लांग	,, ,,
	(ब) आधुनिकीकरण			
	४—मील ६२५ से ६२९ जी० टी० रोड।	४,८३,४१५	५ मील	,, ,,
	५—गंगा नहर के पश्चिमी मार्ग को सीमेंट से बनाना।	३०,०००	१ मील	,, ,,
नई योजनाएं	(अ) नई पक्की सड़कें			
द्वितीय पंचवर्षीय	६—रसूलाबाद-झींझक	३,३८,०००	९ मील ३ फर्लांग कच्ची सड़क को पक्का करना।	द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में कार्य आरम्भ किया जायेगा।
	(ब) ७—आधुनिकीकरण	२,२२,०००	६ मील	,, ,,
अतिरिक्त योजना (१९५६-५७)	८—चौबेपुर बेला-सड़क के ३ मोलों का आधुनिकीकरण।	१,१४,०००	३ मील	कार्य प्रगति में है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५५ पर।)

रजिस्ट्रार सहकारी समितियां (मुख्यालय के तीन अतिरिक्त रजिस्ट्रारों के कार्यों के विवरण की सूची)

१—श्री नरेन्द्र शंकर माथुर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति विपणन (मार्केटिंग)

१—निम्नलिखित के सम्बन्ध में योजनाओं का कार्यान्वित किया जाना—

(क) कृषि विपणन (मार्केटिंग),
(ख) कृषि उपज का विधायन (प्रौसेसिंग)
(ग) ईंट के भट्ठे,
(घ) बीज गोदाम ।

२—जिला सहकारी विकास संघों पर प्रकृष्ट प्रशासकीय नियन्त्रण ।
३—समितियों का निबन्धन तथा अवसायन (liquidation)
४—वार्षिक विवरण तथा आंकड़े ।
५—विधान सभा तथा विधान परिषद् के प्रश्न ।
६—विभागीय पुस्तकालय ।
७—समय-समय पर रजिस्ट्रार, सहकारी समिति द्वारा नियत किया जाने वाला विविध कार्य ।

२—श्री मणिशंकर मिश्र, अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति (बैंकिंग) तथा सामान्य मैनेजर उत्तर प्रदेश, सहकारी बैंक ।

१—निम्नलिखित के सम्बन्ध में योजनाओं का कार्यान्वित किया जाना।

(क) समस्त प्रकार की समितियों विशेषकर कृषि (उधार) समितियों के हेतु धनायोजन समस्याएं,
(ख) बन्धक अधिकोष (बैंक),
(ग) शहरी बैंक,
(घ) गैर कृषि समितियां ।

२—जिला तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों के ऊपर प्रकृष्ट अशासकीय नियंत्रण।
३—सहकारी कानून तथा कानून के मामले ।
४—सहकारी गृह (समितियां) ।
५—जनता की शिकायतें ।
६—उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक सामान्य मैनेजर के पद सम्बन्धी कार्य ।
७—पंचनिर्णय (मध्यस्थनिर्णय)
८—गबन ।
९—समय-समय पर रजिस्ट्रार, सहकारी समिति द्वारा नियत किया हुआ विविध कार्य ।

३—श्री शशिभूषण सरन, अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति (विकास)

१—निम्नलिखित के सम्बन्ध में योजनाओं का कार्यान्वित किया जाना।

(क) प्रारम्भिक कृषि समितियां जिन में बड़ी-बड़ी उधार समितियां सम्मिलित है,
(ख) ब्लाक यूनियन्स,
(ग) उपभोक्ता गोदाम,
(घ) बचत तथा अन्य अन्तश्चालना (Drives)

२—अन्य विभागों के साथ समन्वय (Co-ordination)
३—समय-समय पर रजिस्ट्रार सहकारी समिति द्वारा नियत किया जाने वाला विविध कार्य ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५७ पर)

गबन का नक्शा

	वर्ष	संस्थाओं का नाम तथा किस्म	धन जो गबन किया गया			जिम्मेदार व्यक्ति	कार्यवाही की गयी	
							विभाग द्वारा	पुलिस द्वारा
	१	२	३			४	५	६
			रु०	आ०	पा०			
(१)	१९५४–५५ १९५५–५६	भट्ठा बालपुर डी० सी० एफ० ..	४,८९०	१	८	श्री रामसेवक, भट्ठा मैनेजर	नौकरी से पृथक् कर दिये गये	न्यायालय में निर्णय लिए।
(२)	१९५५–५६	भट्ठा परसपुर ,, ..	२,४९७	३	३	श्री देवताप्रसाद, भट्ठा मैनेजर	,,	,,
(३)	१९५४–५५	तुलसीपुर सहकारी भट्ठा संघ ..	४,५८७	०	०	श्री श्यामनारायन, सहकारी पर्यवेक्षक	,,	एडिशनल सब जज के न्यायालय में निर्णय के लिए।
(४)	१९५४–५५	रेहरा बाजार संघ ..	५,१५९	८	९	श्री रामचन्द्र सिंह, सहकारी पर्यवेक्षक	,,	न्यायालय में निर्णय के लिए।
(५)	१९५४–५५	नया नगर संघ ..	१,५०२	१	१०	,,	,,	,,
(६)	१९५४–५५	रेहरा बीज भंडार	४,९८१	५	११	,,	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(७) १९५४-५५ १९	(१) अचलपुर, (२) अधीनपुर प्रा०, (३) सोनपुर, (४) पेराडी समितियां, (५) रेहरा, (६) बसावन बनवट, (७) कुशमौरा, (८) बोधीपुर, (९) नया नगर, (१०) जुराबल, (११) देवारी-खेरा, (१९) बनजरिया, (१३) सेमरा।	२,१८९	१३	३	,,	,,	,,
(२०) १९५४-५५	पसका संघ	.. १२,२३८	७	०	श्री राम कुमार, भट्ठा मैनेजर	,,	पुलिस की जांच में है।
(२१) १९५५-५६	कादीपुर संघ, कादीपुर तथा टिकरी क्षेत्र की समितियां—— (१) धोबहा समिति, (२) बहादुरा समिति, (३) कशोपुर समिति, (४) पिपरी।	१,३३१	७	०	श्री राम सिंगार सहकारी पर्यवेक्षक	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २५७ पर।)

गोंडा जिले के बीज भंडारों के रबी बीज की स्थिति जैसी कि ३०-६-१९५७ को थी

क्रम-संख्या	बीज भंडार का नाम	पूर्ण गल्ले का परिमाण (३०-६-१९५७)	बीज का विश्लेषण: उत्तम प्रतिशत 'अ'	उत्तम परिमाण	मध्यम प्रतिशत 'ब'	मध्यम परिमाण	निम्न प्रतिशत 'स'	निम्न परिमाण
१	सहेत-महेत	..	१,५४३	९७·६	१,५०६	२ ८	..	..	२·४	३७ २१ १२
२	काबापुर	..	४७१	१००·०	४७१	६ ४	..	..	..	..
३	पिपरा ..	..	१,०४३	९५·६	९९७	९ ८	४·४	४५ २८ ०	..	..
४	पचपेरवा ..	..	३६५	८८·८	३२४	१७ ८	११·२	४० ३५ ०	..	..
५	खागाजोत	..	१,५५१	९६·८	१,५०१	१० ०	..	..	३·२	४९ १८ ८
६	तुलसीपुर	..	५५८	७०·०	३९४	२० ४	३०·०	१६३ २५ ०	..	..
७	इन्टियाथोकी	..	२,२१४	१००·०	२,२१३	२२ १२	..	..	..	१ ६ १४
८	नवाबगंज	..	१,१७५	९४·९	१,११५	० ८	५·१	५९ २७ ८	..	..
९	असरफपुर	..	१,३८९	९५·५	१,३२६	० ०	..	..	४·५	६३ ० ०
१०	गौराबाखुर्द	..	१,२५२	८८·६	१,१०९	३५ १२	..	..	११·४	१४२ १ १२
११	मोतीगंज	..	६३६	९२·४	५८७	२७ ७	७·६	४८ ३ ८	..	..
१२	बमनान	..	९६७	८२·१	८०३	१६ ४	..	..	१७	१६३ १७ ०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१३	महदेइया	..	२,२६१	९२·६	२,०९४	३६	४	७·४	१६६	६	८	..		..	
१४	पारसपुर	..	१,२४६	७८·६	९७९	३०	०	..		..		२१·४	२६६	७	४
१५	बलपुर	..	७३९	१००·०	७३८	२७	०	..		..		..		..	
१६	धनियापुर	..	१,३२७	८८·६	१,१७६	३	०	..		..		११·४	१५१	१	०
१७	रागरगंज	..	१,६९०	९८·८	१,६७०	२६	१२	..		..		१·२	१८	३६	१२
१८	खरिका	..	१,३२५	९६·३	१,२७६	७	०	..		..		३·७	४९	०	०
१९	कौरिया	..	३,२४४	९४·०	३,०४९	३२	०	..		..		६·०	१९४	१२	०
२०	रुपाधी ..	..	१,५६८	९०·८	१,४२५	२५	०	९·२	१४२	२३	८	..		..	
२१	मसविनवा	..	१,११८	८५·३	९५४	१०	०	..		..		१४·७	१६३	३५	१२
२२	बजीरगंज	..	१,०६२	९५·७	१,०१७	२	०	४·३	३४	२७	१२	..		..	
२३	रेहरा ..	..	१,३४९	८५·४	१,१४१	५	८	..		..		१४·६	२०७	८	४
२४	गैनसारी	..	५३६	१००·०	५३५	३२	०	..		..		..		..	
२५	मथुरा बाजार	..	१,०६१	१००·०	१,०६१	१६	०	..		..		..		..	
२६	रटवागारा	..	१,७७३	१००·०	१,७७२	३९	०	..		..		..		..	
	योग	..	३३,४६३	९३·४१	३१,२४४	१९	१२	२.१	७११	१६–१२	४·५	१,५०७	६	१४	

अनेक विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५८ पर।)

स्थानीय निकायों के गत आम चुनावों (१९५३) के संबंध में ललितपुर सब डिवीजन झांसी में दायर की गयी निर्वाचन याचिकाओं (एलेक्शन पेटीशनों) का विवरण

क्रम-सं०	स्थानीय निकाय का नाम	पार्टियों का नाम	दायर करने का दिनांक	निर्णय होने का दिनांक
१	ताल बेहट टाउन एरिया	श्री भगवान दास बनाम श्री रतनलाल व अन्य।	१५-३-१९५४	२३-८-१९५४
२	ताल बेहट टाउन एरिया	श्री बसन्तलाल व जवाहर बनाम श्री हनुमन्त सिंह व रूप सिंह।	१५-३-१९५४	२३-८-१९५४
३	तालबेहट टाउन एरिया	श्री रामरतन बनाम श्री रामकुमार।	२४-११-१९५३	६-९-१९५४
४	ललितपुर नगरपालिका	श्री रोशनलाल बनाम श्री कुन्दनलाल व सात अन्य।	१-४-१९५४	६-७-१९५७
५	ललितपुर नगरपालिका	श्री मोहन सिंह बनाम डाक्टर सन्तप्रसाद व श्री गनपतकाछी।	१-४-१९५४	३१-८-१९५४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६० पर।)

चालू वित्तीय वर्ष में बांदा जिले में सड़क निर्माण योजना का विवरण

		मी०	फ०	फी०
१—बांदा-हमीरपुर	..	४	०	०
२—चित्रकूट-कामतानाथ	..	३	०	०
३—अतर्रा रेलवे फीडर	..	०	२	५७
४—पपरेंदा—तिदवारी	..	७	७	०
योग	..	१५	१	५७

सत्यमेव जयते

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६७ पर।)

सूची

पद	हरिजन	बैकवर्ड क्लास के	अन्य	टोटल
१—फारेस्ट गार्ड	..	५	७	९३	१०५
२—कैटल गार्ड	..	१८	४६	६९	१३३
३—क्लर्क	..	..	१	८	९
४—रेंजर	..	..	..	४	४

अली जहीर
वन मंत्री ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ २७० पर।)

प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

कतिपय प्रयोजनों के निमित्त प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४ को, उत्तर प्रदेश में इसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित करने का — ऐक्ट संख्या ९, १८९४।

विधेयक

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् व्यक्त होने वाले प्रयोजनों के निमित्त प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४ को उत्तर प्रदेश में इसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित किया जाय ; — ऐक्ट संख्या ९, १८९४।

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) यह अधिनियम प्रिजन्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलाएगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। — प्रसार तथा

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा। — प्रारम्भ।

२—प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४ (जिसे एतत्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ के खंड (१) में शब्द "for the detention" तथा शब्द "of prisoners" के बीच में शब्द "and reformation" रख दिये जायं। — ऐक्ट ९, १८९४ की धारा ३ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ४६ के खंड (४) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (4-A) के रूप में बढ़ा दिया जाय : — ऐक्ट ९, १८९४ की धारा ४६ का संशोधन।

"(4-A) forfeiture or reduction of grade, either temporarily or permanently, and temporary forfeiture of prison privileges."

उद्देश्य और कारण

इंडियन पीनल कोड, १८६० की धारा ५३ के साथ पठित प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४ की धारा ३ का खंड (१) कारागार में बन्दी रक्खे जाने की दंडात्मक दृष्टि पर जोर देता है, इस कारण से कि न्यायालय द्वारा दी गयी कठोर कारावास की दंडाज्ञा का अर्थ "कठिन परिश्रमयुक्त कारावास" होता है। किन्तु यह अब प्रायः सर्वसम्मत है कि कारागारमें बन्दियों के रखने की मूल भावना उन्हें सुधारना होना चाहिए, न कि अपराध के प्रतिशोध के लिये दंड देना। यू० पी० जेल इन्डस्ट्रीज इन्क्वाइरी कमेटी ने भी, जो राज्य सरकार द्वारा १९५५ में संघटित की गयी थी, इस बात की सिफारिश की है कि बन्दियों के साथ व्यवहार की उपर्युक्त मूल भावना, प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४ में सन्निहित होनी चाहिये। तदनुसार, इस ऐक्ट में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में आया है कि प्रिजन्स ऐक्ट, १८९४ की धारा ४६ का खंड (४) कारागर के अधीक्षक को इस बात का अधिकार देता है कि वह छूट प्रणाली (remission system) के अधीन प्राप्त विशेषाधिकारों में कमी करके बन्दी को दन्ड दे। इसमें बन्दियों के वर्गों के अपहरण तथा अवनयन एवं छूट प्रणाली के अधीन कारागार विशेषाधिकारों से भिन्न अन्य कारागार विशेषाधिकारों के अपहरण सम्बन्धी अन्य दण्डों का अभिदेश नहीं है, यद्यपि ऐसे दण्ड यू० पी० जेल मैनुअल में नियत हैं तथा प्रिजन्स ऐक्ट की उक्त धारा द्वारा उनका शासित होना अपेक्षित है। भारत सरकार ने राज्य सरकार का ध्यान उक्त ऐक्ट की धारा ४६ में संशोधन करने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया है। अतएव, अस्थायी या स्थायी रूप से वर्ग के अपहरण अथवा अवनयन तथा कारागार विशेषाधिकारों के अस्थायी रूप से अपहरण को इस धारा में सन्निहित करने के लिये इस धारा में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

मुजफ्फर हसन,
समाज सुरक्षा मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७० पर।)

दंड-विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५७

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

कुछ प्रयोजनों के निमित्त दंड-विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५६ को संशोधित करने का विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९५७।

यह इष्टकर है कि कुछ प्रयोजनों के निमित्त दंड-विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५६ को संशोधित किया जाय,

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९५७।

अतएव भारतीय गणतन्त्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम दंड-विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलाएगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९५७ की धारा ५ का निकाला जाना।

२—दंड-विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५६ की, जिसे आगे संशोधन अधिनियम, १९५६ कहा गया है, धारा ५ निकाल दी जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९५७ की धारा ६ का संशोधन।

३—संशोधन अधिनियम १९५६ की धारा ६ की उपधारा (१) में—

(क) संख्या "२४—ए" के पश्चात् तथा संख्या "७—ए" के पूर्व शब्द "और" बढ़ा दिया जाय,

(ख) शब्द और संख्या "तथा ११४—ए" निकाल दिये जायं, और

(ग) शब्द "से" और शब्द "तक" के बीच में आने वाली संख्या "५" के स्थान पर संख्या "४" रख दी जाय।

उद्देश्य और कारण

अब मोटर वेहिकिल्स (संशोधन) अधिनियम, १९५६ के अधीन न्यायालय बाध्य है कि वह कुछ धाराओं के अधीन, जिनमें उक्त अधिनियम की धारा ११२, ११३ तथा ११४ भी सम्मिलित हैं, अपराधों के अभियुक्त व्यक्तियों को अनुमति दे कि वे स्वयं उपस्थित न होकर अभिभाषक (pleader) द्वारा, उपस्थित हों अथवा किसी निश्चित दिनांक तक रजिस्टर्ड पत्र द्वारा दोष स्वीकार करे तथा न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट धनराशि भेजे ।

इस उपबन्ध के फलस्वरूप, दंड-विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा ५ को, जिसमें मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ११२ से ११४ के अधीन अपराधों के प्रशमन की व्यवस्था की गई थी, बनाये रखना आवश्यक नहीं है । अतएव दंड-विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५६ की धारा ५ को निकालने तथा उस अधिनियम की धारा ६ में आनुषंगिक संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

सैयद अलीजहीर,
न्याय मंत्री ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२२५ एल० ए०—१९५८—८१० ।